PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

जुलाई-2019 | अंक-4

विशेषांक

आर्थिक समीक्षा 2018-19

खण्ड-2

- 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था : एक समष्टि परिदृश्य
- मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता
- कीमतें और मुद्रास्फीति : निगरानी एवं प्रबंधन
- सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन
- कृषि एवं खाद्य प्रबंधन : एक विस्तृत विवरण
- भारत में विकसित होता उद्योग एवं अवसंरचना क्षेत्र
- भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन : एक सिंहावलोकन

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

LEGACY OF SUCCESS CONTINUES...
with 122+ selection in CSE 2018

UDAAN
A journey to success

THINK ABOUT IAS/IPS JUST AFTER 12th

UPTO 100% SCHOLARSHIP

IAS OLYMPIAD ENTRANCE EXAM | 4 AUG 12 PM
Eligibility: Age Limits: 15-19 Years Age Group 12th Passed / Appearing Students

LUCKNOW (ALIGANJ)
0522-4025825, 7570009014
LUCKNOW (GOMTI NAGAR)
7234000501, 7234000502

OLD RAJENDRA NAGAR
FOUNDATION BATCH 2020
OPEN CLASSES
27 JULY | 10:30 AM

FREE MAINS CSE ANSWER WRITING + REVISION 2019

ALL INDIA MAINS TEST SERIES 2019
with face to face evaluation

ECONOMIC SURVEY & BUDGET
22 JULY | 2:00 PM

ADMISSIONS OPEN FOR NEW SESSION 2019-20
General Studies Pre-cum-mains Batch

MUKHERJEE NAGAR (DELHI)	20 JULY | 8:30 AM & 5:30 PM
LAXMI NAGAR (DELHI)	22 JULY | 10:30 AM & 27 JULY | 11 AM (WEEKEND BATCH)
GREATER NOIDA	13 AUG | 3:30 PM
LUCKNOW (ALIGANJ)	1 AUG | 6 PM
LUCKNOW (GOMTI NAGAR)	26 AUG | 5:30 PM
PRAYAGRAJ (ALLAHABAD)	19 JULY | 11 AM
BHUBANESWAR	1 AUG | 7:30 AM & 6 PM

Face to Face Centre
DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centre
BIHAR – PATNA, **CHANDIGARH**, **DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJARAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA, **MADHYA PRADESH** – GWALIOR, JABALPUR, REWA, **MAHARASHTRA** – MUMBAI, **PUNJAB** – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA ,**RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BAREILLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH), LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

FOR DETAILS VISIT US ON WWW.DHYEYAIAS.COM OR CALL ON 011 49274400

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

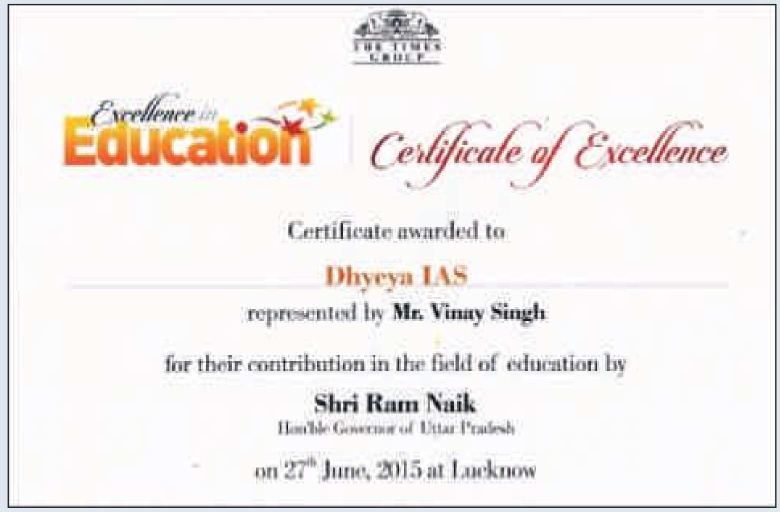

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7
ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)
जुलाई-2019 | अंक-4

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन, अवनीश पाण्डेय, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन,
प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम,
अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था : एक समष्टि परिदृश्य
- मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता
- कीमतें और मुद्रास्फीति : निगरानी एवं प्रबंधन
- सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन
- कृषि एवं खाद्य प्रबंधन : एक विस्तृत विवरण
- भारत में विकसित होता उद्योग एवं अवसंरचना क्षेत्र
- भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन : एक सिंहावलोकन

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. 2018–19 में भारतीय अर्थव्यवस्था : एक समष्टि परिदृश्य

संदर्भ

भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगतिशील बनी हुई है। इसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कई चुनौतियाँ पेश आती हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है। सरकार द्वारा संरचनात्मक सुधारों के चलते 2019-20 में अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत वृद्धि होने का पुर्वानुमान है।

परिचय

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2018 कठिनाई भरा था, 2017 में विश्व की उत्पादन वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत थी जो वर्ष 2018 में घटकर 3.6 प्रतिशत पर आ गई। यह पूर्वानुमान लगाया गया था कि विश्व उत्पादन की वृद्धि दर 2019 में और अधिक गिरकर 3.3 प्रतिशत पर आ जाएगी। इसका एक कारण यह है कि उन्नत और उभरते तथा विकासशील देशों की वृद्धि में गिरावट आने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि 2018-19 में 6.8 प्रतिशत के साथ कुछ नरम रही जो 2017-18 में 7.2 प्रतिशत से मामूली कम है। इसके बावजूद भारत विश्व में सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है। भारत, ने 4 प्रतिशत के भीतर मुद्रास्फीति को बनाए रखकर और जीडीपी के अनुपात में चालू खाता घाटा को सहनीय स्थिति में लाकर अपनी समष्टि आर्थिक स्थिरता (Macro Economic Stability) को बनाए रखा है। 2018-19 में विनिर्माण के क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई थी जबकि कृषि क्षेत्र में नरमी रही। निवेश, जो बहुत वर्षों से नरम रहा और सबसे कम रहा, 2017-18 से इसमें सुधार शुरू हुआ। वस्तुतः नियत निवेश की वृद्धि दर में तेजी आई, जो 2016-17 में 8.3 प्रतिशत से 2017-18 में 9.3 प्रतिशत हुई और 2018-19 में और अधिक बढ़कर 10.0 प्रतिशत पर आ गई।

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं भारत

2018 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में दबाव विकासशील देशों में मंदी तब देखने को मिली जब संयुक्त राज्य अमरीका व चीन के बीच व्यापार तनाव चरम स्थिति तक पहुँच गया। वर्ष 2019 में, विश्व की अर्थव्यवस्था और ईएमडीई (उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ) में क्रमशः 0.3 प्रतिशतांक की गिरावट आना पूर्वानुमानित है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत उस 30 प्रतिशत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल है जिसकी संवृद्धि में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वैश्विक आर्थिक संभावना द्वारा 2019 में गिरावट आने का अनुमान नहीं लगाया गया है।

वर्तमान में अमरीकी डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में भारत विश्व में सबसे तेज विकास करने वाली सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान लगातार बढ़ रहा है। एक दशक से भी कम अवधि में ईएमडीई की जीडीपी में भारत का योगदान लगभग 1.3 प्रतिशतांक बढ़ा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 0.7 प्रतिशतांक तक बढ़ा है। 2017-18 के दौरान भारत की औसत वृद्धि दर न केवल चीन से अधिक है बल्कि विश्व में अन्य शीर्ष के प्रमुख देशों (वर्तमान अमरीकी डॉलर के संदर्भ में जीडीपी के अर्थ में मापित) से भी बहुत अधिक है। क्रय शक्ति की समानता के समायोजन के साथ वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में भारत की जीडीपी का स्थान विश्व में तीसरा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन

पिछले 5 वर्षों (2014-15 के बाद) में 7.5 प्रतिशत औसत वृद्धि के साथ भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि उच्च रही है। 2018-19 में, भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम है। वृद्धि की गति में यह गिरावट मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्र, व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाओं तथा लोक प्रशासन और रक्षा के क्षेत्रों में कम वृद्धि के कारण हुई।

उद्योग क्षेत्र में भी 2018-19 के बाद की तिमाहियों में कमी देखी गई यह अधिकांशतः विनिर्माण क्षेत्र में मन्द वृद्धि के कारण हुई थी।

विदेशी मोर्चे पर, चालू खाता घाटा 2017-18 में जीडीपी के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 184 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गया।

वर्ष 2018-19 में सेवा निर्यात और आयात में कम वृद्धि देखी गई।

2018-19 में रुपए का मूल्यह्रास अमरीकी डालर की तुलना में 7.8 प्रतिशत, येन की तुलना में 7.7 प्रतिशत और यूरो और स्टर्लिन पाउण्ड की तुलना में 6.8 प्रतिशत हुआ। अमरीकी बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के फलस्वरूप संयुक्त राज्य में वित्तीय स्थिति में तंगी और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने की वजह से चालू खाता घाटे में बढ़ोत्तरी हुई। भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 14 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार 422.2 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुँच गया है।

सरकार का सकल राजकोषीय घाटा 2016-17 में जीडीपी के 3.5 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 3.0 प्रतिशत रह गया है और 2018-19 में इसके घटकर 2.6 प्रतिशत पर आने का अनुमान लगाया गया है।

वर्ष 2018-19 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 14.2 प्रतिशत बढ़ा। एफडीआई इक्विटी को आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्रों में सेवाएँ, आटोमोबाइल और रसायन हैं। वर्ष 2015-16 से एफडीआई में लगातार बढ़ोत्तरी देखी जा रही है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

प्रमुख संकेतक

आंकड़ा श्रेणी	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जीडीपी और संबंधित संकेतक					
वर्तमान बाजार कीमतों पर जीडीपी	₹ करोड़	13771874	15362386	17095005	19010164[a]
स्थिर बाजार कीमतों पर जीडीपी	₹ करोड़	11369493	12298327	13179857	14077586[a]
वृद्धि दर	(प्रतिशत)	8.0	8.2	7.2	6.8[a]
स्थिर (आधार) कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित	₹ करोड़	10491870	11318972	12104165	12906936[a]
वृद्धि दर	(प्रतिशत)	8.0	7.9	6.9	6.6[a]
सकल बचत	जीडीपी का %	31.1	30.3	30.5	NA
सकल पूंजी निर्माण	जीडीपी का %	32.1	30.9	32.3	NA
प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (वर्तमान कीमतों पर)	₹	94797	104659	114958	126406[a]
Production					
उत्पादन खाद्यान्न	मिलियन टन	251.5	275.1	285.0	283.4[b]
औद्योगिक उत्पादन (वृद्धि) का सूचकांक	(प्रतिशत)	3.3	4.6	4.4	3.6
बिजली उत्पादन (वृद्धि)	(प्रतिशत)	5.6	4.7	4.0	3.5
कीमतें					
थोक कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति (औसत)	(प्रतिशत)	-3.7	1.7	3.0	4.3
उपभोक्ता कीमत सूचकांक (संयुक्त)	(प्रतिशत)	4.9	4.5	3.6	3.4
मुद्रास्फीति (औसत)					
विदेशी क्षेत्र पण्य वस्तु निर्यात वृद्धि (अमरीकी डॉलर में)	(प्रतिशत)	-15.5	5.2	10.0	8.8
पण्य वस्तु आयात वृद्धि (अमरीकी डॉलर में)	(प्रतिशत)	-15.0	0.9	21.1	10.4
चालू खाता शेष	जीडीपी का %	-1.1	-0.6	-1.9	-2.6[c]
विदेशी मुद्रा भंडार (वर्ष अंत)	बिलियन अमरीकी डालर	360.2	370.0	424.5	412.9
औसत विनिमय दर	अमरीकी डॉलर	65.5	67.1	64.5	69.9
मुद्रा और ऋण					
स्थूल मुद्रा (एम 3) वृद्धि (वार्षिक)	(प्रतिशत)	10.1	10.1	9.2	10.5
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण (वृद्धि दर)	(प्रतिशत)	10.9	8.2	10.0	13.3
राजकोषीय सूचक (केंद्र)					
सकल राजकोषीय घाटा	जीडीपी का %	3.9	3.5	3.5	3.4[d]
राजस्व घाटा	जीडीपी का %	2.5	2.1	2.6	2.3[d]
प्राथमिक घाटा जीडीपी का %	जीडीपी का %	0.7	0.4	0.4	0.3[d]

2018-19 में निगम कर में अच्छे प्रदर्शन की वजह से प्रत्यक्ष करों में 13.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हालांकि माल एवं सेवा कर राजस्व बजट अनुमान से लगभग 16 प्रतिशत कम रहा। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र दोहरे तुलन पत्र की समस्या से जूझता रहा है। बैंकों की अनर्जक परिसंपदाओं में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बैंकों के तुलन पत्र पर दबाव बढ़ा। यह दबाव सरकारी बैंकों को अधिक झेलना पड़ा है। हालांकि बैंकिंग क्षेत्र (घरेलू प्रचालन) और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन विशेषकर 2018-19 में सुधरा।

अर्थव्यवस्था का आपूर्ति पक्ष

सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए), अर्थव्यवस्था के आपूर्ति अथवा उत्पादन पक्ष को प्रतिबिंबित करता है जिसमें बाज़ार कीमतों पर जीडीपी प्राप्त करने के लिए उत्पादों पर निवल अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है। जीवीए की वृद्धि आर्थिक गतिविधि में गिरावट को प्रतिबिंबित करती है, जिसने 2017-18 में 6.9 प्रतिशत की अपेक्षा 2018-19 में 6.6 प्रतिशत की कमतर वृद्धि दर्ज की। देश में आर्थिक गतिविधि मंद पड़ने की वजह से 2018-19 में निवल अप्रत्यक्ष करों में 2017-18 की तुलना में 8.8 प्रतिशत की कमतर वृद्धि दर्ज की गई थी। दो वर्ष तक अच्छी कृषि वृद्धि के पश्चात् कृषि क्षेत्र में वास्तविक वृद्धि 2018-19 में अपेक्षाकृत कम अर्थात 2.9 प्रतिशत रही। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2017-18 में खाद्यान्नों के 285 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 2018-19 के दौरान 283.4 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है। कुल जीवीए में कृषि क्षेत्र का भाग निरंतर कम होता जा रहा है और अब 2018-19 में यह 16.1 प्रतिशत पर है।

भारत में कृषि क्षेत्र वृद्धि तथा उत्पादन की दृष्टि से चक्रीय चाल से गुज़रता है। नवीतम आँकड़ा श्रृंखला के अनुसार फसल क्षेत्र की वृद्धि दर मुख्य रूप से प्रकृति की अनिश्चितताओं के कारण अस्थिर बनी रहती है। यद्यपि पिछले चार वर्षों के दौरान पशुधन और मत्स्यकी स्थिर बने रहे। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों अर्थात् फसल से पशुधन क्षेत्र तक तथा फसल क्षेत्र के भीतर ही खाद्यान से बागवानी उत्पाद तक में भी मामूली संघटनात्मक बदलाव हुआ है।

विनिर्माण और निर्माण कार्यकलापों में सुधारों के बल पर 2018-19 के दौरान उद्योग क्षेत्र में तेजी आई है। 2018-19 में कुल जीवीए में विनिर्माण का भाग लगभग 16.4 प्रतिशत है, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र के भाग से आंशिक रूप से अधिक है। निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का जीवीए जिसका विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत भाग है (बीएसई और एनसीई के पास सूचीबद्ध कंपनियों के उपलब्ध आँकड़ों से अनुमानित) 2018-19 में स्थिर कीमतों पर 8.4 प्रतिशत बढ़ा। दूसरी तरफ, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईपीपी) द्वारा मापित विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि 2017-18 में 4.6 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 3.5 प्रतिशत हो गई। 2018-19 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में असंगठित क्षेत्र का योगदान गिरकर कम हो गया।

विनिर्माण क्षेत्र ने 2018-19 में गति पकड़ी, यद्यपि पहली, दूसरी व तीसरी तिमाही में क्रमश: 12.1 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष की चौथी तिमाही में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष समाप्त होते-होते यह गति मंद पड़ गई।

सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक गतिमान क्षेत्र है और आर्थिक वृद्धि का प्रमुख चालक रहा है तथा जीवीए का प्रमुख योगदानकर्ता और भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा निर्यातकर्ता है। सेवा निर्यात भारत के कुल निर्यातों के मुख्य स्तंभों में से एक बन गया है जो कई गुणा तेजी से बढ़ रहा है। सेवा निर्यात जो 2000-01 में 746 बिलियन रुपये के थे 2018-19 में 14,389 बिलियन रुपये के हो गए हैं, जिससे कुल निर्यातों में इसका भाग 26.8 प्रतिशत से बढ़कर 38.4 प्रतिशत हो गया है। विश्व सेवा निर्यातों में भी

भारत की हिस्सेदारी 2005 में 2 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 3.5 प्रतिशत हो गई है। यह हिस्सेदारी विनिर्माण निर्यातों की तुलना में कहीं अधिक है, जो 2017 में 1.8 प्रतिशत थी।

समग्र अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ गई है और अब यह 54 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर है। सेवा क्षेत्र के भीतर, 'वित्तीय, रीयल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ, 'व्यापार, होटल और यातायात क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा घटक है।

सभी क्षेत्रों, श्रम, पूंजीगत और उद्यमिता से आय में हिस्सेदारी की रचना पृथक होती है। कृषि में श्रम को होने वाली आय की हिस्सेदारी बहुत कम है। क्योंकि इस क्षेत्र में भुगतान आधारित श्रम की केवल मामूली सी उपस्थिति है जो कर्मचारियों के मुआवजे (सीई) की बहुत कम हिस्सेदारी में प्रदर्शित होती है। चूंकि अधिकतर व्यक्ति अपने स्वयं के खेतों में कार्य करते हैं, अतः प्रचालनात्मक अधिशेष (ओएस)/मिश्रित आय (एमआई) की कृषि के जीवीए में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। दूसरी ओर, उद्योग और सेवाएँ क्षेत्र अपने जीवीए में कर्मचारियों के मुआवजे की उच्च हिस्सेदारी दर्शाता आ रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती ही रही है।

अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना

2018-19 में संवृद्धि की गति में कुछ धीमेपन के बाद अर्थव्यवस्था में बहाली दर्शाते हुए वर्ष, 2019-20 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष, 2019-20 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि होनी संभावित है क्योंकि वृहद अर्थव्यवस्था की स्थितियों के स्थिर बने रहने की संभावना है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए संरचनात्मक सुधार उपाय आगे भी जारी रहेंगे, फिर भी, 2019-2020 में नकारात्मक जोखिम और विपरीत संभावनाएँ दोनों जारी हैं। निवेश दर जो 2011-12 से गिर रही थी, निम्नतम स्तर पर पहुँच गई प्रतीत होती है। उच्च ऋण वृद्धि तथा मांग में सुधार होने के बल पर वर्ष, 2019-20 में इस निवेश दर के बढ़ने की संभावना है। देश में राजनीतिक स्थिरता आर्थिक संभावनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ा सकती है, जबकि कारोबार संभावनाओं में उच्च क्षमता का उपयोग और इजाफा 2019-20 में निवेश गतिविधियों को बढ़ा सकता है।

अर्थव्यवस्था के विकास मार्ग का निर्धारण करने के लिए उपभोग का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा। ग्रामीण मजदूरी वृद्धि जो कम हो रही थी, ऐसा लगता है कि निम्नतम स्तर पर आ गई है और 2018 के मध्य से इसमें वृद्धि शुरु हो गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि से ग्रामीण माँग बढ़ने में मदद मिलनी चाहिए। खाद्य कीमतें बढ़ने से ग्रामीण आय और खर्च की क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलनी चाहिए और इसलिए ग्रामीण उपभोग की मांग बढ़ सकती है। प्रधान मंत्री किसान योजना की घोषणा सरकार द्वारा 2 हेक्टेयर तक संयुक्त रूप से भूमि धारित/स्वामी छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता देने हेतु की गई थी। सभी किसानों को लाभ देने के लिए न्यूनतम भूमि धारिता की शर्त को बाद में हटा दिया गया है।

2018-19 में तेल के दाम 14 अमेरिकी डॉलर/प्रति बैरल तक बढ़ गए हैं, फिर भी, वर्तमान स्तर (2019-20 के लिए तेल की भावी कीमत के आधार पर) से इनके 2019-20 में घटने की संभावना है। यह उपभोग में एक सकारात्मक बल प्रदान कर सकता है। हालांकि इसके बावजूद उपभोग में नकारात्मक जोखिम बने हुए हैं। कृषि क्षेत्र में पुनः लाभ की सीमा और कृषि की कीमतें ग्रामीण खपत को बल देने का कार्य करेगी, जो मानसून की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। मौसम सूचना विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष देश में पूर्ण रूप से सामान्य वर्षा होने की संभावना है। इससे कृषि क्षेत्र की वृद्धि में बेहतरी आ सकती है। फिर भी, आईएमडी के अनुसार कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। यह कुछ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। यदि एनबीएफसी (Non Banking Finance companies) क्षेत्र का प्रभाव इस वर्ष से और आगे पड़ता है तो इससे एनबीएफसी से ऋण कम लिया जा सकता है और खर्च में उच्च वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

यदि यथास्थिति बनाई रखी जाए तो 2019-2020 के लिए निर्यात वृद्धि के कमजोर रहने की संभावना है। विश्व अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बीच व्यापार में तनाव बढ़ने से उत्पन्न खतरे का सामना कर रही है, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला, ब्रेक्जिट के परिणाम और चीन की वृद्धि में कमी के जोखिम से बड़े पैमाने पर उथल-पुथल हो सकती है। विश्व में संवृद्धि में कमी और व्यापार में तनाव से बढ़ती अनिश्चितता निर्यात की माँग पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकती है, जिससे भारत सहित कई देशों, की जीडीपी की वृद्धि दर और कम होगी। कुल मिलाकर, 2019-20 में 7 प्रतिशत की संभावित संवृद्धि अर्थव्यवस्था की दशाओं के बेहतर होने का संकेत कर रही है।

निष्कर्ष

भारतीय की अर्थव्यवस्था में निजी निवेश में तेजी और मजबूत उपभोग वृद्धि होने की संभावना के चलते भारत का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

2. मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

संदर्भ

पिछले वर्ष मौद्रिक नीति में काफी बड़ा उलट-फेर हुआ। हालांकि, नकदी की स्थिति सितम्बर 2018 से व्यवस्थित रूप से तंग रही है। गैर निष्पादक परिसंपदाओं के अंतर में कमी और साख प्रसार में तेजी के कारण बैंकिंग प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

वर्ष 2018-19 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

अब तक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति की छह बैठकें वर्ष 2018-19 और दो बैठकें वर्ष 2019-20 में सम्पन्न हो चुकी हैं। कच्चे तेल की दरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति में सख्ती की आशंका के कारण मुद्रास्फीति में अनुमानित जोखिम के कारण, मौद्रिक नीति समिति ने अपने द्वितीय और तृतीय द्विमासिक-नीति विवरण में दोनों बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करने और नीति रुख को तटस्थ रखने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को ज्यादा ऋण देने का मुख्य कारण इस वर्ष के दौरान खुले बाजार की क्रियाओं (ओएमओ) द्वारा सरकार को सहारा दिया जाना है।

बैंकिंग प्रणाली के पास जमा राशि, (मांग और सावधिक दोनों में), वर्ष 2018-19 के दौरान 9.6 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गई जोकि वर्ष 2017-18 के दौरान 5.8 प्रतिशत थी।

तरलता की प्रावस्था और इसका प्रबंधन

वर्ष 2018-19 में, अगस्त 2018 तक नकदी की प्रावस्था नरम थी किन्तु इसमें सितम्बर 2018 से क्रमशः तंगी देखी गयी है। तरलता की स्थिति, औसतन, 2018-19 की अन्तिम दो तिमाहियों और साथ ही वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही में घाटे में रही है।

सितम्बर 15 और 26 के बीच पहली बार बैंकिंग प्रणाली में नकदी की बड़ी कमी देखी गई और यह कमी लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए की थी। परिणामतः भारतीय रिजर्व बैंक, ने 30,000 करोड़ के OMOs प्रारंभ किए। इस कदम से अस्थायी रूप से तरलता में सुगमता तो प्राप्त हो गई लेकिन नकदी की कमी लगातार बनी रही है।

दिसम्बर 2018 के मौद्रिक नीति विवरण में यह दर्शाया गया कि बैंकिंग प्रणाली नकदी संकट से जूझ रही है। इस विवरण में यह भी ध्यान दिया गया है कि सख्त तरलता प्रावस्था का मुख्य कारण विभिन्न अवसरों पर मौद्रिक नीति का उल्लंघन किया जाना है। परिणामस्वरूप, दिसम्बर और जनवरी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वह अपनी खुला बाजार संचालन नीति का स्तर बढ़ाएगा। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि तरलता पर लगातार नजर रखी जाएगी और मूल्यांकन के आधार पर, मार्च 2019 के अंत तक, भारतीय रिजर्व बैंक इसी मात्रा में खुले बाजार संचालन के माध्यम से खरीदारी करेगा।

यह ध्यान रखा जाए कि आरबीआई ने जून 2016 में, अपने तरलता प्रबंधन के उद्देश्य को बदल दिया था। इस समयावधि से पूर्व, आरबीआई, बैंकों की नकदी में कमी का लगभग 1% शुद्ध सावधिक और मांग उत्तरदायित्व के आधार पर प्रबंधन करती थी।

सख्त तरलता का प्रभाव ब्याज दरों पर भी पड़ा है। पहला, वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम दो तिमाहियों में बैंकों द्वारा ऋण देने में सुधार हुआ है, किन्तु बैंक जमा की वृद्धि उत्साहहीन रही है। दूसरा, इस अवधि के दौरान, परिचालन में मुद्रा की गति में भी वृद्धि हुई है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, विनिमय दर की अस्थिरता को सरल बनाने के लिए वर्ष 2018-19 में आरबीआई द्वारा अपने विदेशी विनिमय रिजर्व को 32 मिलियन डॉलर कम किया गया। परिणामस्वरूप, प्रणाली से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की नकदी को खींच लिया गया था। आरबीआई ने इस मामले का समाधान करने के लिए खुले बाजार संचालन द्वारा तरलता का संचार किया है।

जी-सेक मार्केट का विकास

कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने के कारण और संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्याज दर अधिक हो जाने के कारण अगस्त 2018 में जो मुद्रा का अवमूल्यन हो गया था, उससे अगस्त में यह प्रतिफल और सुदृढ़ हो गया जो सितम्बर तक चलता रहा, जिससे जुलाई के अंत से लेकर सितम्बर के मध्य तक इस प्रतिफल में 40 बीपीएस तक की बढ़ोत्तरी हो गई। इस प्रतिफल में सितम्बर के अंत में नरमी आई जिससे भारतीय रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करने वाले उपायों के बारे में पता चला और साथ में यह भी आशा बंधी कि 2018-19 के दूसरे चरण में केन्द्र सरकार के बाजार उधार में भी कमी आएगी।

बैंकिंग क्षेत्र

बैंकिंग क्षेत्र के (घरेलू प्रचालन), विशेष कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में 2018-19 में सुधार आया है। सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों का पूंजी और जोखिम भारित परिसंपदा अनुपात कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो (CRAR), मार्च 2018 से दिसम्बर 2018 के बीच 13.8 प्रतिशत से बढ़कर 14.0 प्रतिशत तक हो गया था। बहुत हद तक ऐसा इसलिए हुआ था कि, सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों की सीआरएआर में सुधार आ गया था।

साख वृद्धि

गैर खाद्य साख संवृद्धि (NFC), जो कि पिछले कुछ वर्षों में धीमी रही थी, में 2018-19 में सुधार आया है। 2018-19 में एनएफसी में जो कुल मिलाकर बढ़ोत्तरी हुई हैं उसका मुख्य कारण बड़े उद्योगों और सेवा क्षेत्रों को दिया जाने वाला बैंक ऋण है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में 'साख' की वृद्धि साधारण रही है। 'साख' वृद्धि नवम्बर 2018 के 13.8 प्रतिशत से कम होकर अप्रैल 2019 में 11.9 प्रतिशत हो गई थी। इस साधारणता का एक मुख्य कारण सेवा क्षेत्र है जो कि नवम्बर, 2018 और अप्रैल 2019 के बीच 28.1 प्रतिशत से कम होकर 16.8 प्रतिशत हो गया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (एनबीएफसी) कंपनियों से वित्तीय क्षेत्र में विविधता आई है और ये ग्राहकों की जरूरतों के प्रति और भी संवेदी साबित हुई हैं। एनबीएफसी ने संसाधनों को जुटाने और साख मध्यस्थता में अहम भूमिका निभाई है। इससे वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों की साख के प्रसार को निम्नता से बचाए रखा है।

हालांकि एनबीएफसी को 2018-19 में कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ा क्योंकि इनकी रेटिंग्स कम हो गयी थी और आईएल एण्ड एफएस ग्रुप में खराबी आ गई थी। एनबीएफसी बहुत हद तक सार्वजनिक कोष पर निर्भर करते हैं जिसका इस क्षेत्र के कुल दायित्व में 70 प्रतिशत अंश है। बैंक उधारी, डिबेन्चर्स और वाणिज्यिक पेपर एनबीएफसी के कोष के बड़े स्रोत हैं। आईएल एण्ड एफएस के संकट के तत्काल बाद एनबीएफसी को लिक्विडिटी के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा क्योंकि म्युचुअल फण्ड्स ने एनबीएफसी को ऋण देना बंद कर दिया। हालांकि, सरकार जल्दी ही सक्रिय हुई और तत्काल कदम उठाए जिससे कि इस समस्या को आगे बढ़ने से रोका जा सका और इसका संक्रमण नहीं होने पाया। इसके परिणामस्वरूप, कुछ समय के लिए बैंकिंग क्षेत्र से एनबीएफसी को मिल रहे संसाधनों में सुधार आ गया था।

पूंजी बाजार का घटनाक्रम

प्राथमिक बाजारः पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में सार्वजनिक निर्गमन के माध्यम से जो संसाधनों का संग्रहण किया जाता है उसमें कमी आ गई थी और इक्विटी के 'राइट्स इश्यू' में भी कमी आ गई थी। 2018-19 के दौरान 123 कंपनियों ने पब्लिक इक्विटी इश्यू के द्वारा 16,089 करोड़ रुपये जुटाये थे जबकि पिछले वर्ष 202 कंपनियों ने 83,696 करोड़ रुपये जुटाये थे जिससे पता चलता है कि पिछली अवधि की तुलना में इस वर्ष 81 प्रतिशत की कमी आई है।

निजी नियोजनः 2018-19 के दौरान पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय कॉर्पोरेट्स ने निजी नियोजन का रास्ता अपनाया। वर्ष 2018-19 में ऐसे 416 ईश्यू जारी किये गये जिनसे 2,17,632 करोड़ रुपये जुटाये गये थे जबकि 2017-18 में 460 इश्यू जारी करके 1,26,711 करोड़ रुपये जुटाये गये थे।

म्युचुअल फण्ड से सम्बन्धित क्रिया-कलापः 2017-18 के दौरान 2,71,297 करोड़ रुपये की तुलना में 2018-19 में म्युचुअल फंड उद्योग में 1,09,701 करोड़ रुपये आए थे। सभी म्युचुअल फंड के प्रबंधन के अंतर्गत संचित निवल परिसम्पत्ति मार्च 2018 में 21,36,036

करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 2019 में 23,79,584 करोड़ रुपये हो गई है।

फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (एफपीआई) द्वारा निवेश: एफपीआई द्वारा 2018-19 में 5,499 करोड़ रुपये का बहिर्निवेश हुआ था जबकि 2017-18 में अन्तर्निवेश 22,466 करोड़ रुपये का रहा था। इस प्रकार एफपीआई द्वारा किया गया कुल संचित निवेश 31 मार्च 2018 के 253,653 करोड़ रुपये से कम होकर 31 मार्च 2019 को 248,154 करोड़ रुपये हो गया था। भारत में एफपीआई की कुल परिसम्पत्ति 31 मार्च 2018 को 31,48,349 करोड़ रुपये से बढ़कर 33,42,680 करोड़ रुपये हो गई है।

बीमा क्षेत्र: बीमा-क्षेत्र की क्षमता और निष्पादन को सामान्यतया दो मापदंडों के आधार पर मापा जाता है—बीमा का विस्तार और बीमा का घनत्व। विस्तार और घनत्व के इन मापदंडों से किसी क्षेत्र में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर के बारे में जानकारी मिलती है। जहाँ एक ओर बीमा क्षेत्र के विस्तार का मापन सकल घरेलू उत्पाद में बीमा प्रीमियम की प्रतिशतता के आधार पर होता है वहीं बीमा के घनत्व की गणना जनता के प्रीमियम के आधार पर की जाती है।

बीमा विस्तार जो कि 2001 में 2.71 प्रतिशत था बढ़कर 2017 में 3.69 प्रतिशत हो गया (जीवन 2.76 प्रतिशत और गैर-जीवन 0.93 प्रतिशत)।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, सामान्य बीमाकर्ताओं (भारत में) का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 2016-17 के 128.130 हजार करोड़ रुपये से 17.6 प्रति की वृद्धि के साथ 150.660 हजार करोड़ रुपए पहुँच गया।

शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता 2016: कॉर्पोरेट संकटग्रस्तता का समाधान करने का नवीन प्रतिमान

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र देश के आर्थिक विकास को प्रेरित करने वाले कारकों में सबसे आगे रहा है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में, यह क्षेत्र विभिन्न कारणों से एनपीए के बढ़ने के चलते त्रस्त रहा है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, सरकारी बैंकों के लिए कुल संकटग्रस्त परिसंपदाओं का संचयन लगभग 10.6 लाख करोड़ रुपए और समग्र बैंकिंग प्रणाली के लिए 12-13 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

संकटग्रस्त परिसंपदाओं का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण और ठोस प्रयास करने की आवश्यकता होती है। 2014 से, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और व्यष्टिगत बैंकों द्वारा बचाव करने और पुनरुद्धार के लिए समर्थ बनाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के प्रवर्तन से सुदृढ़, आधुनिक और परिष्कृत संरचना की स्थापना हुई। आईबीसी में संकटग्रस्त कॉर्पोरेट देनदारों (सीडी) के लिए समाधान हासिल करने और इस कार्य में असफल रहने पर, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की बिना दखल वाले पर्यवेक्षण के अधीन समयबद्ध तरीके से इनके परिनिर्धारण की व्यवस्था की गई है। वित्तीय लेनदारों (एफसी) को लेनदारों की समिति के जरिए बृहद भूमिका और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। देनदार की परिसंपदाओं का प्रबंधन और नियंत्रण ऐसे दिवालियापन पेशेवरों (आईपी) को सौंपा गया है, जो किसी सतत् मुद्दे के रूप में देनदार के उपक्रम का प्रचालन करने के लिए उत्तरदायी हो और अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के अलावा, कार्पोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) का प्रबंधन भी कर रहा हो।

आईबीसी का क्रियान्वयन: किसी विधि की सफलता इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। आईबीसी 28 मई, 2016 को लागू की गई थी। सरकार ने आईबीसी के प्रचालन के लिए तेजी से कार्य किया। 01 जून, 2016 को, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी), नई दिल्ली में एनसीएलटी की प्रधान पीठ और एनसीएलटी की 11 पीठों - नई दिल्ली में दो तथा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलूरू, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में प्रत्येक के लिए एक-एक पीठ का गठन किया गया।

निष्पादित प्रगति: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में 04 मई, 2017 को संशोधित किया गया ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को चूक करने वाले उधारकर्ताओं को शोधन क्षमता में ले जाने के लिए निर्देश देने में समर्थ बनाया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने आंतरिक सलाहकार समिति का गठन किया, जिसने 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, बैंकों द्वारा गैर-निष्पादनकारी के रूप में 60 प्रतिशत या अधिक के वर्गीकरण के साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया धनराशि वाले सभी निधि और गैर-निधि आधारित खातों में आईबीसी के अधीन वाद दायर करने की सिफारिश की थी।

संस्थागत प्रतिक्रिया: सरकार और विनियामक ने दायर किए गए मामलों की शोधन अक्षमता प्रक्रिया में घटनाक्रमों और सीख का गौर से अवलोकन किया तथा प्रक्रिया और निष्कर्षों को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए शीघ्रता से आवश्यक बदलाव किए। आईबीसी में संशोधनों के दो सेट जारी किए गए, पहला नवंबर, 2017 में और दूसरा जून, 2018 में। पहले संशोधन द्वारा धारा 29क की पुन:स्थापना की गई, जिसमें कतिपय अयोग्यताओं वाले व्यक्तियों द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने पर रोक लगाई गई है।

चूंकि आईबीसी के क्रियान्वयन में प्रगति हुई है, अत: आईबीसी के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए अन्य विनियामकों और एजेंसियों ने अपने प्रासंगिक नियमों और विनियमों में संशोधन किया है।

आईबीसी का प्रभाव: राष्ट्रीय समृद्धि में किसी कार्यक्षम शोधन अक्षमता प्रणाली के योगदान का मूर्त रूप से आकलन करना अकसर कठिन होता है। प्रभाव के प्रत्यक्ष उपायों से इसका महत्व कम हो जाने की गुंजाइश रहती है क्योंकि वे शोधन अक्षमता प्रणाली द्वारा अदा की जाने वाली 'समर्थकारी' और 'निवारक' भूमिका के कारण विफल भी हो सकते हैं। जहां, आईबीसी के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभावों के बारे में आने वाले समय में पता चल पायेगा, वहीं अल्पावधि लाभ पहले ही दिखाई देने लगे हैं और आईबीसी के कुछ महत्वपूर्ण लाभ सुस्पष्ट हैं।

अनुसंधान और प्रशिक्षण

आईबीसी का भविष्य ऐसे युवा उद्यमियों, पेशेवरों और विद्वानों के हाथों में है जो एक गतिशील शोधन अक्षमता संरचना के माध्यम से एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करने में योगदान करेंगे। सरकार कार्यक्रमों और संस्थाओं, जो इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगी, को शामिल करके एक उपयुक्त संरचना का सृजन करने की प्रक्रिया में है।

आईबीबीआई ने स्नातक शोधन अक्षमता कार्यक्रम की घोषणा की है, जो अपने आप में इस तरह का पहला कार्यक्रम है। यह उन लोगों के लिए है जो आईपी की विद्या को आजीविका के रूप में या मूल्य श्रृंखला में अन्य भूमिकाओं को अपनाने के आकांक्षी हैं। जीआईपी पूर्ण करने वाला विद्यार्थी आईपी के रूप में पंजीकरण कराने के लिए पात्र होगा। उसे वर्तमान में यथा अपेक्षित 10 वर्षों का अनुभव हासिल करने की अपेक्षा नहीं होगी। अत: यह युवाओं के लिए रोजगार के अवसर का मार्ग प्रशस्त करेगा।

निष्कर्ष

सीमा-पार शोधन अक्षमता: आज संसार में, व्यवसाय और कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जा रहा है। निवेशक और कंपनियां अकसर एक से अधिक सर्वभौम अधिकारिताओं में व्यवसाय करती हैं। निवेशकों, बैंकों और उसी भांति कंपनियों के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि वह इस बात की जानकारी रखें कि यदि किसी विशिष्ट देश में वित्तीय पहलू से चीजें गलत होना शुरू हो जाती हैं तो आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल लॉ ऑन क्रास-बॉर्डर इंसॉल्वेंसी (मॉडल विधि) प्रत्येक देश की आंतरिक शोधन अक्षमता और दिवालियापन विधियों में कम से कम अनुचित हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए सीमा-पार शोधन अक्षमता मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए बड़े व्यापक स्तर पर अपनाई गई संरचना है। अत्यधिक परिष्कृत अर्थव्यवस्थाओं ने बड़े बेहतर ढंग से सीमा-पार शोधन अक्षमता विधियों को तैयार किया है। भारत ने मॉडल विधि को अपनाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

समूह शोधन अक्षमता : वाणिज्यिक उद्यमों के लिए संस्थाओं के समूहों के माध्यम से कार्य करना और समूह में प्रत्येक संस्था की पृथक कानूनी विशिष्टता होना एक आम प्रचलन है। जब तक कंपनियों का समूह शोधन क्षम है और कार्य औपचारिक तौर पर विभिन्न कॉर्पोरेशनों में बंटा हुआ है तब तक कोई मुद्दा नहीं है। तथापि यदि समूह में एक या उससे अधिक कंपनियां शोधन अक्षम हो जाती हैं तो ऐसी कंपनी या कंपनियों की पृथक कानूनी विशिष्टता अथवा विशिष्टताएं कई जटिल मुद्दे पैदा कर देती हैं। इस समय, समान समूह की विभिन्न कंपनियों की शोधन अक्षमता के संबंध में प्रत्येक कंपनी हेतु पृथक शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में सुसंगत दृष्टिकोण द्वारा सूचना विषमता की समस्या का समाधान किया जा सकता है, समन्वय की स्थिति लाई जा सकेगी और शोधन अक्षमता अवसंरचना में अड़चनें और संबंधित देरी से बचाव हो सकेगा।

शोधन अक्षमता और व्यक्तियों का दिवालियापनः व्यक्तियों और भागीदारी फर्मो के लिए शोधन अक्षमता कानून लागू करने में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी व्यवसाय में कोई हिस्सेदारी नहीं है और वे व्यक्ति जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत गारंटी कॉर्पोरेट देनदारों तक बढ़ाई है अथवा जो भागीदारी फर्मो या प्रोप्राइटर फर्म के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियां चलाते हैं उनके शोधन अक्षमता और दिवालिएपन में शामिल गतिकी, दशाएं और कारकों में भिन्नता होती हैं। व्यक्ति जो व्यवसाय से जुड़े होते हैं वो उन उत्कृष्ट आर्थिक आदर्शो के अनुसार व्यवहार करते हैं जिन पर व्यावसायिक शोधन अक्षमता प्रणालियां आधारित होती हैं। इसके विपरीत बिना किसी व्यावसायिक हिस्सेदारी का व्यक्ति कुछ हद तक अनौपचारिक व्यवहार ही रखता है।

प्रक्रिया में शामिल जटिलताओं को पहचानते हुए व्यक्तियों की शोधन अक्षमता और दिवालियापन से निपट रहे आईबीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्यनीति और दृष्टिकोण सुझाने हेतु आईबीबीआई द्वारा भूतपूर्व विधि सचिव, श्री पी.के. मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कार्य दल बनाया गया है।

एनसीएलटी क्षमता में सुधारः जहां एनसीएलटी में हाल में 32 सदस्यों को नियुक्त किया गया है और 6 अतिरिक्त पदों को एन सीएलएटी के लिए संस्वीकृत किया गया है, वहीं एनसीएलटी और एनसीएलएटी की क्षमता की समय-समय पर समीक्षा करनी होगी और जरूरी अवसंरचना सहायता उपलब्ध करानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों से अवगत रहने हेतु एक केन्द्रीयकृत अनुसंधान विंग द्वारा एनसीएलटी को सहायता दी जा सकती है। यह कार्य आदर्श कानून के व्यवस्थापन के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। यद्यपि एनसीएलटी और आईबीबीआई द्वारा कुछ हद तक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। तथापि शोधन अक्षमता के मामलों के संबंध में कड़ाई से समयबद्धता पर नजर रखने हेतु एनसीएलटी द्वारा मामले के प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को अग्रिम स्तर पर लाना महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी का उपयोग जमीनी स्तर पर आईबीसी के प्रभाव की लगातार समीक्षा और विश्लेषण हेतु डाटा खनन भी किया जा सकता है। आईपी को प्रभावी सीआईआरपी के उद्देश्य से डाटा एकत्रण और उपलब्धता की गति को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।
- निवेश मॉडल।

■

3. कीमतें और मुद्रास्फीति : निगरानी एवं प्रबंधन

संदर्भ

वित्त वर्ष 2019 के दौरान हेडलाइन (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति के कम रहने के कारण निरन्तर, कमी की ओर अग्रसर थी। वित्त वर्ष 2018-19 के प्रथम सात महीनों में से छः महीनों में मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से ऊपर थी, जो नवम्बर के बाद कम होना शुरू हुई।

इस दौरान सेवाओं और वस्तुओं में भिन्न-भिन्न रुझान रहे। ग्रामीण मुद्रास्फीति सामान्य थी परन्तु शहरी मुद्रास्फीति में पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में बढ़ोतरी हुई। वर्ष के दौरान राज्यों में भी मुद्रास्फीति में गिरावट हुई।

उल्लेखनीय है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति (Headline Inflation) के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं को शामिल किया जाता है। जबकि कोर मुद्रास्फीति के अंतर्गत सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है सिर्फ कमोडिटी और तेल (Oil) को छोड़कर।

परिचय

अर्थव्यवस्था में पिछले पाँच वर्षों में उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति से स्थिर और निम्न मुद्रास्फीति की स्थिति देखी गई है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति में पिछले पांच वर्षों में नियमित रूप से गिरावट हो रही है। सीपीआई मुद्रास्फीति 2018-19 में घटकर 3.4 प्रतिशत रह गई है, जो 2017-18 में 3.6 प्रतिशत, 2016-17 में 4.5 प्रतिशत, 2015-16 में 4.9 प्रतिशत और 2014-15 में 5.9 प्रतिशत थी। यह अप्रैल 2018 के 4.6 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 2019 में 2.9 प्रतिशत थी। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक

(सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 2018-19 में 0.1 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति 2016-17 में 1.7 प्रतिशत, 2015-16 में 3.7 प्रतिशत और 2014-15 की 1.2 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 3.0 प्रतिशत के स्तर पर सामान्य रही। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 4.3 प्रतिशत थी।

मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृत्तियाँ

औसत सीपीआई-सी हेडलाइन मुद्रास्फीति (Headline Inflation) में 2018-19 में 3.4 प्रतिशत तक गिरावट हुई, जो सीपीआई की नई श्रृंखला शुरू हाने से लेकर अब तक न्यूनतम औसत है। हेडलाइन सीपीआई-सी मुद्रास्फीति लगातार दो वर्षों से 4 प्रतिशत से कम रही है। वित्त वर्ष 2018-19 में मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्यत: कम खाद्य मुद्रास्फीति के कारण रही, जो -2.6 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2018-19 के लगातार आठ महीनों के दौरान सामान्य मुद्रास्फीति दर को 4 प्रतिशत से कम रखा गया। अप्रैल 2019 में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति मार्च, 2019 के समान 2.9 प्रतिशत थी, जबकि अप्रैल 2018 में 4.6 प्रतिशत थी।

देश में खाद्य मुद्रास्फीति अत्यधिक अनुकूल रही है। हालांकि वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति भी सामान्य रही है। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में 2016-17 की 4.2 प्रतिशत से 2017-18 में 1.8 प्रतिशत तक गिरावट हुई, जो 2015-16 में 4.9 प्रतिशत और 2014-15 में 6.4 प्रतिशत थी। औसत खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2018-19 में 0.1 प्रतिशत तक कम हुई। खाद्य मुद्रास्फीति मार्च 2019 के 0.3 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 2019 में 1.1 प्रतिशत थी और अप्रैल 2018 में यह 2.8 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में खाद्य वस्तुओं में अपस्फीति का मुख्य कारण सब्जियों, फलों, दालों और दाल से बने उत्पादों, चीनी और मीठे खाद्य उत्पादों और अण्डों की कीमतों में गिरावट है, जो समग्र सीपीआई-सी का 13.1 प्रतिशत बैठता है। समग्र सीपीआई-सी में सब्जियों का हिस्सा 6.04 प्रतिशत बैठता है। इसमें 2018-19 में 5.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। दालें और उत्पाद जिनका हिस्सा 2.4 प्रतिशत है, उनमें भी वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8.3 प्रतिशत मुद्रा-अवस्फीति दर्ज की गई।

दाल कीमतों में उतार चढ़ाव कम रहे हैं। सभी दालों में मूंग दाल की कीमतों में कम उतार-चढ़ाव देखा गया।

विगत दो वित्तीय वर्षों में थोक कीमत सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। यह 2018-19 में 0.6 से अधिक थी। 2018-19 के दौरान डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्यत: दालों, सब्जियों, फलों और चीनी की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है, जो समग्र डब्ल्यूपीआई बॉस्केट का 5.2 प्रतिशत बैठता है। डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल 2018 में 0.8 प्रतिशत और मार्च 2019 में 3.9 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 2019 में 4.9 प्रतिशत थी।

मुद्रास्फीति के कारक

अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीआई-सी मुद्रास्फीति इन मुख्य समूहों से प्रभावित रही जैसे कि घर (आवासीय), ईंधन तथा बिजली आदि। वस्तु मुद्रास्फीति जो कि सीपीआई-सी का 76.6 प्रतिशत अंश थी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.2 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2.6 प्रतिशत हो गयी। इसके विपरीत सेवा की मुद्रास्फीति जो कि 23.4 प्रतिशत भाग थी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5.0 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6.3 प्रतिशत हो गयी थी।

वस्तु मुद्रास्फीति की तुलना में सेवा में मुद्रास्फीति अधिक रही है और दोनों के बीच अन्तर बढ़ रहा है। हाल ही में, सेवा मुद्रास्फीति ने हेडलाइन मुद्रास्फीति को प्रभावित किया है, इसने अपने भार से अधिक का (सीपीआई-सी में 23.4 प्रतिशत) का योगदान दिया है। सेवाओं की 40 मदें सीपीआई-सी में 23.37 प्रतिशत हिस्सा रखती हैं। सेवाक्षेत्र में आवासीय मद उच्चतम रहा (10.07 प्रतिशत), उसके बाद परिवहन और संचार (4.59 प्रतिशत), शिक्षा (3.51 प्रतिशत) और स्वास्थ्य (1.82 प्रतिशत) आते हैं। ड्राइविंग सेवा मुद्रास्फीति के निर्धारण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और संचार नें मुख्य योगदान दिया है । शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य मुद्रास्फीति अधिक प्रमुख थी, जो संभवत: आपूर्ति बाधा के कारण रही हो।

ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति

शहरी और ग्रामीण मुद्रास्फीति दोनों में कमी को भी वर्तमान में मुद्रास्फीति के निम्न होने का कारण माना गया है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न शहरी मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति की तुलना जब ग्रामीण मुद्रास्फीति से की गई तो पाया गया कि वह कम हो रही है। जुलाई 2018 से ग्रामीण मुद्रास्फीति में शहरी मुद्रास्फीति से अधिक तेजी से गिरावट आई है। परिणामस्वरूप हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। खाद्य मुद्रास्फीति में संयम के कारण ग्रामीण मुद्रास्फीति में कमी आई है जो कि छह महीनों में (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019) ऋणात्मक रही है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण मुद्रास्फीति को निर्धारित करने में खाद्य की महत्ता घटती जा रही है।

इसके विपरीत, ग्रामीण मुद्रास्फीति को निर्धारित करने वाली सेवाओं में विविध वर्ग की भूमिका बढ़ गई है। वर्ष 2018-19 में सीपीआई (ग्रामीण) का मुख्य प्रचालक विविध वर्ग रहा है- यह इस स्फीति के 70 प्रतिशत अंश के लिए उत्तरदायी था। शहरी क्षेत्रों के भी विविध वर्ग का स्फीति में योगदान वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग इतना ही रहा है।

राज्यों में मुद्रास्फीति

2018-19 के दौरान कई राज्यों ने सीपीआई मुद्रास्फीति में गिरावट देखी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशो में मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से कम थी। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में मुद्रास्फीति 1.5 प्रतिशत से 12.4 प्रतिशत की तुलना में राज्यों में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में (-)1.9 प्रतिशत से 8.9 प्रतिशत के बीच मे थी। 16 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति दर वित्तीय वर्ष 2018-2019 के औसत अखिल भारतीय से कम है जिसमें दमन और दीव में सबसे कम और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 13 राज्यों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 16 मुख्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशो में मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत से कम दर्ज किया गया। हालांकि, शहरी क्षेत्र के मामलों में 2017-2018 में 15 राज्यों के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 9 राज्यों ने 4 प्रतिशत से कम मुद्रास्फीति दर्ज की है।

वस्तु कीमतों में वैश्विक रुझान

विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित वस्तु कीमतों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऊर्जा वस्तु कीमतों में बढ़ोतरी के रुझान जारी रहे हैं। 2017-2018 में 16.8 प्रतिशत की तुलना में 2018-2019 में 22.1 प्रतिशत औसत मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के ''ईंधन और विद्युत'' घटक के उतार चढ़ाव विश्व बैंक ऊर्जा कीमत सूचकांक का अनुसरण करते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-2018 के 8.1 प्रतिशत

की तुलना वित्तीय वर्ष 2018-2019 से की गई तब उसमें औसतन 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान विश्व बैंक की खाद्य कीमतों और साथ ही साथ खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की खाद्य कीमतों में भी अवस्फीति दर्ज कराई गई है। 2018-2019 के दौरान भारत में भी डब्ल्यूपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में भी गिरावट आई है।

मुद्रास्फीति को रोकने के प्रयास

केन्द्र सरकार लगातार कीमतों की स्थिति पर निगरानी रखती है क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना इसके नीतिगत सरोकारों का प्रमुख हिस्सा है। सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए हैं विशेषत: खाद्य मुद्रास्फीति के संबंध में इन कदमों में सामान्य कदम और विशिष्ट कदम दोनों ही शामिल हैं।

मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सामान्य रूप से निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं-

पहला, जहाँ और जब भी जरुरत पड़ती है, राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे जमाख़ोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, विशेषकर तब जब जिन्सों (Commodity) की आपूर्ति कम हो रही हो। ऐसे उपाय विशेष रूप से आवश्यक जिन्स अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी निवारक और आवश्यक जिन्स आपूर्ति बहाली अधिनियम, 1980 के अंतर्गत की जाती है। दूसरा, प्रमुख जिन्सों की कीमतों और इनकी उपलब्धता के बारे में उच्च स्तर पर समीक्षा बैठकें होती रहती हैं।

इन बैठकों में मंत्रिस्तरीय समिति, सचिवों की समिति, अंतरमंत्रालयीन समिति, कीमत स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति और अन्य विभाग स्तरीय समीक्षा समितियाँ आती हैं। तीसरा, दलहन और अन्य उन फसलवालों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की घोषणा की जाती है जिनके उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता है। इनसे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ती है और कीमतों को कम रखने में मदद मिलती है, जिसका उद्देश्य दलहन, प्याज जैसी कृषि जिन्सों की कीमतों पर नियंत्रण रखना है और अन्तत: सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष बनाया है ताकि उपलब्धता में सुधार और कीमतों में संतुलन हेतु खरीदे गए आलू, प्याज तथा दालों समेत कृषि वस्तुओं को मंदी के दौरान जारी किया जा सके।

सरकार ने जो विशेष उपाय किए हैं वे निम्नलिखित हैं-

पहला, 2017-2018 और 2018-2019 की कमी वाली अवधि के दौरान, प्याज की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए पीएसएफ (मूल्य स्थिरीकरण कोष) के अंतर्गत खरीदे गए स्टॉक से किफायती कीमतों पर प्याज को बेचा गया। दूसरा, बफर की दालों में कीमत प्रबंधन, संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने जैसे दोपहर की भोजन योजना के लिए राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश को आपूर्ति, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और जन वितरण योजना और खुले बाजार में बिक्री आदि को युक्तिपूर्ण बाजार हस्तक्षेप में उपयोग हो रहा है। इसके अतिरिक्त, बफर की दालों का उपयोग सेना और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। तीसरा, सरसों के तेल को छोड़कर सभी प्रकार के तेलों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। 5 किलो के ब्रांडेड उपभोक्ता पैकेटों में सरसों के तेल का निर्यात न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत 900 अमेरिकी डालर प्रति मिलियन टन के हिसाब से निर्यात किए जाने की अनुमति दी गयी है और अंत में राज्यों/संघ राज्यों को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वे खाद्य तेलों के भंडारण पर अपनी सीमा तय कर सकते हैं। इस प्रकार 13 जून, 2018 की एक अधिसूचना के माध्यम से खाद्य तेलों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है।

निष्कर्ष

वित्त वर्ष 2018-19 में खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति कम रही है। इस वर्ष दालों, सब्जियों और चीनी की कीमतों में कमी का रुख देखा गया है हालाँकि कोर मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रही है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2018-19 में गिरावट आई है, तथापि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई। बहुत से राज्यों में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में कमी देखी गई है। इस तरह भारत सरकार मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए कई कदम उठा रही है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न मुद्दे।
- सरकारी बजट।

■

4. सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन

संदर्भ

विश्व के सभी देश वर्ष 2030 तक अपने वैश्विक एजेंडा के तहत गरीबी हटाने, स्त्री-पुरुष के बीच समानता तथा आर्थिक समता को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ परिवेश सुनिश्चित किया जा सके। गौरतलब है कि ये लक्ष्य बहुआयामी हैं और सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं को समेकित रखने वाले हैं।

परिचय

वर्ष 2015 में विश्व के नेताओं द्वारा अंगीकृत, सतत् अथवा संधारणीय विकास हेतु एजेंडा 2030 तथा इसके 17 सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) समस्त राष्ट्रों के लिए गरीबी उन्मूलन, पर्यावरणीय सततता, शांति और समृद्धि पर फोकस के साथ भावी विकास का रोडमैप प्रस्तुत करते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनिवार्यता किसी एक देश के लिए नहीं है अपितु यह अनिवार्यता समग्र 'वैश्विक समुदाय' की है। भारत के विकास की कार्य सूची दीर्घकाल से जिन सिद्धांतों पर आधारित रही है, वे 2030 के विकास एजेंडा में प्रस्तुत किए गए विचारों से मिलती-जुलती है। जलवायु परिवर्तन के लिए संगठित वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता होती है और भारत भी जलवायु परिवर्तन में सुधार लाने के लिए प्रयास कर रहा है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्टेशनों के स्थापना हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। भारत में बढ़ती हुई विकास दर तथा तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण ने प्राकृतिक संसाधनों की माँग को एकाएक बढ़ा दिया है जिससे पर्यावरण पर दबाव पड़ा है तथा सतत् विकास संबंधी मुद्दे उभरकर सामने आये हैं। देश में संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति करने में उनका दक्षता पूर्वक उपयोग बहुत बड़ा साधन बन सकता है जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत किफायती सिद्ध हो सकता है। भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा बन गया है। भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम'' प्रारंभ किया जा चुका है जिससे

व्यापक स्तर पर पूरे देश में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोका जा सके।

सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना

एसडीजी एक प्रकार का वैश्विक लक्ष्य है। ये व्यापक, सार्वभौमिक और एकीकृत है तथा गरीबी एवं असमानता, आर्थिक विकास, नवाचार, सतत् उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, शांति एवं न्याय और सहभागिता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देते हैं।

एक आकलन के अनुसार, प्रति वर्ष 5 से 7 ट्रिलियन यू.एस. डॉलर की आवश्यकता विश्व भर में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में होगी और प्रति वर्ष 3.9 ट्रिलियन यू.एस. डॉलर की आवश्यकता विकासशील देशों में होगी।

एसडीजी की ओर भारत के कदम

सतत् विकास में अपेक्षा रहती है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने लक्ष्यों की प्राथमिकता का निर्धारण करें और स्थानीय चुनौतियों, क्षमताओं व उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सावधानीपूर्वक विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत ने अपने एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ''समग्र-दृष्टिकोण'' का अनुपालन किया है जिसके लिए विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ किया जा चुका है। भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रमों जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने सतत् विकास को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति में प्रमुख रूप से योगदान दिया है।

भारत ने एसडीजी 10 (असमानता में कमी) और एसडीजी 15 (लाइफ ऑन लैंड) की उपलब्धि के साथ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति की है। कुछ राज्यों ने इन एसडीजी सूचकांक में 100 अंक प्राप्त किए हैं। ऐसा इस कारण से हुआ है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति तथा हरित राजमार्ग नीति जैसी महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। भारत एसडीजी 5(लैंगिक समानता) और एसडीजी 11 (संधारणीय शहर और समुदाय) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत है। एसडीजी 11 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में गोवा, अग्रणी रहा है क्योंकि यहां अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य बेहतर तरीके से हो रहा है।

नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक (कंपोजिट इंडेक्स) का भी विकास किया है जिसमें प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करके दिखाया गया है। सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र की तुलना में केरल व हिमाचल प्रदेश का प्राप्तांक 69 रहा है। तमिलनाडु भी तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है। संघ राज्य क्षेत्रों में चंडीगढ़ व पुदुचेरी क्रमशः 68 तथा 65 के प्राप्तांक के साथ अग्रणी हैं। केरल का उत्तम कार्यनिष्पादन स्वास्थ्य व्यवस्था, भुखमरी निवारण, लैंगिक समानता और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में है। हिमाचल प्रदेश ने असमानताओं में कमी करने और पर्वतीय पास्थितिकी के संरक्षण के साथ स्वच्छ-जलापूर्ति एवं स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। संघ राज्य क्षेत्रों में चंडीगढ़ ने वहनीय स्वच्छ ऊर्जा और गुणात्मक शिक्षा के साथ-साथ स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करने के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है।

गंगा-भारत की जीवन रेखा

एसडीजी 6 (सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और संधारणीय प्रबंधन) को प्राप्त करने के संबंध में सरकार की एक मुख्य अग्रणी नीति, ''नमामी गंगे'' मिशन के माध्यम से गंगा की स्वच्छता सुनिश्चित करना रही है। 2015-2020 के लिए 20,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ एक अग्रणी कार्यक्रम के रूप में यह मिशन शुरू किया गया था। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम पर 6106.25 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

नमामि गंगे मिशन के मुख्य घटक

सीवरेज परियोजनाओं का प्रबंधनः सीवरेज परियोजनाओं के लिए हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM) के सार्वजनिक निजी साझेदारी का प्रयोग प्रयास से किया जा रहा है।

शहरी स्वच्छताः भारत के उन 10 शहरों की पहचान की गई है जो गंगा में 60 प्रतिशत से अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इस मिशन के द्वारा आगामी वर्ष 2035 के लिए वाहित-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण और पुनःस्थापन, नालों के उद्गम और पथ परिवर्तन, घाटों पर स्वच्छता अभियान के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नदी के तल की सफाई के लिए झरनों के नियोजन के माध्यम से इन शहरों में पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ाया गया है।

औद्योगिक प्रदूषणः औद्योगिक इकाई से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की स्रोत बिंदु का उपयुक्त आकलन और निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए 1109 प्रदूषक उद्योगों की पहचान की गई और 12 तकनीकी संस्थानों द्वारा एक-एक करके इनका सर्वेक्षण किया गया है। 2017 के मुकाबले 2018 में प्रचालित जीपीआई के अनुपालन में 39 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक सुधार हुआ है।

जल की गुणवत्ताः नमामि गंगे कार्यक्रम के अधीन 36 रियल टाइम जल गुणवत्ता अनुवीक्षण केंद्र (आरटीडब्ल्यूक्यूएमएस) कार्यरत हैं।

सार्वजनिक स्थान के रूप में गंगाः इस मिशन के अंतर्गत 143 घाट लिए गए हैं जिनमें से 100 घाटों का कार्य पूरा हो गया है। सुरक्षित दाह संस्कार सुनिश्चित करने के लिए 54 शवदाह गृहों को भी लिया गया है।

ग्रामीण स्वच्छताः लगभग 11 लाख स्वतंत्र शौचालयों के निर्माण कार्य के समापन के साथ ही गंगा तट पर स्थित 4465 ग्रामों को खुले में शौच मुक्त किया जा चुका है। गंगा के किनारे 1662 ग्राम पंचायतों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता भी प्रदान की जा रही है।

पारिस्थितिक तंत्र संरक्षणः गंगा नदी के तट पर वृक्षारोपण का कार्य वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून की सहायता से वैज्ञानिक तरीके से लिया गया है। पाँच गंगा प्रदेशों में कुल 96,46,607 वृक्ष लगाकर किए गए व्यापक वृक्षारोपण अभियान में स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया गया है जिसके कारण हरित क्षेत्र में 8631 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

शहरी नदी प्रबंधनः स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन में शहरी नदी प्रबंधन योजना तैयार किया जा रहा है ताकि नगर के भीतर नदी की स्थिति को संरक्षित किया जा सके और उसमें वृद्धि की जा सके। इसके अलावा नदियों की बिगड़ती स्थिति को रोका जा सके और जल संसाधनों का सतत् प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

जल प्रयोग दक्षताः शोधित अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग के लिए एक बाजार विकसित किया जा रहा है और मथुरा रिफाइनरी में 20 एमएलडी शोधित अपशिष्ट जल का पुनः प्रयोग अपशिष्ट से संपदा अर्जन दृष्टिकोण और जल-संकट ग्रस्त यमुना नदी के बचाव के प्रयास में एक मील का पत्थर है।

स्वच्छ गंगा निधिः स्वच्छ गंगा निधि की स्थापना की गई है और कॉर्पोरेट एवं व्यक्तियों को इस निधि में योगदान करके और कुछ खास

परियोजनाओं को प्रायोजित करके गंगा नदी के कायाकल्प के प्रयासों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

संसाधन दक्षता

संसाधन दक्षता (Resource efficiency) सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने के 2030 एजेंडा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है। एसडीजी 12 का उद्देश्य एसडीजी के आठ अन्य लक्ष्यों (2, 6, 7, 8, 9, 11, 14 और 15) के साथ संधारणीय खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना है, जिसका असर संसाधन दक्षता पर पड़ेगा। संधारणीय खपत और उत्पादन भी भारत सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय रहा है और यह विभिन्न नीतियों/कार्यक्रमों की घोषणाओं जैसे मेक इन इंडिया, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट योजना, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत और गंगा जीर्णोद्धार मिशन में परिलक्षित होता है।

भारत में आर्थिक विकास और शहरीकरण से प्राकृतिक संसाधनों की माँग बढ़ी है। इस बढ़ती हुई माँग के परिणामस्वरूप आयात में, विशेषतौर पर जीवाश्म ईंधनों और धात्विक आयातों में वृद्धि हुई है।

भारत के लिए वर्तमान और भावी अनुमान

वर्ष 2010 में, भारत ने वैश्विक स्तर पर निष्कर्षित कच्ची सामग्रियों की 7.2 प्रतिशत खपत का प्रयोग किया था। कुल उत्पादन लागत में सामग्री लागत का भारत का औसत हिस्सा 70 प्रतिशत से अधिक आँका गया था और पुनः उपयोग में लाने की दर अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अत्यधिक कम है जिसकी उत्पादकता और दक्षता में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। संसाधन दक्षता पर नीति आयोग कार्यनीतिक दस्तावेज, 2017 के अनुसार, भारत में वर्ष 2010 के दौरान 5 बिलियन टन बायोमास, जीवाश्म ईंधन, खनिज और धातुओं का उपभोग किया गया है और यह चीन (21.5 बिलियन टन) और यूएसए (6.1 बिलियन टन) के बाद तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता था। बढ़ती हुई आबादी की मांग को पूरा करने के लिए भारत को लगभग 6.5 बिलियन टन खनिज की आवश्यकता होगी।

वायु प्रदूषण तथा सरकारी पहल

वर्तमान में वायु प्रदूषण एक वैश्विक पर्यावरणीय चुनौती के रूप में मौजूद है। वायु प्रदूषण भारत में भी एक गंभीर समस्या है। सरकार देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों/कस्बों में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम (एनएक्यूएमपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएक्यूएमपी के तहत इन समस्त स्थानों पर नियमित मॉनीटरिंग के लिए चार मुख्य वायु प्रदूषकों की पहचान की गई है, यथा-सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), NO_2 के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, निलंबित पदार्थ कण (PM_{10}) और सूक्ष्म कणीय पदार्थ ($PM_{2.5}$)। लघुतर $PM_{2.5}$ विशेष रूप से इतना घातक है कि यह फेफड़ों के भीतर प्रविष्ट हो सकता है।

देशभर में बढ़ती हुई वायु प्रदूषण की समस्या का व्यापक रूप से निपटान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक पहलों को आरंभ किया गया है। ''राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक'', परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए वे मानक हैं जो वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न चिन्हित प्रदूषकों के संदर्भ में अधिसूचित किए गए हैं। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के मुख्य उद्देश्य हैं-

(i) वनस्पति, स्वास्थ्य तथा संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वायु गुणवत्ता स्तरों तथा उपयुक्त सीमा को सूचित करना और (ii) राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए मानकों की एकरूपता का निर्धारण करना।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लोगों के लिए हवा की गुणवत्ता की स्थिति का प्रभावी उपकरण है जो समझने में आसान है। यह विभिन्न प्रदूषकों के जटिल वायु गुणवत्ता डेटा को एकल संख्या (सूचकांक मूल्य) नामावली और रंग बदल देता है। यहां छः वायु गुणवत्ता सूचकांक अर्थात् अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर हैं।

जलवायु परिवर्तन

वर्ष 1992 से जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को स्वीकार कर वैश्विक समुदाय ने विभिन्न पड़ावों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुक्रियात्मक तंत्र को सुदृढ़ बनाया है। वहाँ से आगे की यात्रा में जलवायु परिवर्तन का समाधान करने संबंधी विभिन्न माध्यमों को अंगीकार किया गया है जिनमें मुख्य रूप से वर्ष 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल तथा नवीनतम सर्वाधिक महत्वाकांक्षी पेरिस करार शामिल है। यूएनएफसीसीसी का परम उद्देश्य वातावरण में मौजूद जीएचजी की साँद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थिर करके रखना है जो जलवायु-व्यवस्था में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप का निवारण करे और वह भी ऐसी समय-सीमा के भीतर जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक रूप से अनुकूल होने और पोषणीय विकास प्राप्त करने में समर्थ होने का अवसर मिले। पेरिस करार का मुख्य उद्देश्य इस सदी में वैश्विक औसत ताप वृद्धि को ठीक 2 डिग्री सेल्सियस नीचे बनाए रखना है तथा ऐसे प्रयास भी करना है कि सभी देश वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का प्रयास करें। पेरिस करार विश्व के समस्त राष्ट्रों के लिए, वर्ष 2020 के बाद की अवधि के दौरान जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए रोडमैप तैयार करता है।

पेरिस करार के पक्षकारों ने इस करार के कार्यान्वयन हेतु मॉडल, प्रक्रियाएँ और दिशानिर्देश विकसित करने के लिए संगठित प्रयास किए तथा केटोविस (पोलैंड) में दिसंबर, 2018 में आयोजित यूएनएफसीसीसी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 24वें सत्र में पेरिस करार कार्ययोजना (पीएडब्ल्यूपी) को अंगीकार किया गया। भारत ने अपने मुख्य हितों का बचाव करते हुए वार्ताओं में सकारात्मक एवं रचनात्मक रूप से भागीदारी की, जिसके अंतर्गत विकसित एवं विकासशील देशों के विभिन्न प्रारंभिक बिंदुओं को मान्य किया जाना, विकासशील देशों के लिए नम्यता एवं निष्पक्षता बरतना तथा सामान्य किंतु विविध-स्तरीय जिम्मेदारियों और अपनी-अपनी क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों पर विचार करना शामिल है। भारत ने पेरिस करार को इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्यान्वित करने तथा जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए समेकित कार्य करने के अपने वचन को दोहराया।

अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संधि (आईएसए)

आईएसए भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवम्बर, 2015 को पेरिस में शुरू की गई प्रथम संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतरसरकारी संगठन है जो 6 दिसंबर, 2017 को अस्तित्व में आया। जून, 2019 तक 75 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें से 52 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की है। आईएसए की प्रथम बैठक का आयोजन 3 अक्तूबर, 2018 को किया गया था। ''आओ हम सब मिलकर प्रगति के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करें'' यह आईएसए का आदर्श वाक्य है। अभी तक आईएसए ने पांच कार्यक्रम शुरू किए हैं: (1) कृषि उपयोग के लिए सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों का आकलन करना, (2) किए गए आकलन

के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराना, (3) लघु सौर-ऊर्जा ग्रिडों का आकलन करना, (4) छतों पर लगाए गए सौर ऊर्जा संयंत्रों का आकलन करना और (5) ई-परिवहन तथा भंडारण में सौर-ऊर्जा का आकलन करना।

आगे की राह

भारत सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने की ओर तेजी से प्रगति कर रहा है। सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 10 (असमानता में कमी) और सतत् विकास लक्ष्य 15 (भूमि पर जीवन) को प्राप्त करने में भारत की प्रगति प्रशंसनीय रही है। हालांकि, जिस तरह से विभिन्न राज्यों ने प्रदर्शन किया है, उसमें काफी अंतर रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दौड़ में कोई भी राष्ट्र पीछे नहीं है। वैश्विक स्तर पर, धारणीय विकास लक्ष्य(एसडीजी) प्राप्त करने में विकासशील अर्थव्यवस्था द्वारा सामना किए जाने वाले असंख्य विकासात्मक चुनौतियों में पर्याप्त संसाधनों की कमी मुख्य चुनौतियां हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है।

संसाधनों का पर्याप्त उपयोग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विभिन्न विकास परक आवश्यकताओं, नीतियों व संसाधनों की बढ़ती हुई मांग को उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की दिशा में आर्थिक कारकों को थोड़ा सा सहारा देने की आवश्यकता है। भारत की नीतियों के अंतर्गत इस दिशा में पहले से ही सभी कदम उठाए गए हैं।

भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने अपने जलवायु संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। फिर भी, वित्तीय संसाधनों और प्रौद्योगिकी की सतत वृद्धि करके वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देशों को अनिवार्य रूप से संधारणीय विकास को ध्यान में रखते हुए अपने निजी घरेलू संसाधनों की व्यवस्था में रहते हुए सर्वोत्तम संभव प्रयास करने होंगे। अब समय आ गया है कि विश्व समुदाय जलवायु संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत अनुकूल पर्यावरण की संभावना पर अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण अपेक्षा के साथ प्रदर्शित करे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न मुद्दे।
- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

5. कृषि एवं खाद्य प्रबंधन : एक विस्तृत विवरण

संदर्भ

भारत में आबादी के बड़े हिस्से के लिए कृषि सर्वप्रथम व्यवसाय बना हुआ है। इतने वर्षों में इस क्षेत्र के सम्मुख कई नई चुनौतियाँ आई हैं। कृषि में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग एवं जैविक और जीरो बजट कृषि अपनाकर छोटी जोत वाली खेती, जीविका का एक आकर्षक अवसर बन सकता है।

परिचय

कृषि और संबंधित क्षेत्र छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोजगार और जीविकोपार्जन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। गरीबी समाप्त करने और समावेशी विकास परक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि से संबंधित गतिविधियों को निकटता से सतत् विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ना होगा। कृषि में जोत हेतु भूमि के आकार में आती कमी को देखते हुए भारत को सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और साथ ही कृषि में धारणीयता प्राप्त करने के लिए खेती में संसाधान कौशल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। संसाधन दक्ष पद्धतियों, परिवर्तनशील रोपण ढांचा, पर्यावरण परिवर्तन के अनुरूप ढलने वाली खेती और समन्वय हेतु आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) का गहन रूप से उपयोग भारत में लघु धारक खेती का आधार होना चाहिए।

सुरक्षित और खाद्य संरक्षित भविष्य के लिए कृषि भूमि व्यवस्था को अत्यधिक परिवर्तनों से होकर गुजरना होगा और 'हरित क्रांति आधारित उत्पादकता से कृषि में हरित उपायों' पर आधारित धारणीयता की विचारधारा को अपनाना होगा।

कृषि और संबंधित क्षेत्रों का अवलोकन

भारत में कृषि क्षेत्र अपने चिर परिचित रूप में संवृद्धि की दृष्टि से चक्रीय गति से गुजरता है। कृषि में सकल मूल्य वृद्धि वर्ष 2014-15 में 0.2 प्रतिशत ऋणात्मक से 2016-17 में 6.3 प्रतिशत धनात्मक रही जोकि 2018-19 में फिर 2.9 प्रतिशत तक शिथिल पड़ गई। जबकि फसलों, पशु और वन क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक की अवधि के दौरान वृद्धि दरों में घटोत्तरी एवं बढ़ोत्तरी की स्थिति दिखाई दी थी। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वास्तविक दृष्टि से औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 2.88 रही है। सकल मूल्य वृद्धि में कृषि, वन, मत्स्य पालन क्षेत्र का अंशदान 2015-16 में 15.3 प्रतिशत से निरंतर घटकर वर्ष 2018-19 में 14.4 प्रतिशत हो गया।

कृषि और संबंधित क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण

कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वर्ष 2013-14 में 17.7 प्रतिशत की बढ़त दिखाई दी किंतु तत्पश्चात वर्ष 2017-18 में यह घटकर 15.2 प्रतिशत हो गई।

कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण में सार्वजनिक और निजी निवेश के अंशदान की तुलना करने पर यह दृष्टिगत होता है कि जहाँ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश के अंश में वर्ष 2014-15 में वृद्धि दिखाई दी है और यह वृद्धि वर्ष 2016-17 तक ऊपर बढ़ती हुई नजर आयी है वहीं इसी अवधि में सकल पूंजी निर्माण के क्षेत्र में निजी निवेश का अंशदान घटता हुआ दिखाई दिया है।

भारत में कृषि जोतों का ढाँचा

कृषि जनगणना 2015-16 के प्रथम चरण के परिणामों के अनुसार भारत में कार्यरत कृषि जोतों की संख्या अर्थात कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग में लाए जा रहे भूखंडों की संख्या वर्ष 2010-2011 में 138 मिलियन से बढ़कर 2015-16 में 146 मिलियन हुई है, इस प्रकार से इसमें 5.3 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई है। कुल सक्रिय जोतों में सीमांत जोतों (एक हेक्टेयर से कम) का अंश वर्ष 2000-2001 के 62.9 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 68.5 प्रतिशत हुआ है जबकि छोटी जोतों का अंश (एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर) इस अवधि के दौरान 18.9 प्रतिशत से घटकर 17.7 प्रतिशत हुआ। बड़ी जोतें (4 हेक्टेयर से

कृषि विपणन तथा अन्य कृषक अनुकूल सुधारों के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों का अनुक्रम

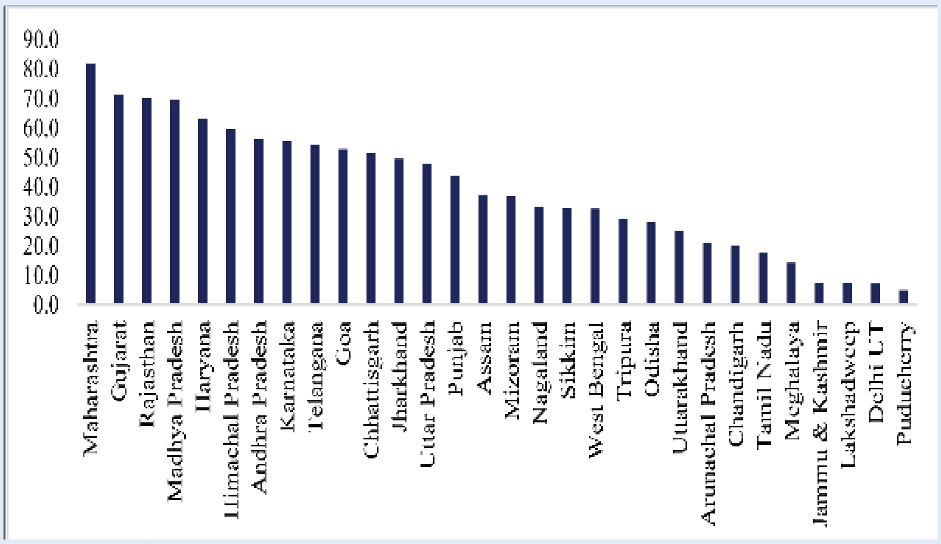

स्रोत: भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सुधारों पर नीति आयोग को अध्ययन रिपोर्ट, अक्तूबर, 2016

अधिक) 6.5 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई।

महिला कृषकों की बढ़ती संख्या

महिलाएँ फसल उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, कटाई के बाद के कार्यकलाप, कृषि/सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन इत्यादि सहित कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कार्यशील जोतों का हिस्सा वर्ष 2005-06 में 11.7 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 13.9 प्रतिशत हो गया है। महिला किसानों द्वारा संचालित सीमांत एवं छोटी जोतों का अंश बढ़कर 27.9 प्रतिशत हो गया है।

लघु भूधारक कृषि में संसाधन दक्षता लाना

कृषि जोतों का ढाँचा कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों के प्रभुत्व (85 प्रतिशत) को दर्शाता है। कृषि के लिए विकास कार्य नीति के तहत संधारणीय जीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे जोत वाली खेती को प्राथमिकता देनी चाहिए। कृषि की उत्पादकता, उर्वरकों के उपयोग, सिंचाई की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी, फसल की गहनता और फसल उगाने हेतु चुने गए तरीके, आदि कारकों पर निर्भर करती है। कुछ महत्वपूर्ण पहलू जिनसे छोटी जोत वाली कृषि की उत्पादकता में सुधार लाया जा सकता है, वह है संसाधनों के उपयोग व दक्षता में सुधार करना जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों में जल या अन्य संसाधनों/कीटनाशक फर्टिलाइजर इत्यादि जैसे संसाधन।

कृषि में सिंचाई जल उत्पादकता बढ़ाना

एशिया जल विकास परिदृश्य 2016 (Asia water development outlook 2016) के अनुसार भारत में लगभग 89 प्रतिशत भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और इस बात पर गहरी चिंता जताई जा रही है कि क्या इस प्रकार भूजल का उपयोग करने की यह प्रथा सतत् रह पाएगी क्योंकि भूजल की गहराई धीरे-धीरे घटती जा रही है। वर्ष 2050 तक भारत विश्व में जल सुरक्षाहीनता का केंद्र बिंदु बन जाएगा। कृषि इतने लोगों से व्यावसायिक रूप से जुड़े होने की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यवसाय बना रहेगा और यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अत्यधिक रूप से जल के उपयोग पर निर्भर है। अतः छोटे और सीमांत किसानों के बीच जल के किफायत उपयोग हेतु प्रोत्साहन सृजित करने हेतु जल प्रयोग की उपयुक्त प्रक्रिया बनाने की जरूरत है।

भारत में फसल रोपण का ढाँचा अत्यधिक रूप से उन फसलों पर निर्भर करता है जो कि जलीय प्रकृति की हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, अत्यधिक सब्सिडी कृत विद्युत, जल और उर्वरक जैसे प्रोत्साहनों ने देश में फसल रोपण के ढाँचे में परिवर्तन लाने साथ ही साथ उनके प्रयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धान और गन्ना की फसल देश में सिंचाई हेतु उपलब्ध जल का 60 प्रतिशत से भी अधिक ले लेते हैं जिससे अन्य फसलों के लिए कम पानी उपलब्ध रहता है।

कृषि में सिंचाई सुधार हेतु ऐसे स्थानीय उपाय करने की आवश्यकता है जिससे कृषि में धारणीय जल प्रयोग की स्थिति बने। इस संबंध में कृषि में फोकस भूमि उत्पादकता से हटकर सिंचाई जल आवश्यकता पर होना चाहिए। अतः जल उपयोग की अच्छी स्थिति के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। इतना ही नहीं यह राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय होना चाहिए, जिससे भारी जल संकट से बचा जा सके।

उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में कमी

छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि में उर्वरकों की लागत, लाभ के निर्धारण में मुख्य कारक होता है। भारत में 2002 से 2011 तक उर्वरकों की खपत लगातार बढ़ी है तथापि उसके बाद से उर्वरक उपयोगिता कम होती जा रही है।

हालाँकि उर्वरक प्रयोग के प्रति लगाव में गिरावट की प्रवृत्ति देखने में आ रही है। कम होती उर्वरक इस्तेमाल से संकेत मिलता है कि उर्वरक उपयोग के कारण मृदा उर्वरता में कमी आ रही है।

उर्वरक विभाग के अनुसार, भारतीय कृषि में उर्वरक का इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं किया जाता है, जिससे फसलों के कमजोर प्रबंधन के कारण खाद्यान्न उत्पादन अपेक्षाकृत नहीं बढ़ रहा है।

उर्वरता उपयोग दक्षता में सुधार के लिए किसानों को सही उत्पाद, उर्वरक की मात्रा, अनुप्रयोग समय एवं पद्धति की जानकारी होनी चाहिए। कुछ सुझाए गए उपायों में, मृदा स्वास्थ्य के आधार पर 'उर्वरक की मात्रा' का इष्टतम प्रयोग, नीम कोटेड यूरिया को प्रोत्साहन, सूक्ष्म पोषकों को प्रोत्साहन, जैविक खादों और जल में घुलनशील खादों को प्रोत्साहन देना शामिल है।

इसी के संदर्भ में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (जेडबीएनएफ) का मुख्य उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को समाप्त करना और अच्छी कृषि विज्ञान परिपाटियों को प्रोत्साहन देना है। जेडबीएनएफ का उद्देश्य पर्यावरण एवं प्रकृति के अनुकूल प्रक्रियाओं से, कृषि उत्पादन करना है, ताकि रसायन मुक्त कृषि उत्पादन किया जा सके। जेडबीएनएफ के अन्तर्गत कम पानी की जरूरत होती है और यह पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 704 गांवों को कवर करते हुए 131 समूहों में और परम्परागत कृषि विकास (पीकेवीवाई) के तहत 268 गांवों को कवर करते हुए 1300 समूहों में कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। अब तक 163,034 किसानों ने जेडबीएनएफ को अपनाया है। धारणीय कृषि के लिए सरकार द्वारा जैविक खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

छोटी जोत वाले खेतों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाना

छोटी जोत वाले खेतों में उपयुक्त तकनीकें अपना कर संसाधन दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे मामलों में तकनीकों का प्रयोग, खेती की महँगी मशीनों में निवेश और विद्यमान तकनीकों को आनुपातिक रूप से बढ़ाना आर्थिक रूप से संभव नहीं हो सकता इसलिए, छोटे स्तर के परिचालन के उपयुक्त पर्यावरण अनुकूल स्वचालित खेती मशीनरी उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कठिन क्षेत्रों सहित छोटी और सीमांत जोतों के मशीनीकरण हेतु उच्च तकनीकी मशीनरी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कस्टम हायरिंग सेन्टर (सीएचसी) स्थापित किए जा सकते हैं। एसएमएएम (कृषि मशीनरी उप मिशन) योजना के तहत 2014-15 से 2017-18 के दौरान 8162 सीएचसी स्थापित किए गए। छोटे और सीमांत किसानों की भूमि के आकार और आय कम होने के कारण संचालन स्तर के चलते मशीनीकरण में बाधा आती है, सीएचसी के द्वारा ऐसे किसानों द्वारा किए जाने वाले कठिन परिश्रम में कमी आने की संभावना है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से छोटी जोतों में कृषि करना काफी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन के प्रसार से मृदा स्वास्थ्य, मौसम और कीमतों के बारे में सूचना सीमांत किसानों को आसनी से मिल जाती है। इसके अलावा खराब अवसंरचना के संदर्भ में कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को अपनाने से बाजार पहुँच बढ़ेगी साथ ही वित्तीय समावेशन सुविधाजनक बनेगा और छोटे किसानों को बल मिलेगा। कृषि बाजारों में व्याप्त सूचना अन्तर को पाटने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी इसका एक उदाहरण है।

आधारभूत संरचना और बाज़ारों तक पहुंच में सुधार

छोटे पैमाने पर खेती करने वाले कृषकों के लिए स्थानीय व्यापारी तथा बीज-विक्रेता अनौपचारिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तथापि, यदि बाज़ारों तक कृषक की पहुँच में सुधार हो जाता है, अर्थात निकटतम मंडियों तक बेहतर परिवहन सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वह सही कीमत प्राप्त कर सकता है। समय से फसल की कीमतों, फसल तथा भंडारण सुविधाओं की सूचना उपलब्ध कराने से तथा ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं में किए गए संयुक्त सुधार से व बाज़ारों की बाधाओं से बचने में कृषकों की सहायता मिलेगी।

कृषि ऋण

समय पर ऋण या वित्त तक पहुँच कृषि ऋण की लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यदि बुआई के समय बीज खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध नहीं है या यदि ऋण की कमी उर्वरकों के प्रयोग में देरी करती है तो यह कृषि उत्पादकता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। भारत में कृषि ऋण का क्षेत्रीय वितरण यह दर्शाता है कि ऋण का वितरण अत्यन्त विषम है। यह देखने में आया है कि पूर्वोत्तर, पर्वतीय और पूर्वी राज्यों में ऋण वितरण बहुत कम रहा है। कुल कृषि ऋण वितरण में पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा 1 प्रतिशत से कम रहा है।

दक्षिण और पश्चिम भारत की तुलना में पूर्वी और उत्तर-पूर्व भारत में वित्तीय समावेशन अपेक्षाकृत कम है (क्रिसिल रिपोर्ट 2018) लघु और सीमावर्ती जोतभूमि पूर्वी क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र, में बहुत उच्च (85 प्रतिशत) स्तर पर है, इसीलिए इन क्षेत्रों में अधिक कृषि ऋण संवितरण की आवश्यकता है।

भारत का खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य प्रबंधन

खाद्य सुरक्षा उस समय होती है जब सभी व्यक्तियों को हर समय, भौतिक और आर्थिक रूप से ऐसा पर्याप्त और पोषक भोजन सुलभ होता है जिससे एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनकी आहार संबंधी आवश्यकताएँ और खाद्य वरीयताएँ पूरी होती हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए भोजन की समय पर उपलब्धता और अर्थ वहनीयता महत्वपूर्ण है।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक (जीएफएसआई), 2018 के अंतर्गत विश्व के 113 देशों में खाद्य सुरक्षा के चार मुख्य मुद्दों पर विचार किया गया- (i) अर्थ वहनीयता, (ii) उपलब्धता, (iii) गुणवत्ता एवं सुरक्षित होना और (iv) प्राकृतिक संसाधन एवं लचीलापन।

जीएफएसआई उक्त प्रथम तीन श्रेणियों के आधार पर विभिन्न देशों को 0-100 तक के प्राप्तांकों (स्कोर) में अनुक्रम प्रदान करता है जबकि प्राकृतिक संसाधनों एवं लचीलेपन का उपयोग एक समायोजन गुणक के रूप में किया जाता है। 100 अंकों के अनुक्रम को सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। जीएफएसआई का मुख्य लक्ष्य एक समयबद्ध रीति से यह आकलन करना है कि किन देशों में खाद्य असुरक्षा की संभावना सबसे अधिक है और किनमें सबसे कम है।

केन्द्र सरकार खाद्यान्न स्टॉक के उचित प्रबंधन के लिए तथा केंद्रीय भण्डार में गेहूँ और चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, विशिष्ट रूप से निम्नलिखित उपाय करती है-

(i) न्यूनतम समर्थन कीमत और केंद्रीय निर्गम कीमत की घोषणा करना

(ii) एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्नों का संग्रहण करना तथा राज्य एजेंसियों द्वारा उसका वितरण करना

(iii) बफर स्टॉक बना कर रखना, और

(iv) स्फीति को नियंत्रित करने के लिए गेहूँ और चावल की खुले बाजार की कीमतें निर्धारित करना।

खाद्य सब्सिडी

खाद्य सब्सिडी में दो मुख्य घटक शमिल होते हैं प्रथम घटक में शामिल है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजना के अधीन खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और वितरण तथा खाद्य सुरक्षा हेतु सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को दिए जाने वाले सब्सिडी। दूसरे घटक में राज्यों को शामिल किया गया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों व भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसलिए सरकार को जब और जैसे, व्यक्तियों और संगठनों के साथ-साथ प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें जाँच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेज दिया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) आदेश, 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए किसी अपराध के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतः यह आदेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को, इन आदेशों के संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करता है।

किसानों की आय को दोगुना करने हेतु कार्य योजना

सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सरकार ने अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। समिति ने आय बढ़ाने के 7 स्रोतों की पहचान की है, जैसे- फसलों की उत्पादकता में सुधार, पशुधन उत्पादकता में सुधार, संसाधनो का दक्ष उपयोग या उत्पादन की लागत में बचत, फसल की तीव्रता में वृद्धि, उच्च मूल्य फसलों में विविधीकरण, किसानों को प्राप्त असल मूल्यों में सुधार और कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में स्थांतरण इत्यादि। डीएफआई समिति (Doubling farmer's income committee) की अनुशंसाओं पर बहुत सी पहल पहले ही की जा चुकी हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों के माध्यम से प्रगतिशील बाजार सुधारों का समर्थन करना, मॉडल कॉन्ट्रेक्ट फॅर्मिंग एक्ट के प्रसार द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से संविदा कृषि को हटा देना, कृषि केन्द्रों के रुप में कार्य करने और किसानों से कृषि उत्पादों की सीधी खरीद के लिए ग्रामीण हाटों का उन्नयन करना, किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार आधार देने के लिए ई-एनएएम किसानों को मृद्रा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण ताकि उर्वरकों का सार्थक रुप से उपयोग हो सके।

निष्कर्ष

भारत में आबादी के बड़े हिस्से के लिए कृषि सर्वप्रथम व्यवसाय बना हुआ है। इतने वर्षों में इस क्षेत्र के सम्मुख कई नई चुनौतियाँ आई हैं। कृषि जोत के विभाजनों और जल संसाधनों में आ रही कमी को देखते हुए एक संसाधन दक्ष आईसीटी आधारित जलवायु अनुकूल (क्लाइमेट स्मार्ट) कृषि उत्पादकता और संधारणीयता को बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए कृषि से जुड़े क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें मुख्य ध्यान डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और जुगाली करने वाले छोटे जानवरों के पालन पोषण पर देना होगा। खाद्य सब्सिडी की राशनिंग और खाद्य प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के ज्यादा उपयोग से सभी हेतु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।
- भारत में भूमि सुधार।

■

6. भारत में विकसित होता उद्योग एवं अवसंरचना क्षेत्र

संदर्भ

उद्योग-अवसंरचना का उल्लेख किए बिना आर्थिक संवृद्धि की गाथा प्रायः अधूरी ही होगी। 133 करोड़ से अधिक लोगों का निवास स्थान होने के नाते भारत को एक प्रफुल्लित एवं लचकदार अवसंरचना के साथ एक मजबूत औद्योगिक व्यवस्था की आवश्यकता है। वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में औद्योगिक विकास की दर वर्ष 2017-18 की 4.4 प्रतिशत की तुलना में 3.6 प्रतिशत रही। वर्ष 2018-19 के दौरान यह गिरावट मुख्य तौर पर मध्यम एवं लघु उद्योगों को धीमे क्रेडिट प्रवाह, नकदी की कमी के कारण एनबीएफसी द्वारा दी जाने वाली उधारी में कमी, प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि मोटरवाहन उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी एवं उपस्कर सेक्टरों के लिए घरेलू मांग में धीमेपन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता इत्यादि, धीमी विनिर्माण गतिविधियों का कारण रही है।

भारतीय उद्योगः एक अवलोकन

किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के निर्धारण में उद्योग एक निर्णायक भूमिका निभाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में वर्ष 2017-18 की तुलना में सुधार हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी वार्षिक राष्ट्रीय आय 2018-19 के अनंतिम प्राक्कलनों के अनुसार, वास्तविक सकल मूल्य वर्द्धित (जीवीए) औद्योगिक विकास की दर वर्ष 2017-18 में 5.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत क्रमशः 8.7 प्रतिशत और विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत 6.9 प्रतिशत विकास दर देखी गई है। खनन एवं खदान क्षेत्र में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान धीमी वृद्धि देखी गई है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी): औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) औद्योगिक कार्यनिष्पादन का एक माप है जो औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हमारी स्थिति पर कुछ प्रकाश डालता है। आईआईपी विनिर्माण क्षेत्र को 77.63 प्रतिशत, खनन क्षेत्र को 14.37 प्रतिशत और बिजली क्षेत्र को 7.99 प्रतिशत भारांक प्रदान करता है। आईआईपी के अनुसार औद्योगिक विकास दर वर्ष 2017-18 में 4.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में 3.6 प्रतिशत थी। वर्ष 2018-19 के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में क्रमशः 2.9 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

कॉर्पोरेट क्षेत्र का कार्यनिष्पादनः भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, गैर-सरकारी गैर वित्तीय (एनजीएनएफ) सूचीबद्ध निर्माण कंपनियों ने वर्ष 2016-17 के चतुर्थ तिमाही में नामिक बिक्री में दोहरे अंकों की वृद्धि दर दर्ज की गई है और वर्ष 2018-19 के दूसरी तिमाही तक बीच-बीच में हल्की गिरावट के साथ अपनी सुधारवादी स्थिति जारी रखी। वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में, कपड़ा, लोहा एवं इस्पात, मोटर वाहनों और अन्य परिवहन उपस्करों के सम्मुख उत्पन्न न्यून मांग स्थितियों के कारण विनिर्माण कंपनियों की नामिक बिक्री में हल्की कमी देखी गई।

भारत में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम

भारत सरकार ने 2014 से उद्योगों के लिए सुधार संबंधी अनेक कदम उठाए हैं जिनसे समग्र कारोबारी माहौल में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। कारोबारी सुविधा में सुधार हेतु मौजूदा नियमों को सरल और तर्कसंगत बनाने पर तथा शासन को

अधिक दक्ष और प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर जोर दिया गया है।

स्टार्ट-अप आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और नवाचार की संस्कृति को बढ़ाते हैं। उद्यमी युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को ''स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया'' पहल की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो स्टार्ट-अप के विकास के लिए अनुकूल हो।

विनियमों को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे-स्टार्ट-अप द्वारा एकत्र किए गए निवेश पर आयकर से छूट, स्टार्ट-अप के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हेतु 22 विनियामक सुधार लागू करना, 6 श्रम कानूनों और 3 पर्यावरण कानूनों के लिए स्व-प्रमाणन व्यवस्था, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 'वन स्टॉप शॉप के रूप में स्टार्ट-अप इंडिया हब स्थापित करना, जिसमें 2,37,902 उपयोगकर्ताओं ने व्यवसाय की योजना बनाने के लिए निःशुल्क स्टार्ट-अप इंडिया अधिगम कार्यक्रम का लाभ उठाया है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आर्थिक विकास का प्रमुख चालक माना जाता है क्योंकि यह पूंजी, दक्षता तथा प्रौद्योगिकी को लाकर मेज़बान देश की उत्पादकता में वृद्धि करता है। सरकार द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की एक उदार नीति के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करने की एक पूर्व-सक्रिय पहल की जा रही है। वर्ष 2017-18 में 44.85 बिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल इक्विटी अंतर्प्रवाह 44.36 बिलियन अमेरिकी डालर रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान 44.36 बिलियन अमेरिकी डालर के एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह में से 70% से अधिक भाग मुख्य रूप से सिंगापुर, मॉरीशस, नीदरलैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों से आया था।

क्षेत्रक-वार मुद्दे और कार्यनिष्पादन

इस्पातः इस्पात क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख उद्योगों में से एक है जो सामग्री प्रवाह और आय सृजन के संदर्भ में मजबूत एवं अग्रगामी संबंधों का निर्वाह करता है। इस्पात उद्योग भारत की जीडीपी में लगभग 1.4 से 2.0 प्रतिशत तक का योगदान करता है और आधिकारिक आईआईपी में इसका भारांक 7.22 प्रतिशत है तथा थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में इसका हिस्सा 7.53 प्रतिशत है। वैश्विक स्तर पर भारत जापान को पछाड़ते हुए 6 प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी के साथ कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, 106.56 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ जो वर्ष 2017-18 की संगत अवधि में 103.13 मिलियन टन की तुलना में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि पर रहा और इसकी उपयोग क्षमता 77.24 प्रतिशत रही।

चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है।

चमड़ा और फुटवियरः भारतीय चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग, रोजगार का एक प्रमुख क्षेत्र है। भारत फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चमड़े के परिधानों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक और चमड़े के सामान का पाँचवा सबसे बड़ा निर्यातक है। फुटवियर की वैश्विक मांग गैर-चमड़ा फुटवियर (नॉन लेदर फुटवियर) की ओर बढ़ रही है, जबकि भारतीय कर नीतियाँ चमड़े के फुटवियर उत्पादन की पक्षधर हैं। भारत को अपने सहभागी देशों के बाजारों में चमड़े के सामान और गैर-चमड़ा फुटवियर के लिए उच्च प्रशुल्कों (टैरिफ) का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारतीय फुटवियर एवं अनुषंगी विकास कार्यक्रम (2017-20) के अधीन 2600 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज दिया गया है।

रत्न एवं आभूषणः रत्न एवं आभूषण क्षेत्र से निर्यात के साथ-साथ रोजगार सृजन में 5 मिलियन का महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। 2017-18 वर्ष के दौरान, रत्न और आभूषण का निर्यात कुल वाणिज्य माल के निर्यात का 13.69 प्रतिशत था। इस क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे-विशेष अधिसूचित क्षेत्र की स्थापना, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों (कॉमन फैसिलिटी सेंटरों) की स्थापना, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के लिए अलग आईटीसी एचएस कोड का सृजन, कटे और पॉलिश किए गए हीरे और कीमती पत्थरों के लिए जीएसटी दरों में कमी, निर्दिष्ट एजेंसियों और बैंकों द्वारा सोने के आयात पर एकीकृत माल और सेवा कर में छूट, निर्यातकों को नामित एजेंसियों द्वारा सोने की आपूर्ति पर जीएसटी से छूट और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इत्यादि।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई): भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सरकार बेहतर क्रेडिट प्रवाह, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यवसाय करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और बाजार तक पहुँच के लिए इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। नवंबर 2018 में, सरकार ने इस क्षेत्र के तीव्रतर विकास के लिए और व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर 1 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान करना शामिल था। सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए 1 करोड़ रुपए तक के वृद्धिशील क्रेडिट के संबंध में 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता भी प्रदान की जा रही है और यह योजना 975 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ दो वित्तीय वर्षों, यथा, 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए प्रचालन में रहेगी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी न्यास निधि, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट समर्थित पूँजी सब्सिडी योजना, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना तथा नए उद्यमों की स्थापना एवं मौजूदा उद्यमों के विकास के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, जैसी कई योजनाएं/कार्यक्रम चलाएं हैं।

कपड़ा और वस्त्रः भारतीय कपड़ा उद्योग जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है, विनिर्माण में 12.65 प्रतिशत और जीडीपी में 2.3 प्रतिशत का योगदान देता है। कपड़ा और वस्त्र के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 5 प्रतिशत है। 2017-18 के दौरान, भारत के कुल निर्यात में कपड़ा और वस्त्र का महत्वपूर्ण 13 प्रतिशत हिस्सा है। यह क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो सीधे तौर पर 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और संबद्ध क्षेत्रों में अन्य 6 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पिछड़े वर्गों से जुड़कर यह क्षेत्र लाखों किसानों, कारीगरों, हथकरघा और हस्तकला निर्माताओं को रोजगार

का बड़ा अवसर प्रदान करता है। यह क्षेत्र सरकार की प्रमुख पहलों, यथा - मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण युवा रोजगार के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है।

अवसंरचना: बुनियादी सेवाएँ जिनके बिना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उत्पादक गतिविधियां संपन्न नहीं हो सकती हैं, के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किसी अर्थव्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण की सफलता ही लोगों को समावेशी और संधारणीय अवसंरचना की सुविधाएं उपलब्ध कराने में निहित होती है और आर्थिक संवृद्धि की गति इस बात पर निर्भर करती है कि अर्थव्यवस्था कितनी सक्षमता एवं विवेकपूर्ण रूप से अवसंरचना संबंधी अड़चनों को दूर करने में समर्थ है।

सड़क क्षेत्र

सड़कें परिवहन की एक बहुआयामी एकीकृत प्रणाली का हिस्सा हैं जो हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और अन्य लॉजिस्टिक हब जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों को जोड़ती हैं तथा अबाध आपूर्ति प्रबंधन में एक महत्वूपर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए आर्थिक संवृद्धि के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। यह रेल, हवाई यातायात और अंतर्देशीय जलमार्गों की तुलना में परिवहन का प्रमुख साधन है और इसकी हिस्सेदारी जीवीए की लगभग 3.14 प्रतिशत है और देश भर में माल ढुलाई और यात्री यातायात में इसकी हिस्सेदारी क्रमशः 69 प्रतिशत और 90 प्रतिशत है। जहाँ वर्ष 2014-15 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, वहीं वर्ष 2018-19 में प्रतिदिन 30 किलोमीटर की दर से सड़कों का निर्माण हुआ है।

रेलवे: भारतीय रेलवे ने वर्ष 2016-17 के दौरान 1106.15 मिलियन टन के राजस्व अर्जक माल भाड़ा लदान की तुलना में वर्ष 2017-18 में 1159.55 मिलियन टन (कोंकण रेलवे द्वारा किए गए लदान को छोड़कर) का राजस्व अर्जक माल भाड़ा लदान किया था। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 0.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रेलवे के विद्युतीकरण में वृद्धि हुई और वर्ष 2021 तक इसे बढ़ाकर 38000 किमी. करने का लक्ष्य रखा गया है।

नागर विमानन: वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय अनुसूचित घरेलू हवाई परिवहन में यात्रियों और सामान के परिवहन में क्रमशः 14 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 204 मिलियन दर्ज की गई थी। हवाई विमान यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और दूर-दराज के क्षेत्रों में हवाई संपर्क की व्यवस्था करने के लिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों और हवाई अड्डे के बुनियादी ढाँचे का तीव्र गति से किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के अंतिम चरण में कुल 107 हवाई अड्डों पर निर्धारित एयरलाइन संचालन की व्यवस्था की गई। इनमें सिक्किम में पेकयोंग में और केरल में कन्नूर चौथे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में शामिल किया गया है।

उड़ान: ''उड़े देश का आम नागरिक-उड़ान'' योजना के अंतर्गत, क्षेत्रीय संपर्क के लिए बोली लगाए जाने के तीन चरणों में कुल 719 रूट आबंटित किए गए हैं, जिनमें से 182 रूट चालू स्थिति में हैं। भौगोलिक रूप से ये रूट व्यापक रूप से फैले हुए हैं, जो देश भर को जोड़ते हैं और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करते हैं, और कार्गो यातायात को सुविधाजनक सस्ता बनाते हैं।

जहाजरानी: भारत की व्यापार गतिकी में नौपरिवहन की मुख्य भूमिका है। भारतीय नौपरिवहन सांख्यिकी 2018, के अनुसार, भारत के पास दिसम्बर, 2017 के अंत में 12.35 मिलियन जीआरटी के साथ 1371 यान की नौसेना शक्ति की तुलना में 12.68 मिलियन की सकल पंजीकृत टनभार (जीआरटी) के साथ 1400 यान की नौसेना शक्ति थी।

अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन: बनारस में भारत का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल (एमएमटी) का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 12 नवम्बर, 2018 को किया गया था और गंगा पर प्रथम कंटेनर प्रेषण जिसे कोलकाता से भेजा गया था, बनारस मल्टी मॉडल टर्मिनल (एमएमटी) पर उसी दिन प्राप्त किया गया था। एमएमटी का मुख्य फोकस अंतरदेशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना है क्योंकि जलमार्ग और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।

दूरसंचार क्षेत्र: दूरसंचार को दुनिया भर में विकास और लोगों को सशक्त बनाकर गरीबी को घटाने की दिशा में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में उपभोक्ता संबंधी मांगों में जबरदस्त वृद्धि होने तथा भारत सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण दूरसंचार क्षेत्र में विकास हुआ है।

मोबाइल उद्योग ने वहनीय प्रशुल्कों, व्यापक उपलब्धता, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के प्रारंभ, 3जी एवं 4जी कवरेज के विस्तार, विकासवादी उपभोग पैटर्नों तथा उपयुक्त नीति एवं विनियामक परिवेश से प्रेरित होकर विगत कुछ वर्षों के दौरान घातांकी वृद्धि देखी है। मोबाइल उद्योग भारत के जीडीपी में लगभग 6.5 प्रतिशत का योगदान करता है। वर्ष 2020 तक जीडीपी में टेलीकॉम उद्योग का योगदान 8.2 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।

वर्ष 2020 तक भारत को 5जी हेतु तैयार करना विश्व अगली पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकी 5जी के मुहाने पर खड़ा है। नेटवर्किंग समाज की संभावना का विस्तार करने हेतु एक आधार के रूप में 5जी को अंगीकार किया गया है। सरकार ने भारत में 5जी हेतु विजन तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय 5जी भारत 2020 फोरम का गठन किया है और ''भारत को 5जी हेतु तैयार करने संबंधी इसकी रिपोर्ट 23 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत कर दी है। इस फोरम की सिफारिशों के आधार पर स्पेक्ट्रम नीति, विनियामक नीति, शिक्षा एवं जागरूकता प्रोन्नयन कार्यक्रम, एप्लीकेशन एवं यूजकेस लैब्स, अनुप्रयोग संस्तर विकास मानकों, प्रमुख परीक्षण एवं प्रौद्योगिकीय प्रदर्शन तथा 5जी तकनीक पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों में भागीदारी विषयों पर सात समितियों का गठन किया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसः सरकार का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए देश के ऊर्जा क्षेत्र में ''सुधार, निष्पादन और परिवर्तन'' करना है। वर्ष 2017-2040 तक की अवधि के दौरान भारत की प्राथमिक ऊर्जा की मांग में 4.21 प्रतिशत के सीएजीआर पर बढ़ने की अपेक्षा की जाती है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में सामान्य से तेज है। इस प्रकार से पेट्रोलियम ईंधन और पेट्रोकेमिकल की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए शोधन क्षमता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जो अनवरत सकल घरेलू उत्पाद को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अवसंरचना फाइनेंसः सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)

अवसंरचना में निजी निवेश मुख्यतः पीपीपी के रूप में आया है। पिछले दशक में भारत में अवसंरचना निवेश का एक तिहाई से अधिक निवेश निजी क्षेत्र से आया है। सरकारी निजी भागीदारी स्कीम अवसंरचना गैप की समस्या का निवारण करने और अवसंरचना संबंधी सेवाएँ प्रदान करने में दक्षता सुधार करने में मदद करती है। विश्व बैंक के अवसंरचना (पीपीआई) डाटाबेस में निजी

भागीदारी के अनुसार, विकासशील देशों में भारत की स्थिति सरकारी निजी भगीदारी परियोजनाओं और संबद्ध निवेश दोनों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अवसंरचना कार्यक्रम में भारतीय निजी भागीदारी अनेक सरकारी निजी भागीदारी मॉडलों की सहायता करती है जिसमें प्रबंधन संविदाएँ, बिल्ड ऑपरेटर-ट्रांसफर (बीओटी) संविदाएँ, डिजाइन, बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (डीबीएफओटी) संविदाएँ, पुनर्वास-ऑपरेटर-ट्रांसफर (आरओटी), हाईब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम), और टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल भी शामिल हैं।

आगे की राह

प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ते हुए विश्व में भारत को अपने उद्योग और अवसंरचना को विकसित करना होगा। उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, उद्योग 4.0 और अगली पीढ़ी की अवसंरचना के लिए विशाल क्षेत्र हैं। उद्योग 4.0 और अगली पीढ़ी की अवसंरचना के समक्ष अपने वाली उन कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक है जो प्रगति पथ में बाधक बनी हुई है।

वर्ष 2032 तक दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार करने के लिए, भारत को मजबूत और लचीली अवसंरचना की आवश्यकता है। सरकारी निवेश से देश की समग्र अवसंरचना निवेश अपेक्षाओं को निधि प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा, निजी निवेशक प्रायः कम विकसित राज्यों की तुलना में अधिक विकसित भारतीय राज्यों में अपनी पूँजी लगाने के लिए उत्सुक होते हैं। इसलिए, वास्तविक चुनौती सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से देश भर में पर्याप्त निजी निवेश लाना है।

भौतिक अवसंरचना के साथ; सामाजिक अवसंरचना का प्रावधान भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों यह निर्धारित करेंगे कि भारत को 2030 तक दुनिया में कैन सा स्थान प्राप्त होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।
- बुनियादी ढांचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

7. भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन : एक सिंहावलोकन

संदर्भ

सेवा क्षेत्र का भारत के सकल संवर्द्धित मूल्य (जीवीए) में 54 प्रतिशत का योगदान है। फिर भी सेवा के जिन क्षेत्रों में मंदी देखी गई वे हैं–पर्यटन, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएँ, लोक प्रशासन और रक्षा। वित्तीय रीयल इस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं की श्रेणी में तेजी देखी गई। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात सामने आयी है कि भारत का सेवा क्षेत्र जीवीए में अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में रोजगार का सृजन नहीं करता है।

भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

सेवा क्षेत्र में भारत का सकल संवर्द्धित मूल्य: सकल संवर्द्धित मूल्य के अनंतिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 2017-18 कें 8.1 प्रतिशत से 2018-19 में कम होकर 7.5 प्रतिशत पर आ गई है। यह गिरावट उप-क्षेत्रों अर्थात व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाओं में 2018-19 में 6.9 प्रतिशत गिरावट आने और लोक प्रशासन एवं रक्षा में 8.6 प्रतिशत की गिरावट आने के चलते हुई। अच्छी बात यह रही कि उप-क्षेत्रों वित्तीय सेवाएँ स्थावर सम्पदा और व्यावसायिक सेवाओं में 2017-18 मे 6.2 प्रतिशत से 2018-19 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि में हालिया नरमी रहने के बावजूद सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन कृषि और विनिर्माण क्षेत्र से बेहतर रहना जारी था। जिसका कुल जीवीए वृद्धि में 60 प्रतिशत से भी अधिक योगदान था।

राज्यों का प्रदर्शन दर्शाता है कि 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 14 राज्यों में कुल जीवीए (Gross Value Added) में सेवाओं का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक था। विशेषकर चंडीगढ़ और दिल्ली में सेवाओं की हिस्सेदारी अधिक थी जो लगभग 80 प्रतिशत से अधिक थी। सिक्किम (30.2 प्रतिशत) की सबसे कम हिस्सेदारी थी। इसके विपरीत, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 40 प्रतिशत से कम था। यहाँ तक कि सेवाओं की अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी वाले राज्य जैसे कि हरियाणा, झारखण्ड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तराखण्ड में भी हाल के वर्षो में सेवा क्षेत्र में तेज वृद्धि देखी गई।

सेवा क्षेत्र में व्यापारः 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में मजबूत प्रदर्शन के बाद अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान सेवा निर्यात में कुछ मंदी रही। उप-क्षेत्रों द्वारा परिवहन सेवाओं का निर्यात 2017-18 के दौरान मजबूत था, जबकि कम्प्यूटर और आईसीटी सेवाओं के निर्यात में सतत् सुधार जारी रहा। दूसरी ओर यात्रा की प्राप्तियों में 2017-18 में मजबूत वृद्धि दर्ज किए जाने के बाद अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान कुछ हद तक नरमी रही, जो इस अवधि के दौरान विदेशी पर्यटकों का आगमन कम होने की तर्ज पर थी। कारोबार सेवाओं के निर्यात में भी यही रुझान देखा गया। इसी दौरान, सभी क्षेत्रों मे आयात में गिरावट आने के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष से अप्रैल-दिसंबर, 2018 के दौरान सेवा आयात घटा है।

2017-18 की स्थिति के अनुसार बढ़ते सेवा व्यापार अधिशेष से भारत के लगभग 50 प्रतिशत व्यापार घाटे के वित्त पोषण में सहायता मिली। तथापि, सेवा व्यापार अधिशेष मुख्यतः कम्प्यूटर और आईसीटी सेवाओं की वजह से हुआ था, और कुछ हद तक यात्रा सेवाओं के परिणामस्वरूप था। साथ-साथ भारत व्यापार सेवाओं, बीमा तथा पेंशन में बहुत ही कम व्यापार अधिशेष और वित्तीय सेवाओं में कम व्यापार घाटा उठाता है।

कम्प्यूटर और आईसीटी सेवाओं, व्यापार सेवाओं और यात्रा सेवाओं का कुल सेवा निर्यात में लगभग 75 प्रतिशत योगदान है। तथापि कुल सेवा निर्यात में उप-क्षेत्रों की हिस्सेदारी की प्रवृति हालिया वर्षों में मिली-जुली रही, जबकि परिवहन जैसी पारंपरिक सेवाओं की हिस्सेदारी, जोड़े गए मूल्य की सेवाओं जैसे कम्प्यूटर और आईसीटी वित्तीय सेवाओं और बीमा तथा पेंशन में भी गिरावट देखी गई। साथ ही साथ यात्रा सेवाओं की हिस्सेदारी इस अवधि के दौरान कुछ हद तक बढ़ी है।

सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई): सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह भारत में होने वाले कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 60 प्रतिशत से अधिक है। 2018-19 के दौरान, सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह पिछले वर्ष के लगभग 28

बिलियन डॉलर से घटकर 696 मिलियन डॉलर पर आ गया था जो 1.3 प्रतिशत कम था, जो भारत में हुए संपूर्ण एफडीआई अंतर्वाह में थोड़ी गिरावट के समतुल्य है। ऐसा उप-क्षेत्रों, जैसे कि दूरसंचार, परामर्शी सेवाओं और वायु एवं जल परिवहन के क्षेत्र में कमतर एफडीआई अंतर्वाह के कारण हुआ, जिसकी शिक्षा, खुदरा व्यापार और सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में हुए बेहतर अंतर्वाह से प्रतिपूर्ति हो गई।

सेवा क्षेत्र बनाम रोजगार

संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा-सांख्यिकी आँकड़ों के अनुसार, 2017 में भारत का स्थान सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 7वाँ और सेवा क्षेत्र के संदर्भ में 9वाँ था। सेवाओं के निर्यात के संदर्भ में भारत का स्थान ब्रिटेन के बाद दूसरा है जिसका हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देशों के समान है। हालांकि अन्य देशों के अनुभव की तुलना में भारत का रोजगार में सेवा हिस्सा 34 प्रतिशत है, जो जीवीए के 54 प्रतिशत सेवा हिस्सा से बहुत कम है।

भारत के सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन में यह भिन्नता पाई गई है क्योंकि यह क्षेत्र भारत के आकार के अनुपात में रोजगार सृजित करने में सक्षम नहीं रहा है।

रोजगार में सेवाओं का हिस्सा 2017 में लगभग अन्य देशों के सेवा जीवीए के हिस्से जैसेकि संयुक्त राज्य अमेरिका (79 प्रतिशत), चीन (56 प्रतिशत), जापान (71 प्रतिशत), जर्मनी (72 प्रतिशत), ब्रिटेन (81 प्रतिशत), ब्राजील (69 प्रतिशत), मैक्सिको (61 प्रतिशत) के बराबर है जिसका तात्पर्य है कि हाल के दशकों में सेवा क्षेत्र में हुआ विस्तार समानुपाती रोजगार, विशेषकर औपचारिक क्षेत्र में सृजित करने में असमर्थ रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि आगामी वर्षों में सेवा क्षेत्र में अन्य देशों की भांति रोजगार सृजन की काफी संभावनाएँ हैं।

प्रमुख सेवाएं: क्षेत्र-वार प्रदर्शन और कुछ हाल की नीतियाँ

हालांकि सेवा क्षेत्र के भीतर उप-क्षेत्रों में 2018-19 में मंदी आई है। आईटी-बीपीएम तथा कार्गो यातायात लगातार सुनिश्चित संख्या प्राप्त करने में लगा है परंतु वृद्धि दर घटी है। मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात में कमी होने के कारण, विमानन क्षेत्र में वृद्धि कम हुई है। पर्यटन क्षेत्र में भी 2018 में कुछ कमी महसूस की गई है। हालाँकि दूरसंचार के क्षेत्र में वायरलेस इंटरनेट ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। इन प्रदर्शनों को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा सकते हैं-

पर्यटनः पर्यटन क्षेत्र अर्थव्यवस्था की वृद्धि का एक मुख्य तंत्र है, जो जीडीपी, विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा रोजगार के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान देता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन के अनुसार, 2017 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन (आईटीए) कुल 1.3 बिलियन पहुंच गया है, जो 2016 में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से 6.7 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर के साथ पिछले वर्ष से 84 मिलियन अधिक है। 2017-18 में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) 14 प्रतिशत से बढ़कर 10.4 मिलियन तथा विदेशी मुद्रा भंडार अर्जन (एफईई) में 20.6 प्रतिशत से 28.7 विलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई।

हाल के वर्षों में विदेशी पयर्टन में तेजी आयी है जबकि घरेलू पयर्टन दौरों में वृद्धि दर 2016 में 12.7 प्रतिशत से घटकर 2017 में 2.4 प्रतिशत रह गई है। शीर्ष पाँच गंतव्य राज्य थे जो तमिलनाडु (345.1 मिलियन), उत्तर प्रदेश (234 मिलियन), कर्नाटक (180 मिलियन), आंध्र प्रदेश (165.4 मिलियन) और महाराष्ट्र (119.2 मिलियन) 2017 में घरेलू पर्यटन दौरे की कुल संख्या के 63.2 प्रतिशत बैठता है। घरेलू पर्यटक के लिए 2017-18 में सबसे ज्यादा बार देखे गये स्मारकों में ताज महल, आगरा (5.66 मिलियन), सूर्य मंदिर, कोर्णाक (3.22 मिलियन) और लाल किला, दिल्ली (3.04 मिलियन) रहे।

आईटी-बीपीएम सेवाएँ: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में ई-सरकारी सेवाओं, सामान्य सेवा केन्द्रों, बीपीओ उन्नयन योजनाओं, डिजिटल भुगतानों, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, डिजिटल साक्षरता अभियान, ई-कॉमर्स, जीएसटी नेटवर्क, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप्स इंडिया, ई-स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटीज तथा ई-कृषि बाजार स्थान/डिजिटल मंडियों को कवर करते हुए, डिजिटल इंडिया जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के माध्यम से अत्यधिक उछाल प्राप्त हुआ है। नई तथा उभर रही प्रौद्योगिकी से ये कुछ पहलें देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ा रही है तथा पारंपरिक के साथ-साथ यातायात, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि तथा पर्यटन जैसे अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों में राजस्व तथा रोजगार निर्माण दोनों के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक में नए अवसरों का निर्माण करती है।

गैर सरकारी टेलिविजन क्षेत्रः चीन के बाद, भारत विश्व में भुगतान-टीवी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद (बीएआरसी)/ईवाई अनुमान के अनुसार, भारत में अनुमानित 29.8 करोड़ परिवारों में से, 2018 में 19.7 करोड़ टीवी वाले परिवारों के साथ देश में टीवी की पैठ 66 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जो 2016 से 7.7 प्रतिशत अधिक है।

सार्वजनिक सेवा टीवी प्रसारणः प्रसार भारती, देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है, जिसके दो घटक हैं, ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन। यह सार्वजनिक सूचनाप्रद, शिक्षाप्रद तथा मनोरंजन के लिए तथा देश में प्रसारण का एक संतुलित विकास करना सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित तथा सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं आयोजित करने के अधिदेश के साथ 1997 में विद्यमान हुआ।

प्रिंट मीडियाः प्रिंट उद्योग में मुख्यतः मीडिया उद्योग एवं इंटरनेट तथा टीवी चैनलों की संख्या के बढ़ने के कारण, संपूर्ण विश्वभर में कमी आ रही है। भारत भी इस घटना का अपवाद नहीं है। प्रिंट मीडिया में विज्ञापन की हिस्सेदारी कुल राजस्व आय का 71 प्रतिशत है। यद्यपि, राजस्व का 96 प्रतिशत समाचार पत्रों से तथापि शेष पत्रिकाओं के माध्यम से अर्जित किया जाता है।

डिजिटल मीडियाः डिजिटल मीडिया के विभिन्न आयामों में ऑनलाइन वीडियो दृश्यता, ऑडियो, ओटीटी (Over the top) प्लेटफार्म के माध्यम से समाचार तथा सोशल मीडिया आदि शामिल हैं। फिक्की-एफआईसीसीआई-ईवाई मीडिया एवं मनोरंजन रिपोर्ट (2019) के अनुसार, 2018 में मोबाइल अभिदाताओं की कुल संख्या 1.17 बिलियन है। स्मार्टफोन प्रयोक्ताओं की संख्या 2018 में 39 प्रतिशत बढ़कर 340 मिलियन हो गई है। वर्ष 2017 और 2018 के बीच औसत डाटा खपत 4 जीबी से दोगुनी बढ़कर 8 जीबी प्रतिमाह हो गई है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल मीडिया बाजार 2018 में 42 प्रतिशत बढ़कर 169 बिलियन का हो गया है। ग्रामीण इंटरनेट अभिदाताओं की संख्या में 49 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह देखते हुए कि विश्व में 4 बिलियन इंटरनेट उपभोक्ता हैं, इस हिसाब से प्रत्येक 8 में से एक भारतीय उपभोक्ता है।

उभरता मीडियाः पारम्परिक मीडिया की तुलना में, ओटीटी, एनिमेशन और वीएफएक्स, घटनाओं का सीधा प्रसारण, ऑनलाइन गेमिंग आदि सहित डिजिटल मीडिया वाली यह नॉन-लीनियर मीडिया है जो हालिया वर्षों में मीडिया तथा मनोरंजन सेक्टर में दो अंकों में वृद्धि दर्ज कर रही है। ब्रॉडबैंड संपर्क का विस्तार, डाटा कीमतों में गिरावट, क्षेत्रीय भाषा सामग्री की मांग ने

डिजिटल मीडिया में वृद्धि की है। एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर भारत में भी एक फलता-फूलता कारोबार है जिसके अंतर्गत निर्माण-पश्चात् संबंधी कार्यों के लिए यहाँ तक कि हॉलीवुड की फिल्मों को भी भारत में आउटसोर्स किया जा रहा है। इन कार्यों में वीडियो संपादन, दृश्यात्मक प्रभाव, एनिमेशन, 2डी-3डी रूपांतरण इत्यादि शामिल हैं। भारत के लिए यह उगते सूरज सेक्टरों में से एक है और इस सेक्टर के द्रुत गति से होते विस्तार को देखते हुए कुशल व्यावसायिकों की भी विपुल आवश्यकता है।

रेडियो क्षेत्र: ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) का प्रसारण 479 जगहों पर कार्यात्मक है जो लगभग 92 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और देश की जनसंख्या के 99.2 प्रतिशत लोगों को कवर करता है। वर्तमान में, ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सेवा देशभर में 458 जगहों पर कार्यशील 495 ट्रांसमीटरों से उपलब्ध कराई जा रही है जिससे यह सेवा लगभग देश के 39 प्रतिशत क्षेत्र और देश की कुल जनसंख्या के 52 प्रतिशत तक पहुंचती है।

नीतिगत पहलें: सिनेमाघरों में फिल्मों की अप्राधिकृत रिकॉर्डिंग के द्वारा फिल्मों की बढ़ती चोरी को ध्यान में रखते हुए, भारतीय छायांकन अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक राज्य सभा में फरवरी, 2019 में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को विस्तृत जांच के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को सदर्भित कर दिया गया है।

अंतरिक्ष सेवाएँ: भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम पृथ्वी प्रेक्षण, संचार और नौवहन से सम्मिलित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से वृहत से सूक्ष्म स्तरों पर सामाजिक-आर्थिक संबंधी मुद्दों का निवारण करने लिए राष्ट्रीय विकास में योगदान करता है। विगत तीन दशकों के दौरान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सरल मानचित्रण अनुप्रयोगों से जटिल मॉडलों के विकास, निर्णय समर्थन और शुरूआती चेतावनी प्रणालियों को शामिल करके तेज गति से विकसित हुई है। उपग्रह आधारित मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाएँ वे क्षेत्र हैं जिनमें भारत ने अपनी पहचान बनाई है और इनमें भविष्य के लिए अपार संभावनाएँ हैं। भारत ने अंतरिक्ष परिवहन, पोलर उपग्रह प्रक्षेपण व्हीकल (पीएसएलवी), भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण व्हीकल (जीएसएलवी) तथा भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण व्हीकल मार्क-III (जीएसएलवी मार्क-III) के द्वारा विशेष उपलब्धि हासिल की है और उसे प्रचालनात्मक बनाने के माध्यम से पृथ्वी प्रेक्षण, संचार, नौवहन और अंतरिक्ष की खोज हेतु प्रक्षेपण उपग्रहों के लिए भारत ने अंतरिक्ष परिवहन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। जटिल क्रायोजनिक रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी को विकसित करने में भारत विश्व का छठा देश बन गया है और इससे अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण व्हीकल अर्थात् जीएसएलवी मार्क-III के लिए उच्च शक्ति के क्रायोजनिक इंजन एवं स्तर विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में, मार्च 2019 में पीएसएलवी ने संचयी रूप से 324 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जिनमें 45 राष्ट्रीय उपग्रह, विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्मित 10 विद्यार्थी उपग्रह तथा 32 देशों से 269 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह शामिल थे। पीएसएलवी के पास यह विशिष्ट सम्मान भी है कि उसने एक ही प्रक्षेपण में अधिकतम संख्या के उपग्रह 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए। जीएसएलवी मार्क-III ने उप-कक्षीय प्रयोगात्मक उड़ानों और तत्पश्चात दो विकासात्मक उड़ानों को सफलतापूर्वक पूरा किया। 14 नवम्बर, 2018 को अपनी दूसरी विकासात्मक उड़ान में, जीएसएलवी एमके-III ने भारतीय भूमि से सबसे भारी उपग्रह, जीसैट-29 को प्रक्षेपित किया तथा यह उपग्रह प्रचालनात्मक चरण में प्रवेश कर गया है।

पहली प्रचालनात्मक उड़ान में, 2019 में, चंद्रयान-2 को प्रक्षेपित किया जाना निर्धारित है, जो भारत का दूसरा चंद्रमा संबंधी मिशन होगा और चंद्रमा की सतह पर उतरने का पहला मिशन होगा।

भुवन सेवाएँ

इसरो का भूमि-पोर्टल, भुवन बहु-संवेदी, बहु-प्लेटफार्म और बहु-लौकिक उपग्रह बिम्ब, विषयगत मानचित्र तथा पृथ्वी प्रेक्षण एवं आपदा प्रबंधन सहायता संबंधी अन्य व्युत्पन्न सूचना उपलब्ध कराता है। वर्तमान में, विभिन्न अनुप्रयोगों के अंतर्गत भुवन द्वारा प्रस्तुत की गई 6500 से अधिक मानचित्र सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। भुवन को 20 से अधिक मंत्रालयों के पोर्टल तथा 30 से अधिक राज्यों के पोर्टल इस्तेमाल करते हैं।

मैपिंग और जियोस्पेस्टिल सेवा

इसरो द्वारा प्रचालनात्मक कुछ अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में भू-आँकड़ों के साथ समकालिक, उपग्रह आँकड़े शामिल हैं, जिनका कृषि-मौसम विज्ञान और बाज़ार अर्थशास्त्र पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विश्लेषण किया जा रहा है ताकि फसल रकबा का अनुमान और देश में 8 प्रमुख फसलों अर्थात् गेहूँ, चावल (खरीफ और रबी), सरसों, रबी ज्वार, जूट, सर्दियों का आलू, ईख, कपास के उत्पादन संबंधी मौसमी पूर्वानुमान लगाया जा सके। इसरो द्वारा विकसित तकनीक का प्रयोग करके, महलानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन) जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से फसलों का पूर्वानुमान लगाता है और सरकार को आयोजना निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है।

निष्कर्ष

जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश की अत्यधिक संभावना है। सरकार भी इस क्षेत्र में निवेश को लेकर गंभीर है इसीलिए कई योजनाओं के अंतर्गत वह इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है। हालांकि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में जीवीए में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई है फिर भी यह आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य पहलू साबित होगा। वर्तमान में सबसे ज्यादा एफडीआई (FDI) इसी क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है। इस कारण से भी यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। रोजगार के हिसाब से भी सेवा क्षेत्र भारत का मुख्य क्षेत्र है इसलिए सरकार को इसके सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर इसमें अत्यधिक निवेश करना चाहिए ताकि इसका समुचित लाभ प्राप्त किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

2018–19 में भारतीय अर्थव्यवस्था : एक समष्टि परिदृश्य

प्र. भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के सापेक्ष स्थिर रही है। चर्चा कीजिए।

उत्तरः

संदर्भ

- भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगतिशील बनी हुई है। इसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कई चुनौतियाँ पेश आती हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है। सरकार द्वारा संरचनात्मक सुधारों के चलते 2019-20 में अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत वृद्धि होने का पुर्वानुमान है।

परिचय

- वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2018 कठिनाई भरा था, 2017 में विश्व की उत्पादन वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत थी जो वर्ष 2018 में घटकर 3.6 प्रतिशत पर आ गई।

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं भारत

- 2018 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में दबाव विकासशील देशों में मंदी तब देखने को मिली जब संयुक्त राज्य अमरीका व चीन के बीच व्यापार तनाव चरम स्थिति तक पहुँच गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन

- पिछले 5 वर्षों (2014-15 के बाद) में 7.5 प्रतिशत औसत वृद्धि के साथ भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि उच्च रही है। 2018-19 में, भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम है।

अर्थव्यवस्था का आपूर्ति पक्ष

- सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए), अर्थव्यवस्था के आपूर्ति अथवा उत्पादन पक्ष को प्रतिबिंबित करता है जिसमें बाज़ार कीमतों पर जीडीपी प्राप्त करने के लिए उत्पादों पर निवल अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है।

अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना

- 2018-19 में संवृद्धि की गति में कुछ धीमेपन के बाद अर्थव्यवस्था में बहाली दर्शाते हुए वर्ष, 2019-20 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत अनुमानित है।

निष्कर्ष

- भारतीय की अर्थव्यवस्था में निजी निवेश में तेजी और मजबूत उपभोग वृद्धि होने की संभावना के चलते भारत का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होती है। ■

2. मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

प्र. ऐसे कौन से कारक थे जिससे बैंकिंग प्रणाली में नकदी का संकट उत्पन्न हो गया था? उदाहरण सहित वर्णन करें।

उत्तरः

संदर्भ

- पिछले वर्ष मौद्रिक नीति में काफी बड़ा उलट-फेर हुआ। हालांकि, नकदी की स्थिति सितम्बर 2018 से व्यवस्थित रूप से तंग रही है। गैर निष्पादक परिसंपदाओं के अंतर में कमी और साख प्रसार में तेजी के कारण बैंकिंग प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

वर्ष 2018-19 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

- अब तक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति की छह बैठकें वर्ष 2018-19 और दो बैठकें वर्ष 2019-20 में सम्पन्न हो चुकी हैं।

तरलता की प्रावस्था और इसका प्रबंधन

- सख्त तरलता का प्रभाव ब्याज दरों पर भी पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम दो तिमाहियों में बैंकों द्वारा ऋण देने में सुधार हुआ है, किन्तु बैंक जमा की वृद्धि उत्साह हीन रही है।

बैंकिंग क्षेत्र

- बैंकिंग क्षेत्र के (घरेलू प्रचालन), विशेष कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में 2018-19 में सुधार आया है।

साख वृद्धि

- गैर खाद्य साख संवृद्धि (NFC), जो कि पिछले कुछ वर्षों में धीमी रही थी, में 2018-19 में सुधार आया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

- गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (एनबीएफसी) कंपनियों से वित्तीय क्षेत्र में विविधता आई है और ये ग्राहकों की जरूरतों के प्रति और भी संवेदी साबित हुई हैं।

शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता 2016: कॉर्पोरेट संकटग्रस्तता का समाधान करने का नवीन प्रतिमान

- भारतीय बैंकिंग क्षेत्र देश के आर्थिक विकास को प्रेरित करने वाले कारकों में सबसे आगे रहा है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में, यह क्षेत्र विभिन्न कारणों से एनपीए के बढ़ने के चलते त्रस्त रहा है।

निष्कर्ष

- सीमा-पार शोधन अक्षमता, समूह शोधन अक्षमता, शोधन अक्षमता और व्यक्तियों का दिवालियापन एवं एनसीएलटी क्षमता में सुधार। ■

3. कीमतें और मुद्रास्फीति : निगरानी एवं प्रबंधन

प्र. अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान मुद्रास्फीति किन समूहों से प्रभावित रही है? चर्चा करें।

उत्तरः

संदर्भ

- वित्त वर्ष 2019 के दौरान हेडलाइन (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति के कम रहने के कारण निरन्तर, कमी की ओर अग्रसर थी।

मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृत्तियाँ

- औसत सीपीआई-सी हेडलाइन मुद्रास्फीति (Headline Inflation) में 2018-19 में 3.4 प्रतिशत तक गिरावट हुई, जो सीपीआई की नई श्रृंखला शुरू हाने से लेकर अब तक न्यूनतम औसत है।

मुद्रास्फीति के कारक

- अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीआई-सी मुद्रास्फीति इन मुख्य समूहों से प्रभावित रही जैसे कि घर (आवासीय), ईंधन तथा बिजली आदि। वस्तु मुद्रास्फीति जो कि सीपीआई-सी का 76.6 प्रतिशत अंश थी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.2 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2.6 प्रतिशत हो गयी।

मुद्रास्फीति को रोकने के प्रयास

- जहाँ और जब भी जरुरत पड़ती है, राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे जमाख़ोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, विशेषकर तब जब जिन्सों (Commodity) की आपूर्ति कम हो रही हो। ऐसे उपाय विशेष रूप से आवश्यक जिन्स अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी निवारक और आवश्यक जिन्स आपूर्ति बहाली अधिनियम, 1980 के अंतर्गत की जाती है।

निष्कर्ष

- वित्त वर्ष 2018-19 में खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति कम रही है। इस वर्ष दालों, सब्जियों और चीनी की कीमतों में कमी का रुख देखा गया है हालाँकि कोर मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रही है। ■

4. सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन

प्र. वर्ष 2030 तक भारत गरीबी हटाने, स्त्री-पुरुष के बीच समानता तथा आर्थिक समता को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। इस संदर्भ में ऐसे कौन से एसडीजी लक्ष्य हैं जिनमें भारत को तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है?

उत्तरः

संदर्भ

- विश्व के सभी देश वर्ष 2030 तक अपने वैश्विक एजेंडा के तहत गरीबी हटाने, स्त्री-पुरुष के बीच समानता तथा आर्थिक समता को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ परिवेश सुनिश्चित किया जा सके।

सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना

- एसडीजी एक प्रकार का वैश्विक लक्ष्य है। ये व्यापक, सार्वभौमिक और एकीकृत है तथा गरीबी एवं असमानता, आर्थिक विकास, नवाचार, सतत् उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, शांति एवं न्याय और सहभागिता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देते हैं।

एसडीजी की ओर भारत के कदम

- भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रमों जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने सतत् विकास को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति में प्रमुख रूप से योगदान दिया है।

संसाधन दक्षता

- संसाधन दक्षता (Resource efficiency) सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने के 2030 एजेंडा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है। एसडीजी 12 का उद्देश्य एसडीजी के आठ अन्य लक्ष्यों (2, 6, 7, 8, 9, 11, 14 और 15) के साथ संधारणीय खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना है, जिसका असर संसाधन दक्षता पर पड़ेगा।

आगे की राह

- भारत सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने की ओर तेजी से प्रगति कर रहा है। सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 10 (असमानता में कमी) और सतत् विकास लक्ष्य 15 (भूमि पर जीवन) को प्राप्त करने में भारत की प्रगति प्रशंसनीय रही है। ■

5. कृषि एवं खाद्य प्रबंधन : एक विस्तृत विवरण

प्र. भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस संदर्भ में सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

उत्तरः

चर्चा का कारण

- भारत में आबादी के बड़े हिस्से के लिए कृषि सर्वप्रथम व्यवसाय बना हुआ है।

परिचय

- कृषि और संबंधित क्षेत्र छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोजगार और जीविकोपार्जन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

कृषि और संबंधित क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण

- कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वर्ष 2013-14 में 17.7 प्रतिशत की बढ़त दिखाई दी किंतु तत्पश्चात वर्ष 2017-18 में यह घटकर 15.2 प्रतिशत हो गई।

सरकारी प्रयास

- महिला कृषकों की बढ़ती संख्या, लघु भूधारक कृषि में संसाधन दक्षता

लाना, कृषि में सिंचाई जल उत्पादकता बढ़ाना, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में कमी, छोटी जोत वाले खेतों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाना, आधारभूत संरचना और बाज़ारों तक पहुंच में सुधार, कृषि ऋण, भारत का खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य प्रबंधन, खाद्य सब्सिडी एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण इत्यादि।

निष्कर्ष

- भारत में आबादी के बड़े हिस्से के लिए कृषि सर्वप्रथम व्यवसाय बना हुआ है। इतने वर्षों में इस क्षेत्र के सम्मुख कई नई चुनौतियाँ आई हैं। कृषि जोत के विभाजनों और जल संसाधनों में आ रही कमी को देखते हुए एक संसाधन दक्ष आईसीटी आधारित जलवायु अनुकूल (क्लाइमेट स्मार्ट) कृषि उत्पादकता और संधारणीयता को बढ़ाया जा सकता है। ■

6. भारत में विकसित होता उद्योग एवं अवसंरचना क्षेत्र

प्र. भारत में उद्योग एवं अवसंरचना क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है, किंतु इसके समक्ष धीमे क्रेडिट प्रवाह, नकदी की कमी आदि प्रमुख चुनौतियाँ हैं। चर्चा करें।

उत्तर:

संदर्भ

- उद्योग-अवसंरचना का उल्लेख किए बिना आर्थिक संवृद्धि की गाथा प्रायः अधूरी ही होगी। 133 करोड़ से अधिक लोगों का निवास स्थान होने के नाते भारत को एक प्रफुल्लित एवं लचकदार अवसंरचना के साथ एक मजबूत औद्योगिक व्यवस्था की आवश्यकता है।

भारत में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को ''स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया'' पहल की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो स्टार्ट-अप के विकास के लिए अनुकूल हो।

क्षेत्रक-वार मुद्दे और कार्यनिष्पादन

- इस्पात, चमड़ा और फुटवियर, रत्न एवं आभूषण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), कपड़ा और वस्त्र, अवसंरचना, दूरसंचार क्षेत्र एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इत्यादि।

अवसंरचना फाइनेंस: सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)

- अवसंरचना में निजी निवेश मुख्यतः पीपीपी के रूप में आया है। पिछले दशक में भारत में अवसंरचना निवेश का एक तिहाई से अधिक निवेश निजी क्षेत्र से आया है।

आगे की राह

- प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ते हुए विश्व में भारत को अपने उद्योग और अवसंरचना को विकसित करना होगा। ■

7. भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन : एक सिंहावलोकन

प्र. भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्रों के भीतर मंदी आई है किंतु इस क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। कुछ प्रमुख सेवा क्षेत्रों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

संदर्भ

- सेवा क्षेत्र का भारत के सकल संवर्द्धित मूल्य (जीवीए) में 54 प्रतिशत का योगदान है।

भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

- पर्यटन, आईटी-बीपीएम सेवाएँ, गैर सरकारी टेलिविजन क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा टीवी प्रसारण, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, उभरता मीडिया, रेडियो क्षेत्र, नीतिगत पहलें, अंतरिक्ष सेवाएँ एवं भुवन सेवाएँ इत्यादि।

सेवा क्षेत्र में व्यापार

- 2017-18 (अप्रैल- दिसंबर) में मजबूत प्रदर्शन के बाद अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान सेवा निर्यात में कुछ मंदी रही। उप-क्षेत्रों द्वारा परिवहन सेवाओं का निर्यात 2017-18 के दौरान मजबूत था, जबकि कम्प्यूटर और आईसीटी सेवाओं के निर्यात में सतत् सुधार जारी रहा।

सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)

- सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह भारत में होने वाले कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 60 प्रतिशत से अधिक है।

सेवा क्षेत्र बनाम रोजगार

- संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा-सांख्यिकी आँकड़ों के अनुसार, 2017 में भारत का स्थान सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 7वाँ और सेवा क्षेत्र के संदर्भ में 9वाँ था।

निष्कर्ष

- जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश की अत्यधिक संभावना है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

रक्षा पहलें

संदर्भ

1.1 रक्षा व्यय की दक्षता और प्रयोजन बढ़ाने, आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं।

बजट

2.1 2018-19 के लिए सिविल अनुमानों और पेंशन सहित रक्षा बजट के आवंटन 4,04,364.71 करोड़ रुपए हैं, जो कि बजट अनुमान 2017-18 की तुलना में 44,510.50 करोड़ रुपए अधिक है।

2.2 पूंजीगत व्यय में तो पिछले कुछ वर्षों से काफी अधिक वृद्धि हुई है।

2.3 तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों को और अधिक अधिकार प्रदान करने से सशस्त्र बलों के राजस्व खरीद में निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी गई है।

आत्मनिर्भरता

3.1 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने तथा रक्षा उत्पाद निर्माण में भारत को एक वैश्विक 'हब' बनाने के लिए आयुध निर्माण (ओएफ), सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू) और गैर सरकारी उद्योग इको प्रणाली ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और उत्पाद क्षेत्र में काफी विस्तार किया है।

3.2 अनुसंधान और विकास पहलों के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रमुख उत्पाद विकसित किए गए हैं।

3.3 इसके अतिरिक्त, अनेक उत्पाद एवं उपकरण अब प्रौद्योगिकी के अन्तरण के माध्यम से भी उत्पादित किए जा रहे हैं।

3.4 एक नीति के रूप में डीपीएसयू और ओएफ अपनी अनेक जरूरतों को आउट सोर्सिंग से प्राप्त कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने बड़े, मध्यम और लघु उद्यमों का एक आपूर्तिकर्ता जाल विकसित कर लिया है। साथ ही ये दोनों संगठन अपने उपकरणों और उत्पादों में स्वदेशी अंश बढ़ाने के कार्य भी कर रहे हैं।

नीतिगत पहल

4.1 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अप्रैल 2018 में "इन्नोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस" (आईडैक्स) नामक रक्षा क्षेत्र हेतु एक नवाचार इकोप्रणाली आरंभ किया था।

4.2 आईडैक्स का उद्देश्य रक्षा तथा विमान निर्माण तकनीक में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक इकोप्रणाली तैयार करना है।

4.3 आईडैक्स का आशय एमएसएमई, स्टार्ट अप, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा शिक्षा क्षेत्रों सहित उद्योगों को बढ़ावा देना है और उन्हें अनुसंधान एवं विकास करने के लिए अनुदान/वित्त पोषण एवं अन्य सहायता प्रदान करता है, जिनमें भारतीय रक्षा तथा विमान निर्माण तकनीक की आवश्यकताओं हेतु भावी तकनीक अंगीकार करने की क्षमता हो।

4.4 जनवरी, 2018 से रक्षा उत्पादन विभाग में एक रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ बनाया गया है। इसने सभी प्रकार के रक्षा उत्पादन से संबंधित प्रश्नों का एक वन-स्टॉप समाधान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

5.1 एफडीआई नीति को आगे और उदारीकृत बनाया गया था। रक्षा क्षेत्र में 49% से अधिक एफडीआई की अनुमति दी गई थी।

5.2 भारतीय गैर सरकारी क्षेत्र की प्रतिभागिता के लिए रक्षा उद्योग क्षेत्र के खोले जाने के पश्चात् सार्वजनिक तथा गैर सरकारी क्षेत्र दोनों में, विभिन्न रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में अभी तक 24 एफडीआई प्रस्ताव/संयुक्त उद्यमों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

भारत में संसाधन दक्षता फ्रेमवर्क

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से कहा है कि भविष्य में संसाधन दक्षता (Resource efficiency) को सतत विकास के जरिए हासिल किया जा सकता है।

नीतियाँ

2.1 संसाधनों की खपत न्यूनतम करने, कचरे का उत्पादन और हरितगृह गैसों (जीएचजी) का उत्सर्जन कम करने के साथ ही संसाधन दक्षता के क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

2.2 संसाधन दक्षता (आरई) को सम्मिलित करते हुए खान मंत्रालय की मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों को मजबूत बनाना।

2.3 जिन गाड़ियों का निर्धारित जीवनकाल समाप्त हो चुका है, उनके लिए एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना।

कार्यक्रम और मुख्यधारा

3.1 संसाधन दक्षता (आरई) जैसी पहल को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए मौजूदा प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं, जैसे- स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटीज, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अन्य को बढ़ावा देना।

3.2 इंडस्ट्री/उद्योग जगत संसाधन दक्षता (आरई) के लिए उठाए जाने वाले कदमों के तहत समेकित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर), समेकित पर्यावरणीय जिम्मेदारी (सीईआर) और वृहत्तर उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) को बढ़ावा दे सकता है।

3.3 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा राष्ट्रीय रासायनिक प्रबंधन योजना पर तैयार किए जा रहे मसौदे को दृष्टिगत रखते हुए रासायनिकों के सुरक्षित एवं प्रबंधन के लिए एक रणनीति तैयार करना। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण को बढ़ावा देना।

विनियमन

4.1 विभिन्न मंत्रालयों के बीच राष्ट्रीय संसाधन दक्षता (आईई) संबंधी लक्ष्यों को चिह्नित करने, लागू करने और हासिल करने के लिए राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय समन्वयी निकाय के रूप में संसाधन दक्षता ब्यूरो (बीआरई) की स्थापना करना।

4.2 'रेड' (RED) वर्ग में मध्यम और वृहत्त उद्योगों को स्थायी रूप से बंद करने के लिए अपेक्षित अधिदेश 'बंद करने की सहमति' को जारी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कचरे के बहाव को बंद करने से पहले उक्त कचरे को जिम्मेदारीपूर्वक व्यवस्थित करते हुए पुनः चक्रित किया जा सके।

4.3 आवश्यक कच्चे माल पर करों को तर्क संगत बनाकर द्वितीयक कच्चे माल की कीमतों को स्पर्द्धाशील बनाया जा सकता है।

गतिशील पुनः चक्रण उद्योग को स्थापित करना

5.1 शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन का आवंटन करते हुए 'मैटेरियल रिकवरी फैसीलिटीज' (एमआरएफ) की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

5.2 शहरी क्षेत्रों में खनन करने तथा सुरक्षित भू-राजस्व के लिए शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करना।

5.3 इसके अलावा संसाधन रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए नवाचार की सुविधा प्रदान करना।

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास

6.1 संसाधन दक्षता (आरई) को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना एवं उक्त मंच का संचालन करना जो कि नवाचार करने के लिए प्रेरित करता है।

6.2 इसके अतिरिक्त यह विशेषज्ञों तक पहुँच की सुविधा उपलब्ध कराता है तथा संसाधन दक्षता की ओर उन्मुख करने में शिक्षाविदों की भी मदद लेता है।

6.3 पुनः चक्रण उद्योग के लिए कृत्रिम बुद्धि (एआई), रोबोटिक्स, ब्लॉक चेन इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

क्षमता विकास, विस्तार एवं मॉनीटरिंग

7.1 प्रमाणित प्रयोगशालाओं के निर्माण की सुविधा उपलब्ध करना जो परीक्षण (विशेषकर पुनर्चक्रित उत्पादों के लिए) करने के साथ ही साथ परामर्श जैसी सेवाएँ भी दे सकें।

7.2 राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर मंत्रालयों/विभागों के लिए संसाधन दक्षता के संबंध में क्षमता विकास की सुविधा उपलब्ध कराना।

7.3 संसाधन दक्षता में अनौपचारिक क्षेत्र के कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रमों एवं प्रमाणन को बढ़ावा देना तथा उसका विकास करना। संसाधन दक्षता की प्रगति की जाँच करना और परिणाम संकेतक की निगरानी करना।

7.4 कचरे को संसाधित करने वाले पुनः चक्रण केन्द्रों को संचालित करने वाले ऑपरेटरों के लिए प्रमाणन और अधिदेश जारी करना ताकि संचालन को सुरक्षित, दक्षतापूर्ण और सकारात्मक ढंग से सम्पन्न किया जा सके।

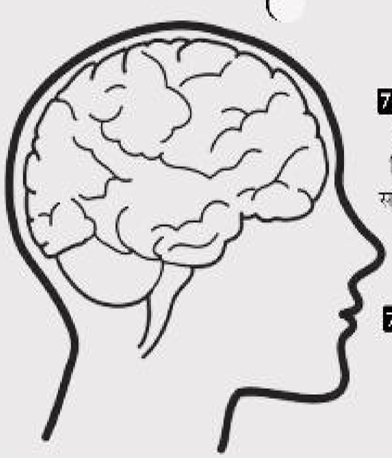

जेंडर बजटिंग

संदर्भ

1.1 भारत सरकार ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जेंडर उत्तरदायी बजटिंग को स्वीकार किया था।

जेंडर बजटिंग क्या है?

2.1 जेंडर बजटिंग लैंगिक समता को मुख्य धारा में लाने का एक उपकरण है। इसमें सम्पूर्ण नीति प्रक्रिया के लिए जेंडर (महिला और पुरुष) आधारित नीति अपनाने के लिए बजट का उपयोग किया जाता है।

2.2 महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नोडल एजेंसी के रूप में लैंगिक समानता के लिए बजट बनाने की मिशन रणनीति को अपनाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा बजट की योजना महिलाओं और पुरुषों के अंतर की जरूरत के अनुसार बनायी जाती है तथा इसके पश्चात प्राथमिकता निर्धारित की जाती है।

2.3 जेंडर बजटिंग कानून, नीति, योजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के जेंडर संवेदनशील निर्माण से संबंधित है। इसी प्रकार जेंडर बजटिंग संसाधनों के आवंटन और संग्रहण, कार्यान्वयन और निष्पादन, कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी, समीक्षा, लेखापरीक्षा और प्रभाव के आकलन, और लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई से संबंधित होती है।

2.4 यह कई संस्थागत तंत्रों, जैसे जेंडर बजट विवरण, जेंडर बजट प्रकोष्ठ तथा महिलाओं एवं लड़कियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से की जाती है।

जेंडर बजटिंग के क्षेत्र में भारत के प्रयास

3.1 वर्ष 2001 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पहली बार जेंडर बजटिंग का उल्लेख किया था। इसके बाद, मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय रखने की सिफारिश की गई थी।

3.2 व्यय विभाग वर्ष 2005-06 से बजट परिपत्र के एक भाग के रूप में जेंडर बजटिंग के लिए एक नोट जारी करता रहा है।

3.3 महिला और बाल विकास मंत्रालय राज्य स्तर पर जेंडर बजटिंग को लागू करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ, एक दूसरे से सम्पर्क तथा संसाधन सामग्री के विकास जैसे कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

आवश्यकता क्यों

4.1 भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर आदि मानकों पर वे पीछे रह जाती हैं। संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच कमतर होने के कारण उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

4.2 प्राइमरी स्कूलों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों के ड्रॉपआउट रेट को अलग-अलग देखना होगा। अगर ड्रॉपआउट की दर में बैलेंस के लिए सरकारी बजट की ओर से कोई विशेष कोशिश होती है तो वह जेंडर बजटिंग का हिस्सा माना जाएगा।

कमियाँ

5.1 महिला अधिकारों से जुड़े लोगों का मानना है कि भारत में हर विभाग के जेंडर बजट का डेटा अब भी साफ नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017-18 में 31,390 करोड़ रुपये उन स्कीमों को दिए, जो महिलाओं के लिए थीं। लेकिन जानकारों का कहना है कि इसमें से 23 हजार करोड़ रुपये तो अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए गए, जो सिर्फ महिलाओं की योजना नहीं है।

5.2 जेंडर बजटिंग के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी है, लेकिन उसे इतने अधिकार नहीं दिए गए कि वह जेंडर बजटिंग को अपने असली रूप में लागू कर सके।

वर्ष 2019-20 में जेंडर बजट

6.1 वर्ष 2019-20 के जेंडर बजट में 30 मंत्रालयों/विभागों ने यह रिपोर्ट दी है कि उनके यहाँ महिलाओं के मद में स्कीमें चलायी जा रही हैं जो कि कुल केंद्रीय बजट का लगभग 5% है।

6.2 इसके अलावा, 57 मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजटिंग प्रक्रिया को संस्थागत बनाने और मजबूत करने के लिए जेंडर बजट प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

6.3 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, 4500 से अधिक सरकारी अधिकारियों को जेंडर बजट स्कीम के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

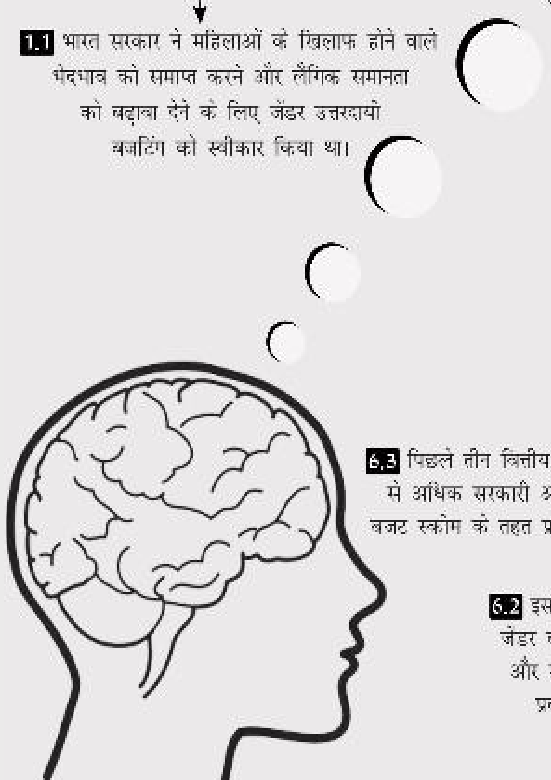

मछली पालन उद्योग सेक्टर

संदर्भ

1.1 मछली पालन उद्योग भारत में तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जो 14.5 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को आय और रोजगार प्रदान कराने के अतिरिक्त देश की एक बड़ी आबादी को पोषण और खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत में मछली पालन उद्योग की स्थिति

2.1 भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जिसका कुल उत्पादन वर्ष 2018-19 में लगभग 13.7 मिलियन मीट्रिक टन था और उसमें 65 प्रतिशत उत्पादन स्थलीय क्षेत्र से था।

2.2 लगभग 50 प्रतिशत देशी मछली उत्पादन प्रजातीय मत्स्य पालन से है जो वैश्विक मछली उत्पादन का 6.5 प्रतिशत है।

2.3 यह क्षेत्र कृषि सकल घरेलू उत्पाद के 6.5 प्रतिशत का योगदान कर रहा है और इसकी सकल मूल्य वृद्धि में तेजी से वृद्धि हो रही है।

2.4 मछली और मछली से बने उत्पाद का निर्यात कृषि निर्यातों में सबसे बड़े समूह के रूप में उभरा है जिसका लेखा वर्ष 2018-19 में 47620 करोड़ रुपये रहा है।

2.5 मत्स्य क्षेत्र में विशाल संसाधन क्षमताओं और संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाते हुए फरवरी 2019 में पृथक मत्स्यकी विभाग गठित किया गया है।

2.6 सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र की सभी स्कीमों को 'नीली क्रांति मत्स्य पालन एकीकृत विकास और प्रबंधन' की एक वृहद योजना में विलय कर दिया गया है और फरवरी 2019 में पृथक मत्स्यकी विभाग गठित किया है जिसके अंतर्गत स्थलीय और समुद्री दोनों प्रकार के मत्स्य पालन और मत्स्य संसाधनों से मछली उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

एनआईएफएपी, 2019

3.1 यद्यपि स्थलीय मत्स्य पालन और जलकृषि में कुल मिलाकर तो वृद्धि हुई है, फिर भी इसकी प्रभावकारिता अभी तक हासिल नहीं हुई है।

3.2 चूंकि यह क्षेत्र अत्यधिक विविधतापूर्ण और गतिशील है, इसलिए नीतियाँ और कार्यक्रमों को सरल और कारगर बनाने, सरकारी और निजी निवेशों को लगाने और इस क्षेत्र के अनुकूलतम संसाधन उपयोग और विकास के लिए किसानों और मछुआरों के लिए अनुसंधान और विकास लाभ प्रदान करने की आवश्यकता है।

प्रमुख नीतिगत सिफारिश

4.1 देशी संसाधनों का संरक्षण करना और नदियों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली।

4.2 मानव निर्मित जल भंडारों में मत्स्य पालन के प्रबंधन को वैज्ञानिक संवर्द्धन और कार्यक्षम नियंत्रण के लिए राज्य मत्स्य पालन विभाग में अंतरित करना।

4.3 प्राकृतिक आर्द्रभूमि में पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना और बहाल करना।

4.4 हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों में मत्स्य पालन के विकास के लिए नीतियाँ, कानून और संरक्षण कार्यक्रम तैयार करना शामिल है।

अन्य नीतिगत उपाय

5.1 सभी जल कृषि आदानों का पंजीकरण अनिवार्य करना साथ ही विदेशी प्रजातियों को नियंत्रित करना। बीमारी निगरानी में सुधार करना एवं प्रजातियों में परिवर्तन लाना।

5.2 मत्स्य पालन सहकारिता को सशक्त करना। मछुआरों और किसानों के कल्याण में उत्थान करने के लिए अन्य समान योजनाएँ लाकर वर्तमान कल्याण और सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों को सशक्त करना।

5.3 स्थलीय मत्स्य पालन और जल कृषि को शामिल करते हुए नियमित अंतरालों पर गणना करने के माध्यम से स्थलीय मत्स्य पालन और जल कृषि डाटाबेस को सशक्त करना।

5.4 महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके संगठन तथा नेतृत्व क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से महिला पुरुष समानता शामिल है।

आगे की राह

6.1 पशुधन विकास और मत्स्य पालन क्षेत्र के माध्यम से आय में वृद्धि करने के दौरान, गरीबों के लिए आय और जीविका सुनिश्चित करने के संधारणीय लक्ष्यों का एकीकरण करना महत्वपूर्ण है।

6.2 समुद्री संसाधन के अति शोषण से बचने के साथ-साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के संबंध इस दिशा में कार्य करना है।

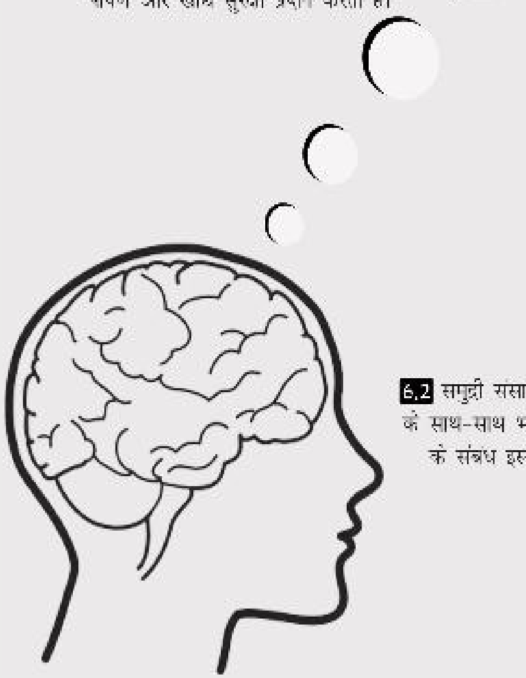

ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम

संदर्भ

1.1 जहाँ एक ओर भारत सभी तक विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जीवनयापन तरीकों में सुधार लाने के साथ अपने ऊर्जा उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने की ओर ध्यान केन्द्रित करता है वहीं वह यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है कि इस प्रक्रिया में ऐसे प्रगतिपथ को अपनाया जाए जो संधारणीय विकास उपलब्ध कराए और पर्यावरण को संरक्षण दे।

स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग कार्यक्रम

2.1 भवन: एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी), जोकि 100 किलो वाट के लोड अथवा 120 केवीए अथवा अधिक की स्थापित मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक स्थापित करते हैं, को वर्ष 2017 में बीईई द्वारा अद्यतन किया गया है।

2.2 छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग: बीईई ने कपड़ा, ईंटों एवं खाद्य समूहों में विभिन्न ऊर्जा दक्ष प्रदर्शन परियोजनाएँ कार्यान्वित की हैं।

2.3 परिवहन: पैसेंजर कारों के लिए अप्रैल 2015 को कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (सीएएफई) मानदंड और 12 टन से अधिक वजन वाले हैवी ड्यूटी वाहनों पर अगस्त 2017 को ईंधन दक्षता मानदंड अधिसूचित किए गए।

2.4 इसके अतिरिक्त हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानदंड को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ट्रैक्टरों के लिए विकसित किया जा रहा है।

2.5 बीईई विद्युत वाहनों के तेजी से अंगीकरण और वाहनों के लिए लेबलिंग कार्यक्रम की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

2.6 मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) कार्यक्रम: बीईई ने चार क्षेत्रों: कृषि, नगर पालिका, एसएमई और वितरण कंपनियों के लिए अपनी मांग पक्ष प्रबंधन योजना शुरू की है।

2.6 नगर पालिकाओं के ऊर्जा बचत संभाव्यता का दोहन करने के उद्देश्य से बीईई ने देश में शहरी स्थानीय निकायों में जल पंपिंग, सीवेज पंपिंग, सड़क पर रोशनी और सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा दक्षता संबंधी जागरूकता लाने के लिए राष्ट्र-व्यापी शहरी मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों (एमयूडीएसए) की शुरूआत की।

2.7 उद्योग: निष्पादन, उपलब्धि एवं व्यापार उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए अनिवार्य लक्ष्य दिए गए हैं। इसके बाद अत्यधिक ऊर्जा बचतों को व्यापार योग्य उपकरणों अर्थात् ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों में बदला गया।

2.8 पैट चक्र-I वर्ष 2015 में पूरा हुआ जिसमें 8.67 मिलियन टन के तेल के बराबर की बचत हुई और लगभग 31 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई।

2.9 पैट चक्र-II अप्रैल 2016 से शुरू हुआ। पैट योजना का कार्यान्वयन रोलिंग चक्र अर्थात प्रतिवर्ष नए क्षेत्र/बीसी के समावेशन के आधार पर किया जा रहा है।

2.10 पैट चक्र III अप्रैल 2017 से अधिसूचित किया गया और पैट चक्र IV एक अप्रैल 2018 से अधिसूचित किया गया था। अप्रैल 2019 में पैट चक्र V प्रारंभ हो चुका है। इस समय पैट योजना के अन्तर्गत 800 से भी अधिक ईकाइयां भाग ले रही हैं।

2.11 सहभागिता: व्यवहारवादी बदलाव के जरिए ग्राहक की सहभागिता और हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण है। लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए शिक्षित करने के लिए एक अभियान की पहल की गई है जिसमें वातानुकूलक के तापमान को आदर्श सेटिंग पर बनाए रखने के लिए कहा गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने पहले से ही विशाल व्यावसायिक स्थापनाओं को दिशा निर्देश जारी करते हुए तापमान सैटिंग को अपनी सुविधा से समझौता न करते हुए 24 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में रखने की सिफारिश की है।

उजाला कार्यक्रम

3.1 ऊर्जा आवश्यकता में कमी लाने में एलईडी लैम्प की अपार संभाव्यता का उपयोग करने की दृष्टि से 770 मिलियन बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्बों को लगाने के लक्ष्य के साथ 5 जनवरी, 2015 को उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था।

3.2 यह अनुमान लगाया गया था कि इससे मार्च, 2019 तक 100 बिलियन किलोवाट प्रति घंटे की दर से वार्षिक ऊर्जा बचत होगी।

3.3 उजाला कार्यक्रम के अन्तर्गत देश भर में विभिन्न शहरों में निर्दिष्ट स्थानों पर स्थापित विशिष्ट काउंटरों के माध्यम से एलईडी बल्ब सब्सिडिकृत दरों पर वितरित किए गए।

ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों का प्रभाव

4.1 विभिन्न ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से ऊर्जा खपत को कम करने की दृष्टि से असाधारण निष्पादन देखा गया जिससे ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आई तथा परिणामस्वरूप लागत में कमी आई है।

पशुधन की उत्पादकता एवं डेयरी क्षेत्र

संदर्भ

1.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की 70वें दौर के अनुसार ग्रामीण लोगों की लगभग 3.7 प्रतिशत आबादी का मुख्य आय स्रोत पशुपालन है।

1.2 पशुधन, मुर्गीपालन, डेयरी उद्योग और मछली पालन कृषि के उप क्षेत्र हैं और मौसमी बेरोजगारी, बेरोजगारी के चरणों के दौरान कृषक परिवारों को आजीविका प्रदान करते हैं।

पशुधन गणना

2.1 भारत की 19वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत के पास पशुधन के विशाल संसाधन हैं जिसमें लगभग 300 मिलियन मवेशी, 65.07 मिलियन भेड़, 135.2 मिलियन बकरियां और 10.3 मिलियन सूअर शामिल हैं।

2.2 भारत में पशुपालन एक समेकित कृषि प्रणाली का हिस्सा है जो फसल-पशुधन के संबंधों की विशेषता है।

2.3 कई फसलों के उपोत्पाद (फसल अवशेष, घास और पुआल) का उपयोग डेयरी उत्पादों के उत्पादन के लिए आदान (निवेश) के रूप में किया जाता है।

पशुपालन और डेयरी

3.1 दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन करता है।

3.2 भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में लगातार प्रगति कर रहा है, 1991–92 में दुग्ध का उत्पादन 55.6 मिलियन टन था जो बढ़कर 2017 18 में 176.3 मिलियन टन हो गया है जो 4.5 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि के रूप में दर्ज किया गया है।

3.3 अखिल भारतीय स्तर पर देश में प्रति व्यक्ति प्रति दिन दूध की उपलब्धता 375 ग्राम है।

लघु-पशुधन क्षेत्र

4.1 भेड़ और बकरी को सामूहिक तौर पर लघु-पशुधन के रूप में जाना जाता है। विश्व में पायी जाने वाली कुल बकरियों की आबादी में से 16.1 प्रतिशत बकरियां भारत में पायी जाती हैं।

4.2 मुख्य रूप से संसाधन विहीन परिवारों द्वारा भेड़/बकरी पालन किया जाता है और यह किसानों, विशेषकर समाज में हाशिए पर पड़े लोगों, महिलाओं और भूमिविहीन किसानों के गाढ़े वक्त के दौरान पूरक आय के रूप में काम आता है।

सरकार की योजनाएँ

5.1 राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम): देशी नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम आयोजित करना जिससे कि आनुवंशिक शारीरिक गठन को सुधारा जा सके और स्टॉक में वृद्धि की जा सके।

5.2 ई-पशुहाट पोर्टल: राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन स्कीम के अंतर्गत, गुणवत्ता को गोजातीय जनन-द्रव्य की उपलब्धता के संबंध में प्रजनकों और किसानों को जोड़ने के लिए ई-पशुधन हाट पोर्टल विकसित किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से प्रजनक/कृषक अपने प्रजनन स्टॉक का क्रय-विक्रय कर सकते हैं। सभी किस्म के जनन द्रव्यों और वीर्य भ्रूण और पशुधन तथा देश में सभी एजेंसियों व पणधारियों से संबंधित सूचना पोर्टल पर अपलोड की गई है।

5.3 राष्ट्रीय पशुधन मिशन: राष्ट्रीय पशुधन मिशन से पशुधन का, विशेषरूप से छोटे पशुधन (भेड़/बकरी, मुर्गीपालन आदि) का व्यापक विकास और गुणवत्ता, दाना चारा सहित।

5.4 पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण स्कीम: पशुओं की खुर और मुंह की बीमारी, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं में प्लेग रोग, माल्टा ज्वर या संक्रामक गर्भपात, शूकर ज्वर (स्वाइन फ्लू) आदि जैसी पशु बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई। प्रशिक्षित पशु चिकित्सक जनशक्ति को सशक्त करने और विस्तारित करने के उद्देश्य से, मान्यता प्राप्त पशु-चिकित्सा कॉलेजों में वृद्धि की गई है।

5.5 डेयरी विकास: सरकार डेयरी विकास योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय-डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय डेयरी योजना (फेज-1), डेयरी उद्यमिता विकास योजना, डेयरी प्रक्रमण और अवसरचना विकास निधि के माध्यम से गुणवत्ता के दुग्ध उत्पादन, दूध और दूध से बने उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना को सशक्त करने के प्रयास कर रही है।

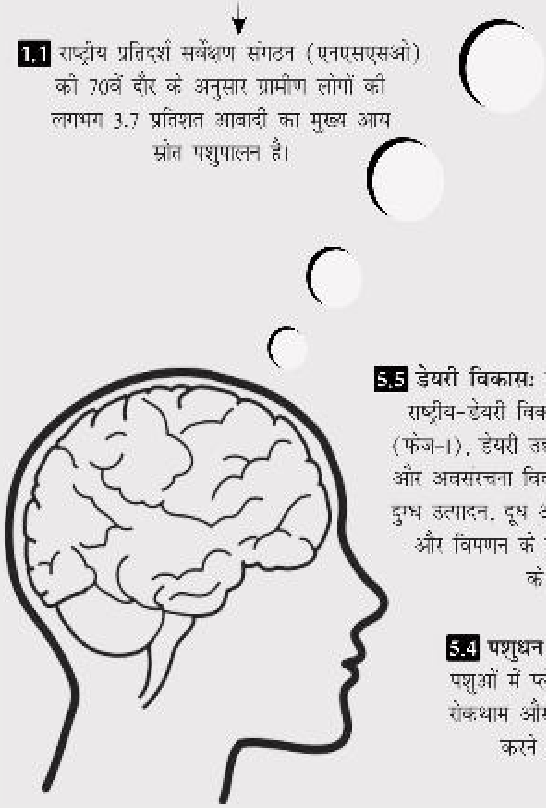

राजकोषीय घटनाक्रम

चर्चा का कारण

1.1 केंद्रीय बजट 2018-19 के साथ प्रस्तुत किए गए मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित किया गया और नए अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव की वजह से इसे 0.3 प्रतिशतक बढ़ाकर जीडीपी का 3.2 की बजाए 3.5 प्रतिशत किया गया।

1.2 2018-19 बजट अनुमान में इसका लक्ष्य जीडीपी के 3.3 प्रतिशत पर पहुंचाना था। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए इसके क्रमश: 3.1 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

केंद्र सरकार के वित्त साधन

2.1 केंद्र का निवल कर राजस्व जीडीपी का 1.9 प्रतिशतक बढ़ा। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद संवृद्धि पुन: बहाल करने की कार्यनीति के भाग के रूप में राजकोषीय समेकन को रोक दिया गया था, जो कर रियायतों और अधिक सार्वजनिक व्यय में परिलक्षित हुआ है।

2.2 हालाँकि 2011-12 के बाद राजकोषीय समेकन के लिए धीरे-धीरे, परंतु लगातार, प्रयास किए गए हैं।

कर राजस्व

3.1 बजट 2018-19 में 2017-18 के संशोधित अनुमानों की तुलना में सकल कर राजस्व में 16.7 प्रतिशत वृद्धि होने की परिकल्पना की गई थी। बजट 2018-19 के लिए सकल कर राजस्व 22.7 लाख करोड़ अनुमानित था, जो जीडीपी का 12.1 प्रतिशत था।

3.2 निगम कर के प्रदर्शन में सुधार आने के कारण प्रत्यक्ष करों में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, अप्रत्यक्ष करों में बजट अनुमान से लगभग 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह मुख्यत: इसलिए हुआ कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व, की गिरावट दर्ज हुई है।

3.3 पिछले वर्षों में बेहतर कर प्रशासन, स्रोत पर कर कटौती का विस्तार करने, कर वंचनारोधी उपाय और प्रभावी कर दाता के आधार में वृद्धि के योगदान से प्रत्यक्ष कर में उछाल आया है।

ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ

4.1 ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियाँ शामिल हैं।

4.2 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्यों को केंद्रीय सहायता के ऋण अंश की गैर मध्यस्थता के चलते पिछले वर्षों की तुलना में ऋणों की वसूली का हिस्सा कम हुआ है और राज्यों को बाजार से सीधे उधार लेने की अनुमति दी गई है।

व्यय के रुझान

5.1 चूंकि भारत का जीडीपी में कर अनुपात कम है इसलिए सरकार को, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए निवेश और अवसंरचना विस्तार के लिए पर्याप्त निधियाँ प्रदान करने में चुनौती का सामना करना पड़ता है।

5.2 इसलिए पूंजी व्यय के लिए व्यय की संरचना और गुणवत्ता में सुधार लाना महत्वपूर्ण हो जाता है।

5.3 सरकारी व्यय से पता चलता है कि रक्षा, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर व्यय कुल व्यय के 60 प्रतिशत से अधिक है।

संभावना

6.1 राजकोषीय मोर्चे पर आगामी वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्रथम, संवृद्धि दर के धीमा रहने की आशंका है, जिससे राजस्व संग्रहण पर असर पड़ेगा। दूसरा, वित्तीय वर्ष, 2018-19 जीएसटी संग्रहण में कमी के साथ समाप्त हुआ है।

6.2 इस तरह से, जीएसटी के राजस्व में वृद्धि होना, केन्द्र तथा राज्य सरकारों, दोनों के लिए संसाधन स्थिति के सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा। तीसरा, संसाधनों के अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) तथा आयुष्मान भारत के साथ-साथ नई सरकार की नई पहलों में लगा देने के लिए, संशोधित/गतिशील पथ के अनुसार, राजकोषीय घाटे से समझौता किए बिना राशियां जुटानी होंगी।

6.3 चौथा, अमेरिका के ईरान से तेल के आयात की मंजूरी दिए जाने से तेल कीमतों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसके कारण पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी चालू खाता बकाया के लिए निहितार्थ के अतिरिक्त होगी।

6.4 अंतत: पंद्रहवां वित्त आयोग अप्रैल, 2020 की शुरुआत में अगले पांच वर्षों के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसकी सिफारिशें, विशेष रूप से करों के अंतरण पर, केन्द्रीय सरकार के वित्तीय साधनों पर असर डालेगी।

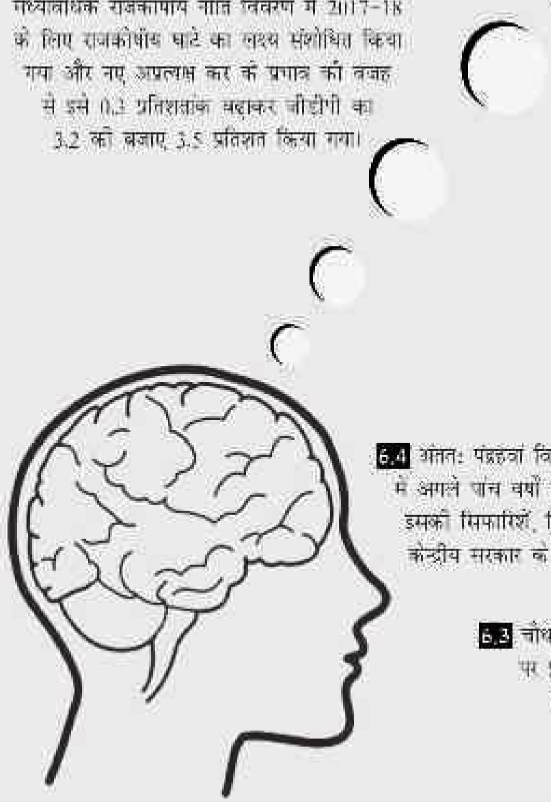

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. रक्षा पहलें

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आइडैक्स का उद्देश्य ऊर्जा तथा तकनीक के माध्यम से इकोप्रणाली तैयार करना है।
2. जनवरी, 2015 से रक्षा उत्पादन विभाग में एक रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ बनाया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः रक्षा व्यय की दक्षता और प्रयोजन बढ़ाने, आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। आईडैक्स का उद्देश्य रक्षा तथा विमान निर्माण तकनीक में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक इकोप्रणाली तैयार करना है। जनवरी, 2018 से रक्षा उत्पादन विभाग में एक रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ बनाया गया है। इसने सभी प्रकार के रक्षा उत्पादन से संबंधित प्रश्नों का एक वन-स्टॉप समाधान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

2. भारत में संसाधन दक्षता फ्रेमवर्क

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से भविष्य में संसाधन दक्षता को सतत विकास के जरिए हासिल किया जा सकता है।
2. पुनर्चक्रण उद्योग के लिए कृत्रिम बुद्धि, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन इत्यादि प्रौद्योगिकी मददगार साबित हो सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से कहा है कि भविष्य में संसाधन दक्षता (Resource efficiency) को सतत विकास के जरिए हासिल किया जा सकता है। संसाधनों की खपत न्यूनतम करने, कचरे का उत्पादन और हरितगृह गैसों (जीएचजी) का उत्सर्जन कम करने के साथ ही संसाधन दक्षता के क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। संसाधन दक्षता (आरई) जैसी पहल को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए मौजूदा प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं, जैसे- स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटीज, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अन्य को बढ़ावा देना है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

3. जेंडर बजटिंग

प्र. जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत सरकार ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जेंडर उत्तरदायी बजटिंग को स्वीकार किया था।
2. जेंडर बजटिंग लैंगिक समता को मुख्य धारा में लाने का एक उपकरण है। इसमें सम्पूर्ण नीति प्रक्रिया के लिए जेंडर (महिला और पुरुष) आधारित नीति अपनाने के लिए बजट का उपयोग किया जाता है।
3. जेंडर बजटिंग के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नोडल एजेंसी के रूप में लैंगिक समानता के लिए बजट बनाने की मिशन रणनीति को अपनाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा बजट की योजना महिलाओं और पुरुषों के अंतर की जरूरत के अनुसार बनायी जाती है तथा इसके पश्चात प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। वर्ष 2001 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पहली बार जेंडर बजटिंग का उल्लेख किया था। इसके बाद, मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय रखने की सिफारिश की गई थी। इस प्रकार कथन 3 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

4. मछली पालन उद्योग सेक्टर

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मछली पालन उद्योग भारत में तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जो 14.5 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को आय और रोजगार प्रदान

कराने के अतिरिक्त देश की एक बड़ी आबादी को पोषण और खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है।

2. भारत विश्व में सबसे अधिक मछली उत्पादक देश है।
3. यह क्षेत्र कृषि सकल घरेलू उत्पाद के 6.5 प्रतिशत का योगदान कर रहा है और इसकी सकल मूल्य वृद्धि में तेजी से वृद्धि हो रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जिसका कुल उत्पादन वर्ष 2018-19 में लगभग 13.7 मिलियन मीट्रिक टन था और उसमें 65 प्रतिशत उत्पादन स्थलीय क्षेत्र से था। लगभग 50 प्रतिशत देशी मछली उत्पादन प्रजातीय मत्स्य पालन से है जो वैश्विक मछली उत्पादन का 6.5 प्रतिशत है। इस प्रकार कथन 2 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

5. ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम

प्र. ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी), जोकि 100 किलो वाट के लोड अथवा 120 केवीए अथवा अधिक की स्थापित मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक स्थापित करते हैं, को वर्ष 2017 में बीईई द्वारा अद्यतन किया गया है।
2. उजाला कार्यक्रम के अन्तर्गत देश भर में विभिन्न शहरों में निर्दिष्ट स्थानों पर स्थापित विशिष्ट काउंटरों के माध्यम से एलईडी बल्ब सब्सिडिकृत दरों पर वितरित किए गए हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः विभिन्न ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से ऊर्जा खपत को कम करने की दृष्टि से असाधारण निष्पादन देखा गया जिससे ग्रीनहाऊस गैस के उत्सर्जन में कमी आई तथा परिणामस्वरूप लागत में कमी आई है। ऊर्जा आवश्यकता में कमी लाने में एलईडी लैम्प की अपार संभाव्यता का उपयोग करने की दृष्टि से 770 मिलियन बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्बों को लगाने के लक्ष्य के साथ 5 जनवरी, 2015 को उन्नति ज्योति बाई एफोरडेबल एलईडी फॉर ऑल (ऊजाला) कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

6. पशुधन की उत्पादकता एवं डेयरी क्षेत्र

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पशुधन, मुर्गीपालन, डेयरी उद्योग और मछली पालन कृषि के उप क्षेत्र हैं और मौसमी बेरोजगारी, बेरोजगारी के चरणों के दौरान कृषक परिवारों को आजीविका प्रदान करते हैं।
2. दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है।
3. अखिल भारतीय स्तर पर देश में प्रति व्यक्ति प्रति-दिन दूध की उपलब्धता 100 ग्राम है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (d) केवल 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की 70वें दौर के अनुसार ग्रामीण लोगों की लगभग 3.7 प्रतिशत आबादी का मुख्य आय स्रोत पशुपालन है। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन करता है। अखिल भारतीय स्तर पर देश में प्रति व्यक्ति प्रति दिन दूध की उपलब्धता 375 ग्राम है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन अन्य कथन गलत हैं।■

7. राजकोषीय घटनाक्रम

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सरकारी व्यय से पता चलता है कि रक्षा, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर व्यय कुल व्यय के 60 प्रतिशत से अधिक है।
2. 2018-19 बजट अनुमान में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 3.3 प्रतिशत तक पहुँचना था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः केंद्रीय बजट 2018-19 के साथ प्रस्तुत किए गए मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित किया गया और नए अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव की वजह से इसे 0.3 प्रतिशतांक बढ़ाकर जीडीपी का 3.2 की बजाए 3.5 प्रतिशत किया गया। इसलिए पूंजी व्यय के लिए व्यय की संरचना और गुणवत्ता में सुधार लाना महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकारी व्यय से पता चलता है कि रक्षा, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर व्यय कुल व्यय के 60 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में सरकार का उद्देश्य नमामि गंगे मिशन के माध्यम से गंगा की स्वच्छता सुनिश्चित करना रहा है। इस संबंध में सतत विकास लक्ष्य 6 का संबंध है।

   -सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और संधारणीय प्रबंधन

2. भारत को वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए 8 प्रतिशत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कायम रखने की जरूरत है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है?

   -2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर

3. हाल ही में आर्थिक समीक्षा 2018-19 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। इस आर्थिक समीक्षा के मुख्य लेखक कौन हैं?

   -कृष्णमूर्ति वी सब्रमणियम (मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय)

4. आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा का स्तर पहुँच गया है।

   -3.4 प्रतिशत

5. वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृहद-आर्थिक स्थिरता बनी हुई है साथ ही मुद्रास्फीति में नियमित रूप से गिरावट हो रही है। वर्तमान में जीडीपी विकास दर एवं मुद्रास्फीति है।

   -6.8% (जीडीपी), 3.4% (मुद्रास्फीति)

6. आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में व्यावहारिक अर्थशास्त्र की व्याख्या दी गई है, जिसके लेखक हैं।

   -रिचर्ड थेलर (2017 के नोबल पुरस्कार विजेता)

7. आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत परिवारों की पहुँच शौचालयों तक थी?

   -93.1%

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. नोटा (NOTA) से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में नोटा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए इसकी कमियों को भी उजागर कीजिए।

2. भारत जैसे विकासशील देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और कनेक्टिविटी जैसी सामाजिक अवसरंचना में सार्वजनिक निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। चर्चा कीजिए।

3. ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से बैंकिंग प्रणाली के निष्पादन में सुधार हुआ है। उदाहरण सहित वर्णन करें।

4. भारत ने कौन सी विभिन्न स्कीमों की शुरूआत करके अपने 2030 एसडीजी लक्ष्यों की दिशा में समग्रतामूलक दृष्टिकोण का अनुसरण किया है?

5. वायु प्रदूषण से व्यापक रूप से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

6. देश में सरकारी निजी भागीदारी एक ऐसा आदर्श है जिससे आधारभूत संरचनाओं के लिए किये जाने वाले निवेशों में रह जाने वाली कमी को दूर किया जा सकता है। विश्लेषण कीजिए।

7. स्वच्छ भारत मिशन और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के अंतर्गत व्यवहारात्मक अंतर्दृष्टियों को सफलतापूर्वक उपयोग में लाया गया है। विश्लेषण कीजिए।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. एनआईए संशोधन विधेयक, 2019

हाल ही में लोकसभा ने 'राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019' को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के पक्ष में 278 वोट पड़े जबकि इसके विरुद्ध केवल 6 वोट पड़े। विदित हो कि विधेयक पर लाए गए सभी संशोधन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया है। अब इस बिल को राज्यसभा में लाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि भारत में पोटा कानून की व्यवस्था थी जिससे देश में आतंकवाद पर लगाम लगाया जाता था, इस कानून का आतंकवादियों के अंदर भय था, लेकिन इस कानून को साल 2004 में भंग कर दिया गया। पोटा को भंग किये जाने के बाद हालत और भी गम्भीर हो गए। हालातों की गम्भीरता को देखते हुए संप्रग सरकार ने एनआईए संशोधन विधेयक को लाने का फैसला किया।

विधेयक के बारे में

- यह विधेयक मौजूदा संशोधन के बाद गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) कानून की अनुसूची चार में संशोधन से एनआईए उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर पाएगी जिसके आतंक से संबंध होने का शक हो।
- विदित हो कि साल 2008 में हुए 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद साल 2009 में एनआईए का गठन किया गया था।
- संशोधन एनआईए को साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों की जांच करने की भी इजाजत देगा।
- यह विधेयक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जांच का निर्देश देने का भी अधिकार प्रदान करता है।
- विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि यह अधिनियम धारा 1 की उपधारा 2 में नया खंड ऐसे लोगों पर अधिनियम के उपबंध लागू करने के लिए है, जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं।
- विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के उद्देश्य से एक या अधिक सत्र अदालत, या विशेष अदालत स्थापित करें। ■

2. भारत में 10 साल में 27 करोड़ लोग हुए गरीबी से मुक्त

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में साल 2006 से साल 2016 के बीच 27.10 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (ओपीएचआई) द्वारा जारी किया गया था। गौरतलब है कि भारत में भी स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति से लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान भारत में खाना पकाने का ईंधन, साफ-सफाई और पोषण जैसे क्षेत्रों में मजबूत सुधार के साथ विभिन्न स्तरों पर गरीबी सूचकांक मूल्य में सबसे बड़ी गिरावट आयी है।

रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

- रिपोर्ट के अनुसार, 101 देशों में 1.3 अरब लोगों का अध्ययन किया गया। इसमें 31 सबसे कम आय, 68 मध्यम आय और दो सबसे ज्यादा आय वाले देश थे। ये लोग विभिन्न पहलुओं के आधार पर गरीबी में फंसे थे।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में गरीबी में कमी को देखने हेतु संयुक्त रूप से करीब दो अरब आबादी के साथ दस देशों को चिह्नित किया गया।
- ये 10 देश बांग्लादेश, कम्बोडिया, इथोपिया, हैती, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू और वियतनाम हैं। इन देशों में गरीबी में उल्लेखनीय रूप से कमी आयी है।
- गरीबी का आकलन केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य की खराब स्थिति, कामकाज की खराब गुणवत्ता तथा हिंसा का खतरा जैसे कई संकेतकों के आधार पर किया गया।
- रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में साल 2004 से साल 2014 के बीच 1.90 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2005 से साल 2006 में भारत की करीब 64 करोड़ लोग गरीबी में थे जो संख्या घटकर साल 2015 से साल 2016 में 36.9 करोड पर आ गयी। इस तरह, भारत ने विभिन्न स्तरों और उक्त दस मानकों में पिछड़े लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गरीबी में कमी के मामले में सबसे ज्यादा सुधार झारखंड

में देखा गया। झारखंड में विभिन्न स्तरों पर गरीबी साल 2005 से साल 2006 में 74.9 प्रतिशत से कम होकर साल 2015 से साल 2016 में 46.5 प्रतिशत पर आ गयी।

- इन सभी आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि सतत विकास लक्ष्य 1 प्राप्त करने हेतु उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सतत विकास लक्ष्य 1 से आशय गरीबी को सभी पहलुओं से हर जगह समाप्त करना है। ■

3. अमेरिकी संसद ने ग्रीन कार्ड पर लगायी गई सीमा हटायी

हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने ग्रीन कार्ड जारी करने पर मौजूदा सात प्रतिशत की सीमा को हटाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है। विदित हो कि फेयरनेस ऑफ हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट, 2019 या एचआर 1044 नाम का यह विधेयक 435 सदस्यीय सदन में 65 के मुकाबले 365 मतों से पारित हुआ है।

प्रमुख बिन्दु

- ग्रीन कार्ड किसी व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है।
- अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित यह विधेयक भारत जैसे देशों के उन प्रतिभाशाली पेशेवरों को अवसर प्रदान करता है जो अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने और रहने की अनुमति चाहते हैं।
- वर्तमान में प्रतिवर्ष ग्रीन कार्ड की कुल संख्या में से एक देश के अधिकतम सात प्रतिशत आवेदकों को ही ग्रीन कार्ड मिलता है। नए विधेयक में इस सीमा को सात प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
- गौरतलब है कि भारतीय आईटी पेशेवर, अधिकतर H-1B वर्किंग वीजा पर अमेरिका जाते हैं, लेकिन मौजूदा आव्रजन प्रणाली की सबसे बड़ी कमी ग्रीन कार्ड या स्थायी वैधानिक निवास के आवंटन हेतु निर्धारित कोटा (7 प्रतिशत प्रति देश कोटा) के कारण बुरी तरह प्रभावित होते हैं।
- इस विधेयक से भारत के हजारों उच्च कुशल आईटी पेशेवरों को लाभ मिलेगा।
- प्रस्तुत विधेयक द्वारा यह सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी कि स्थायी निवास की माँग करने वाले भारत और चीन जैसे देशों के लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- इस प्रकार यह विधेयक अमेरिकी व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के सकारात्मक विकास हेतु एक निष्पक्ष कुशल आव्रजन प्रणाली को स्थापित करने पर जोर देता है। ■

4. पॉक्सो कानून में संशोधन

बाल यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए, केन्द्रीय कैबिनेट ने हाल ही में पॉक्सो कानून को कड़ा करने के लिए इसमें संशोधनों को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधनों में बच्चों का गंभीर यौन उत्पीड़न करने वालों को मृत्युदंड तथा नाबालिगों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

पास्को एक्ट क्या है

POCSO एक्ट का पूरा नाम "The Protection Of Children From Sexual Offences Act" या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट है। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है।

एक्ट में प्रावधान और सजा

- वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है।
- इस अधिनियम की धारा 4 के तहत वो मामले शामिल किए जाते हैं जिनमें बच्चे के साथ दुष्कर्म या कुकर्म किया गया हो। इसमें सात साल सजा से लेकर उम्रकैद और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है।
- पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन वे मामले लाए जाते हैं जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गम्भीर चोट पहुंचाई गई हो। इसमें दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- इसी प्रकार पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत वो मामले पंजीकृत किए जाते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग से छेडछाड़ की जाती है। इसके धारा के आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर पाँच से सात साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
- पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है जिसमें बच्चे के शरीर के साथ किसी भी तरह की हरकत करने वाले शख्स को कड़ी सजा का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में बच्चे की मेडिकल जांच के लिए प्रावधान भी किए गए हैं, जो कि इस तरह की हो ताकि बच्चे के लिए कम से कम पीड़ादायक हो। मेडिकल जांच बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिति में किया जाना चाहिए, जिस पर बच्चे का विश्वास हो। ■

5. डिजिटल उड़ान

रिलायंस जिओ ने देश भर में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान को 'डिजिटल उड़ान' नाम दिया गया है। इस अभियान के लिए जिओ ने फेसबुक के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। यह अभियान पहली बार इन्टरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जायेगा। इस अभियान के तहत जिओ प्रत्येक शनिवार को इन्टरनेट सुरक्षा, फेसबुक के उपयोग,

जिओ फोन में 4G VoLTE के फीचर के बारे में लोगों को अवगत करवाएगा। यह डिजिटल साक्षरता अभियान 10 क्षेत्रीय भाषाओं में चलाया जायेगा। शुरू में इस अभियान का संचालन 13 राज्यों के 200 स्थानों में किया जायेगा। बाद में इस अभियान का प्रसार 7000 से अधिक स्थानों पर किया जायेगा।

महत्त्व

- जियो डिजिटल उड़ान सूचना की बाधाओं को दूर कर, वास्तविक समय में सूचना को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करेगा।
- यह समावेशी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के लिए कारगर साबित हो सकती है, उल्लेखनीय है कि देश में 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने के लिए जियो ने भारत के हर शहर और गाँव में इसे ले जाने का संकल्प लिया है।

रिलायंस जिओ

रिलायंस जिओ भारत की सबसे अग्रणी दूरसंचार कंपनियों में से एक है, इसकी स्थापना 15 फरवरी 2007 को मुकेश अम्बानी द्वारा की गयी थी। मौजूदा समय में जिओ के 314.80 मिलियन ग्राहक हैं और यह देश का दूसरा तथा विश्व का 6वाँ सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है।

फेसबुक

फेसबुक विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी है, व्हाट्सएप्प और इन्स्टॉग्राम इसकी सब्सिडियरी है। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी, 2004 को की गयी थी। ■

6. द सिख फॉर जस्टिस पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया

भारत सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए खालिस्तान समर्थक समूह 'द सिख फॉर जस्टिस' पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह प्रतिबंध अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के सेक्शन 3 के तहत लगाया गया है।

प्रतिबंध की वजह

- केन्द्र सरकार के अनुसार 'द सिख फॉर जस्टिस' की गतिविधियों से देश की शांति तथा एकता को नुकसान पहुँच सकता है। यह समूह खालिस्तान का समर्थन करता है और यह भारत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय एकता के लिए खतरा है।
- न्यूयॉर्क स्थित सिख फॉर जस्टिस संगठन अवैध तरीके से अपनी गतिविधियाँ चला रहा है जिससे पंजाब में हालात बिगड़ रहे हैं।
- गौरतलब है कि अब तक इस संगठन पर भारतीय एजेंसियों ने 11 मामले दर्ज कराए हैं। भारत सरकार ने फिलहाल इस संगठन पर पाँच साल का प्रतिबंध लगाया है।

द सिख फॉर जस्टिस

यह अमेरिका में स्थित एक खालिस्तानी समूह है इसकी स्थापना 2007 में की गयी थी। इसका नेतृत्व अवतार सिंह तथा गुरपतवंत सिंह द्वारा किया जाता है। द सिख फॉर जस्टिस के आंतरिक समूह में 8-10 सदस्य हैं, जबकि इसके ऑनलाइन समर्थक लगभग 2 लाख हैं। इस समूह का प्रमुख उद्देश्य पंजाब में एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना है। यह समूह पिछले पांच वर्षों से अलग खालिस्तान का समर्थन कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए द सिख फॉर जस्टिस ने 'Sikh Referendum 2020' नामक ऑनलाइन अभियान चलाया है।

अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम

अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के द्वारा भारत में अवैध काम कर रहे संगठनों पर रोक लगाई जाती है। इस तरह के संगठनों के अभिव्यक्ति के अधिकार एकत्र होने के अधिकार इत्यादि पर भी अंकुश लगाया जाता है। ■

7. वीजा मुक्त प्रवेश पर भारत-पाक सहमत

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई दूसरी औपचारिक वार्ता में पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब के पवित्र गुरुद्वारे में भारतीय तीर्थयात्रियों को वर्ष भर के लिये वीजा मुक्त प्रवेश देने पर सहमति व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि करतारपुर कॉरिडोर पर पहले दौर की बातचीत 14 मार्च 2019 को अटारी-वाघा सीमा के भारतीय हिस्से अटारी में आयोजित हुई थी। इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच ड्राफ्ट समझौते को अंतिम रूप देने के मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

क्यों खास है करतारपुर कॉरिडोर?

- भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ करतारपुर मार्ग पंजाब में गुरदासपुर से तीन किलोमीटर दूर है।
- एक बार खुलने के बाद यह सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के करतारपुर में ऐतिहासिक गुरुद्वारा दरबार साहिब तक सीधी पहुंच की अनुमति देगा, जहाँ गुरु नानक देव का 1539 में निधन हो गया था।
- यह गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर साहिब को गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक मंदिर से भी जोड़ेगा।

मुख्य बिंदु

- समझौते के अनुसार, पाकिस्तान एक वर्ष की अवधि में प्रतिदिन लगभग 5,000 लोगों को प्रवेश की अनुमति देगा लेकिन किसी विशेष अवसर और त्योहार पर कम-से-कम 10,000 और लोगों को प्रवेश की अनुमति देने का आग्रह भारत की तरफ से किया गया है।
- समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान से इस ऐतिहासिक पहल का दुरुपयोग करने वाले खालिस्तान समर्थकों को रोकने का लिये आग्रह किया है।
- विदित हो कि अपनी तैयारियों का जायजा लेते हुए भारत ने कहा कि भारतीय पक्ष की आधारभूत संरचना एक दिन में देश-विदेश के तकरीबन 15,000 तीर्थयात्रियों को संभालने में सक्षम है। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत-बांग्ला प्रोटोकॉल जलमार्ग

- हाल ही में केंद्रीय जहाजरानी (स्वतंत्र प्रभार), रासायनिक एवं उर्वरक राज्य मंत्री, श्री मनसुख मंडाविया ने एक विशेष और प्रथम अभियान के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के एक मालवाहक पोत को डिजिटल रूप से रवाना किया।
- यह मालवाहक पोत भूटान से बांग्लादेश के लिए पत्थरों की आपूर्ति करेगा। इस मालवाहक पोत-एमवीएएआई को भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल जलमार्ग के तहत ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से असम के धुबरी से रवाना किया गया है और यह बांग्लादेश के नारायणगंज तक की यात्रा करेगा।
- यह प्रथम अवसर है जब किसी भारतीय जलमार्ग का उपयोग दो देशों के बीच माल-परिवहन के लिए पारगमन के रूप में किया जा रहा है।
- इन पत्थरों को भूटान के फुंटशोलिंग से ट्रकों के माध्यम से 160 किलोमीटर की दूरी तय करके असम स्थित आईडब्ल्यूएआई की धुबरी जेट्टी तक पहुंचाया गया। अब तक, भूटान बांग्लादेश को पत्थरों की अधिकांश आपूर्ति सड़क मार्ग के माध्यम से करता रहा है।
- भारत द्वारा अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा की परिकल्पना को साकार करते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। यह कदम भारत के साथ-साथ भूटान और बांग्लादेश के लिए भी लाभकारी होगा और पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा।
- इस जलमार्ग के उपयोग से माल परिवहन में 8 से 10 दिन का कम समय लगने के साथ-साथ परिवहन लागत में भी 30% तक की कमी आएगी और यह अत्याधिक पर्यावरण अनुकूल भी होगा।
- इस नवीन विकास से न केवल पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत बनेंगे, बल्कि यह हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी खोलेगा, जिससे देश के अन्य हिस्सों से इन स्थानों तक माल पहुँचाना आसान और सस्ता हो जाएगा।
- इस व्यवस्था से नौवहन क्षेत्र में एक सुनिश्चित मसौदे को बनाए रखने के लिए पूंजी निकर्षण पर जोर दिया गया है। वर्तमान में कम से कम 10 और राष्ट्रीय जलमार्ग विकासाधीन हैं।
- सरकार अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन के माध्यम से अधिक मालवाहक पोत परिवहन के उपयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल कर रही है। इन उपायों में जलमार्गों में पानी की सुनिश्चित गहराई, जीपीएस और नदी सूचना प्रणाली जैसे नौवहन सहायक, नियमित अंतराल पर टर्मिनल पर आवश्यक मालवाहक सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं।

2. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना रिपोर्ट

- हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने विभिन्न साझेदारों से जानकारी लेने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना रिपोर्ट जनता के लिए जारी की।
- डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है और इसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) को सहयोग देने की भारी संभावना है। भारत के पास वह सब कुछ है, जिससे सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री की उस कल्पना पर आधारित है, जिसके तहत देश के प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे तक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को पहुंचाना है।
- सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज स्वास्थ्य की जानकारी सभी को है और जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं तथा उन्हें सुलभ कराया जा रहा है, वह बेहतरी की ओर इशारा कर रही हैं।
- डिजिटल स्वास्थ्य बदलाव में तेजी ला रहा है और इसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को सहयोग देने की भारी संभावना है।

- डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि समय की मांग है कि ऐसी पारिस्थितिकी प्रणाली बनाई जाए, जो वर्तमान स्वास्थ्य सूचना प्रणालियों को जोड़ सके और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) की पारस्परिकता सुनिश्चित करने के लिए आगामी कार्यक्रमों को स्पष्ट रास्ता दिखा सके।
- आयुष्मान भारत योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अन्य आईटी सक्षम योजनाएं जैसे प्रजनन संबंधी शिशु देखभाल, एनआईकेएसएचएवाई आदि से मरीजों को सही समय पर फायदा मिल रहा है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत विस्तृत, राष्ट्रव्यापी एकीकृत ई-स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में प्रयास शुरू किए हैं।
- एनडीएचबी का उद्देश्य एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणाली योजना बनाना है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्रभावी, सुलभ, समग्र, किफायती, समय पर और सुरक्षित तरीके से प्रोत्साहित करती है।
- आँकड़ों, सूचना और ढाँचागत सेवाओं के व्यापक प्रावधान, यथोचित लाभ उठाकर, पारस्परिकता, मानक आधारित डिजिटल प्रणालियों और सुरक्षा सुनिश्चित करके स्वास्थ्य और संबंधी निजी जानकारी की गोपनीयता और निजता बनाई रखी जाएगी।

3. औषधि के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच समझौता

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नया जीवन प्रदान करने वाली औषधि और 3डी बायोप्रिंटिंग, नई प्रौद्योगिकियों, वैज्ञानिक विचारों/सूचनाओं और प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान तथा वैज्ञानिक अवसंरचना के संयुक्त इस्तेमाल के क्षेत्रों में भारत और अमरीका के बीच अंतर-संस्थागत समझौते को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है।
- इस समझौते के अंतर्गत संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार आदि सभी योग्य वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए खुले रहेंगे और वैज्ञानिक योग्यता और उत्कृष्टता के आधार पर उन्हें सहयोग दिया जाएगा।
- नया जीवन प्रदान करने वाली औषधि और 3डी बायोप्रिंटिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में नई बौद्धिक संपदा, कार्यविधि, प्रोटोटाइप अथवा उत्पादों को उत्पन्न करने की संभावना है।
- भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान श्री चित्र तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम और अमेरिका स्थित उत्तरी कैरोलिना के इंस्टीट्यूट फॉर रिजनरेटिव मेडिसिन की ओर से स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित शैक्षणिक सहयोग पर एक समझौता हुआ है।
- दोनों संस्थानों का अनुमान है कि समझौते के अंतर्गत किये गये सामान्य शैक्षणिक आदान-प्रदान से कुछ विशेष परियोजनाओं का विस्तार होगा, जिनमें से प्रत्येक के शैक्षणिक, क्लीनिकल और व्यावसायिक प्रभाव हो सकते है।
- समझौते का उद्देश्य शैक्षणिक सहयोग के जरिये दोनों संस्थानों के अनुसंधान और शिक्षा के विस्तार में योगदान करना है। साझा हित के सामान्य क्षेत्र जहां सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान होता है, उनमें शामिल हैं :-
    - प्रशिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान खासतौर से 3डी बायोप्रिंटिंग के क्षेत्रों के लिए संकाय के सदस्यों और छात्रों का आदान-प्रदान।
    - संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का निष्पादन; और
    - सूचना और शैक्षणिक प्रकाशनों का आदान-प्रदान।

4. भारत और इटली ने फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित की

- भारत में इतालवी कंपनियों और निवेशकों तथा इटली में भारतीय कंपनियों और निवेशकों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की कंपनियों और निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित करने का फैसला किया गया है।
- भारत में फास्ट ट्रैक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारत में इतालवी कंपनियों और निवेशकों के सामने उनके कार्य में आने वाली समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान का मार्ग प्रशस्त करना है।
- यह प्रणाली भारत में कारोबार में सुगमता के संबंध में इतावली कंपनियों और निवेशकों के नजरिये से मिलने वाले सामान्य सुझावों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी।
- उद्योग और आतंरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) इन्वेस्ट इंडिया के साथ निकट सहयोग करके भारत में इस प्रणाली के भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा।
- डीपीआईआईटी अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों और प्राधिकारों की भागीदारी बढ़ाएगा। इन्वेस्ट इंडिया अलग-अलग मामलों को जारी रखने और उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार एजेंसी होगा। डीपीआईआईटी द्वारा लगातार समीक्षा की जाएगी।
- भारत में इटली का दूतावास इतालवी व्यापार एजेंसी और इटली

में महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सहयोग से भारत में इस प्रणाली के भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा।

- इटली का दूतावास भारत में इटली की कंपनियों और निवेशकों की महत्वपूर्ण चिंताओं की लगातार सूची और भारत में फास्ट ट्रैक प्रणाली का आधार तैयार करेगा।

5. विद्यालयों को गोद लें और निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर छात्रों को परामर्श

- भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपने-अपने पड़ोस में स्कूलों को गोद लेने और निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर छात्रों को परामर्श देने का आह्वान किया है।
- उपराष्ट्रपति ने कैंसर, हृदय विकार और मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बढ़ते प्रकोप का उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिक जीवनशैली में बदलाव से एनसीडी बढ़ रहे हैं।
- उन्होंने इस बात पर बल दिया कि निजी अस्पतालों और अन्य संस्थानों सहित चिकित्सा समूह से जुड़े लोगों, स्कूलों और कॉलेजों से संपर्क करें और जीवनशैली संबंधी बीमारियों के खतरों के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करें।
- उपराष्ट्रपति ने शारीरिक निष्क्रियता और अस्वास्थ्यकर आहार संबंधी आदतों से बचने की आवश्यकता पर लोगों, विशेष रूप से युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की तर्ज पर डॉक्टरों, अभिनेताओं और मीडिया हाउसों से पेशेवर सामाजिक जिम्मेदारी अपनाने का आग्रह किया।
- उन्होंने एनसीडी के बढ़ते प्रकोप के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया।
- 2017 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में लगभग 61 प्रतिशत मौतों की वजह एनसीडी मानी गई, जिसमें हृदय विकार, कैंसर और मधुमेह शामिल हैं।
- शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में एनसीडी क्लीनिक स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है और निजी क्षेत्र को इस तरह के क्लीनिक स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।
- स्वास्थ्य सेवा वितरण की बेहतर पहुंच के बावजूद, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं में भारी असमानता है।
- उपराष्ट्रपति ने एमजीएम हेल्थकेयर जैसे निजी क्षेत्र और अस्पतालों को इसमें कदम रखने और दूरदराज के स्थानों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाने में सरकार प्रयासों को पूरा करने का आह्वान किया।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना सही दिशा में उठाया गया एक कदम है क्योंकि यह 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करती है और पूरे भारत में 150,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करना चाहती है।

6. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के लिए अतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्लयूडी) अधिनियम, 1956 को मंजूरी दी है।
- यह अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को और सरल तथा कारगर बनाएगा। यह विधेयक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 को संशोधन करने के लिए लाया गया है।
- ऐसा अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को सरल और कारगर बनाने के दृष्टिकोण और मौजूदा संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है।
- न्यायिक निर्णय के लिए कड़ी समय सीमा निर्धारण और विभिन्न बैंचों के साथ एकल ट्रिब्यूनल के गठन से अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों का तेजी से समाधान करने में मदद मिलेगी।
- इस विधेयक में संशोधनों से ट्रिब्यूनल को सौंपे गए जल विवादों के न्यायिक निर्णय में तेजी आएगी।
- जब किसी राज्य सरकार से अतर्राज्यीय नदियों के बारे में किसी जल विवाद के संबंध में कोई अनुरोध इस कथित अधिनियम के तहत प्राप्त होता और केंद्र सरकार का यह मत हो कि जल विवाद का बातचीत के द्वारा समाधान नहीं हो सकता है तो केंद्र सरकार जल विवाद के न्यायिक निर्णय के लिए जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन करती है।

7. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक, 2019

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक, 2019 संहिता को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है।
- इसके माध्यम से विधेयक में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य

और कार्यस्थल की स्थितियों से संबंधित व्यवस्थाओं को वर्तमान की तुलना में कई गुना बेहतर बनाया जा सकेगा।

- नई संहिता के माध्यम से 13 महत्वपूर्ण केंद्रीय श्रम कानूनों की निम्नलिखित व्यवस्थाओं को एक साथ मिलाकर, सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है :
    - कारखाना अधिनियम 1948;
    - खदान अधिनियम 1952; बंदरगाह श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याकण) कानून, 1986;
    - भवन और अन्यम निर्माण कार्य (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) कानून 1996;
    - बागान श्रम अधिनियम 1951;
    - संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970;
    - अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1979;
    - श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें और अन्य प्रावधान) अधिनियम 1955;
    - श्रमजीवी पत्रकार (निर्धारित वेतन दर) अधिनियम 1958;
    - मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961;
    - बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम 1976;
    - बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार शर्तें) अधिनियम 1966 और
    - सिनेमा कर्मचारी और सिनेमा थिएटर कर्मचार (अधिनियम 1981)।
- नई संहिता के लागू होने के साथ ही उपरोक्त सभी अधिनियम इस संहिता में समाहित हो जाएंगे और अलग से उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जायेगा।
- सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्यस्थलों में कामकाज की बेहतर स्थितियां श्रमिकों के कल्याण के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिए भी पहली शर्त है।
- देश का स्वास्थ्य कार्यबल ज्यादा उत्पादक होगा और कार्यस्थलों में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होने से दुर्घटनाओं में कमी आयेगी जो कर्मचारियों के साथ ही नियोक्तोओं के लिए भी फायदेमंद रहेगा।
- देश के कार्यबल के लिए स्वास्थ और सुरक्षित कामकाज की स्थितियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई श्रम संहिता का दायरा मौजूदा 9 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों से बढ़ाकर उन सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक कर दिया गया है जहाँ 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नजर

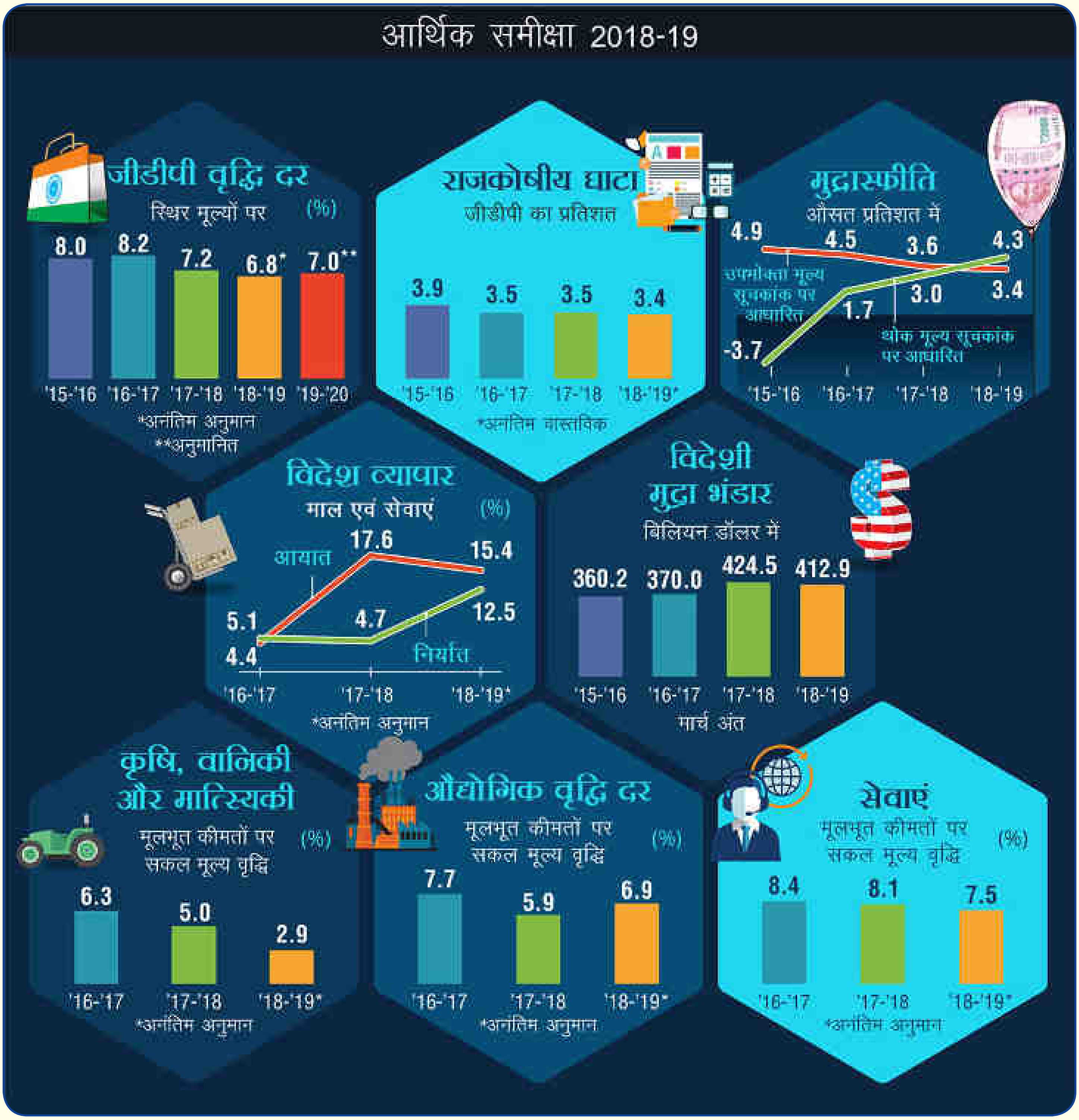

2. शीर्ष दस अर्थव्यवस्था वाले देशों के बीच तुलना

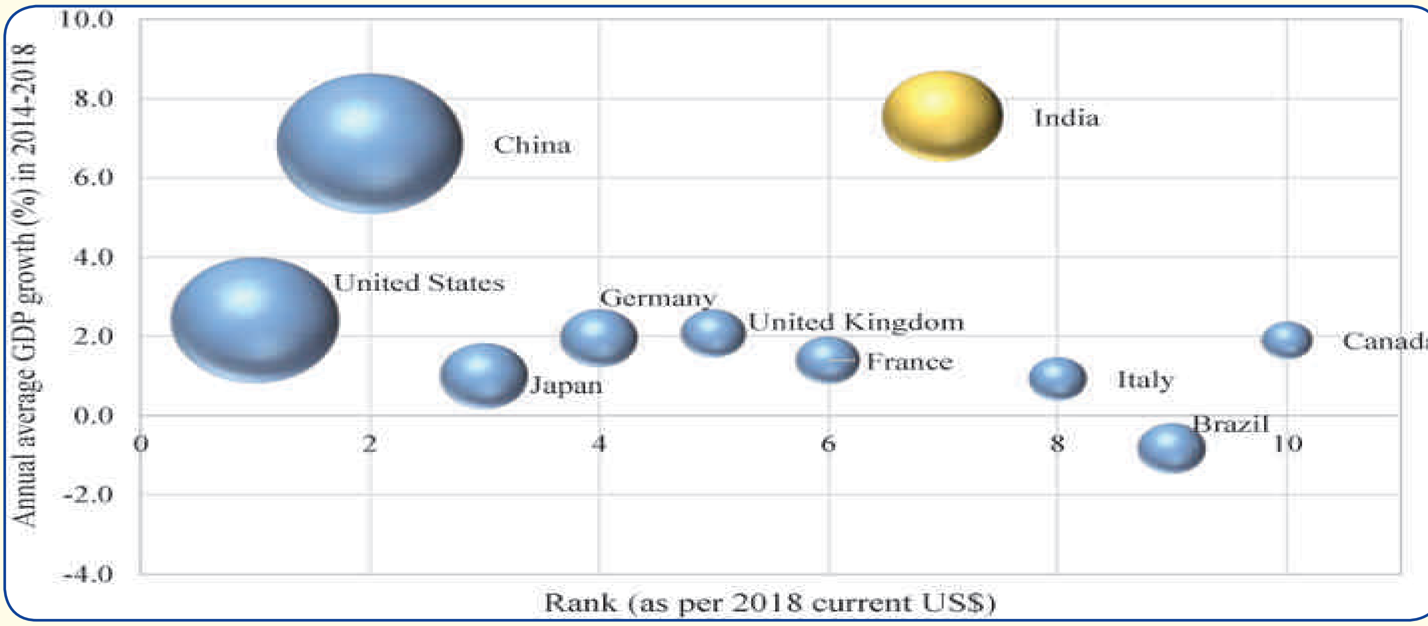

- वर्तमान में भारत जीडीपी के संदर्भ में विश्व की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत और चीन ईएमडीई (उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ) समूह में वृद्धि के मुख्य संचालक हैं।
- भारत की औसत वृद्धि दर न केवल चीन से अधिक है बल्कि विश्व में अन्य शीर्ष के प्रमुख देशों (वर्तमान अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में जीडीपी के अर्थ में मापित) से भी बहुत अधिक है। क्रय शक्ति की समानता के समायोजन के साथ वर्तमान अमेरिकी डॉलर में भारत की जीडीपी का स्थान तीसरा है (जैसा कि चित्र में गोलाई के आकार द्वारा दर्शाया गया है)।

3. 2018-19 में विनिर्मित मुख्य उत्पाद

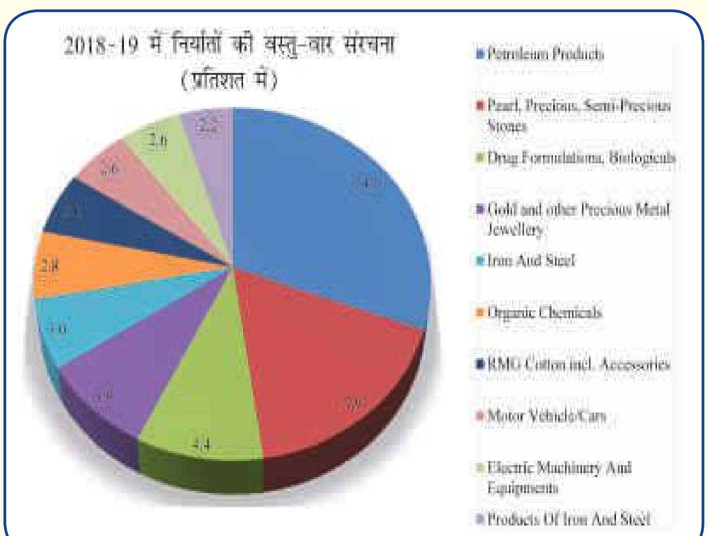

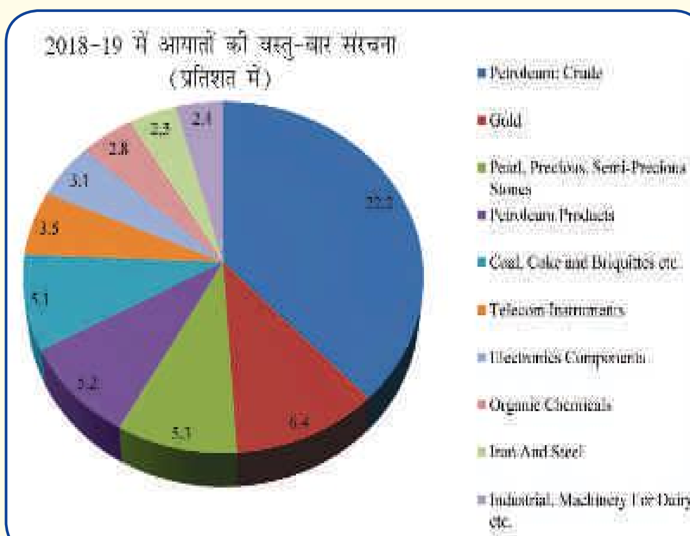

- वर्ष 2018-19 में पेट्रोलियम उत्पाद देश के मूल्य के हिसाब से निर्यात अंश में 14.1 प्रतिशत हिस्से के साथ सर्वाधिक वस्तु बनी रही। अन्य प्रमुख निर्यातों में मोती/अर्द्ध मूल्यवान पत्थर तथा स्वर्ण और औषधि से तैयार वस्तुओं, जैविक वस्तुओं के अलावा अन्य मूल्यवान धातु के आभूषण शामिल हैं।
- वर्ष 2018-19 के आयात अंश में सर्वाधिक हिस्सा पेट्रोलियम कच्चा माल का था जो 22.2 प्रतिशत था। इसके बाद स्वर्ण और अर्द्ध-मूल्यवान धातु के आभूषणों का हिस्सा था जो 6.4 प्रतिशत तथा इसके बाद मोती/अर्द्ध मूल्यवान पत्थरों का हिस्सा था जो 5.3 प्रतिशत था।

4. सीपीआई में योगदान-संयुक्त मुद्रास्फीति 2017-18 और 2018-19 (हिस्सा प्रतिशत में)

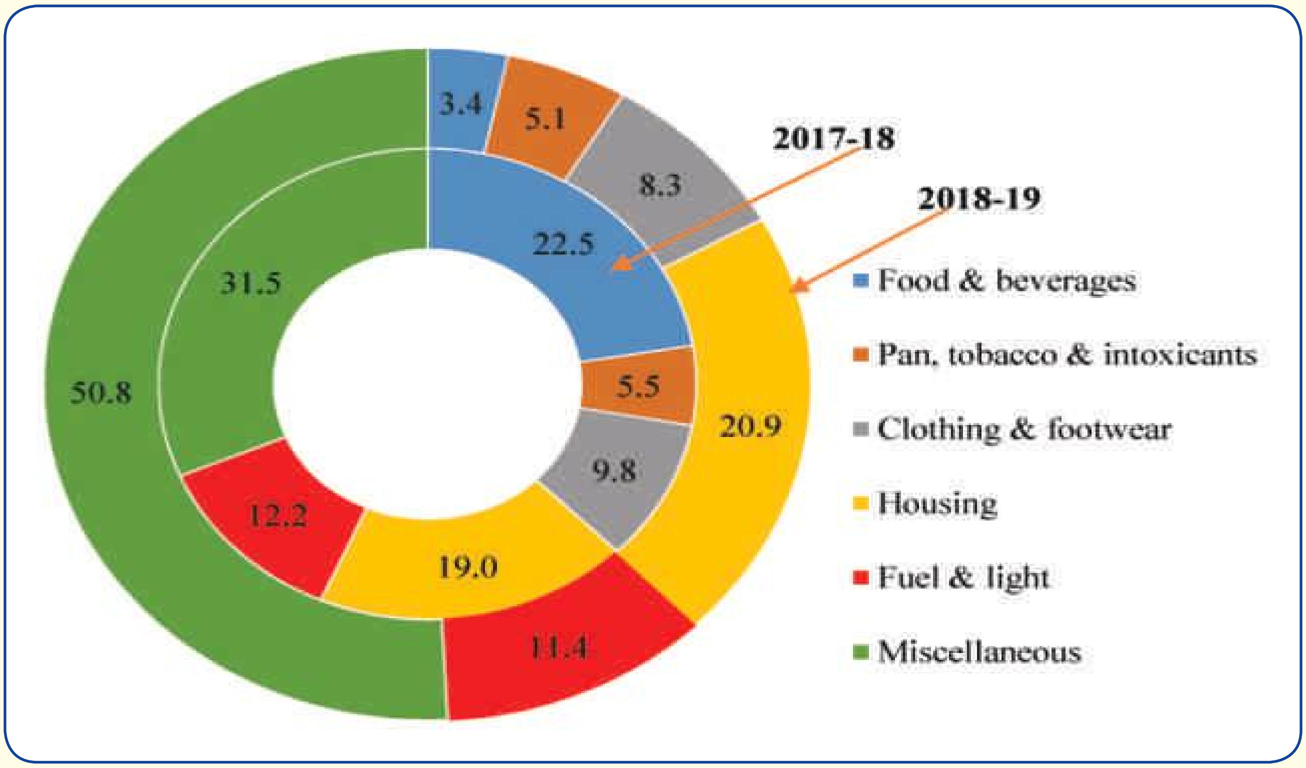

- अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति मुख्य समूहों से प्रभावित रही जैसे कि घर (आवासीय), ईंधन तथा बिजली समूह इत्यादि।

5. सड़क निर्माण क्षेत्र में निवेश (रुपये करोड़ में)

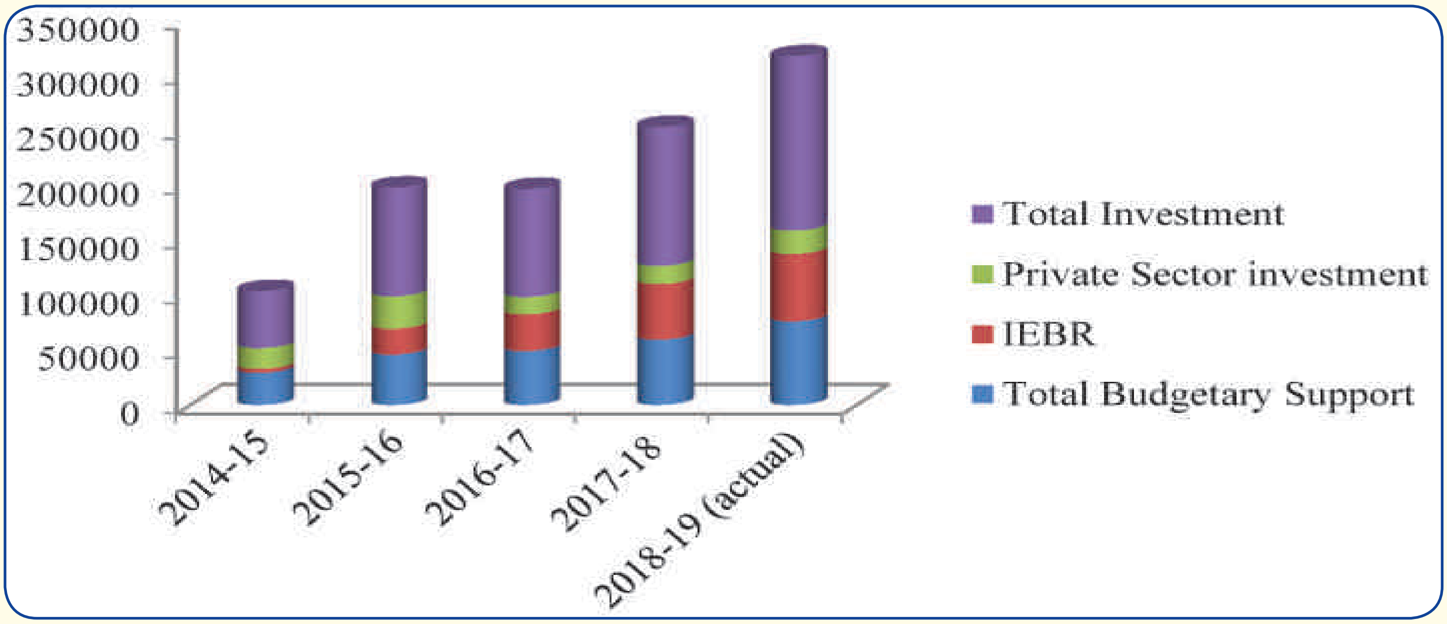

- सड़कें परिवहन की एक बहुआयामी एकीकृत प्रणाली का हिस्सा हैं जो हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और अन्य लॉजिस्टिक हब जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों को जोड़ती हैं और अबाध आपूर्ति प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए आर्थिक संवृद्धि के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती हैं।
- सड़क क्षेत्र में सरकार द्वारा भारी निवेश किया गया है। कुल निवेश तीन गुना से भी अधिक बढ़ गया है। पहले जहाँ वर्ष 2014-15 में कुल निवेश 51,914 करोड़ रुपये था वहीं 2018-19 में यह निवेश बढ़कर 1,58,839 करोड़ रुपये हो गया।

6. भारत के मुख्य शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति

मुख्य शहरों में SO_2 की सघनता

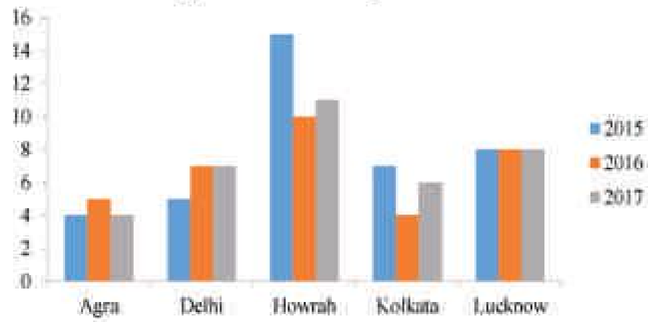

मुख्य शहरों में NO_2 की सघनता

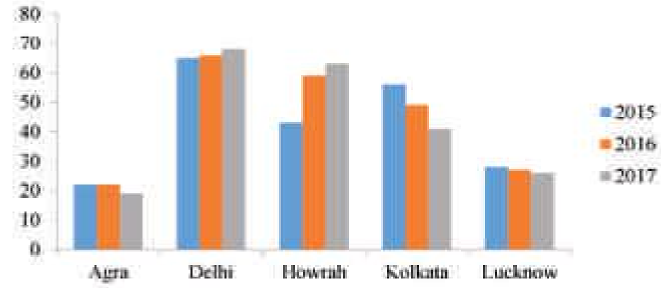

मुख्य शहरों में PM_{10} की सघनता

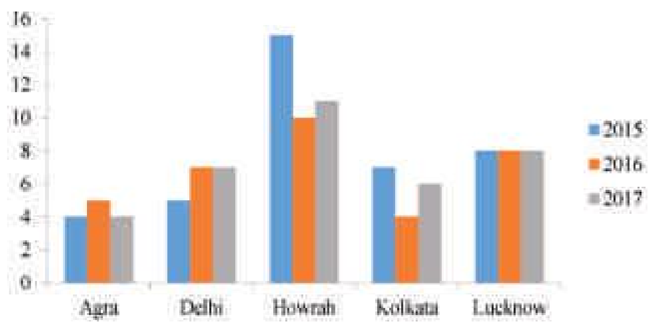

मुख्य शहरों में $PM_{2.5}$ की सघनता

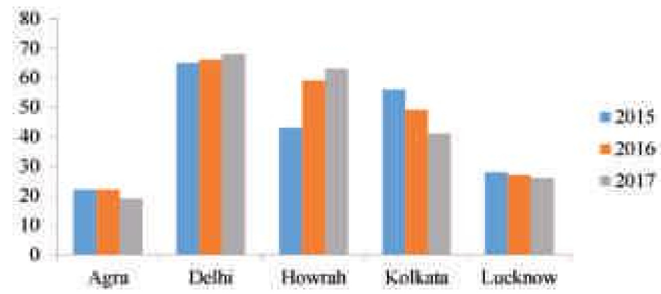

7. अप्रैल 2019 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता (ईंधनवार और क्षेत्रवार)

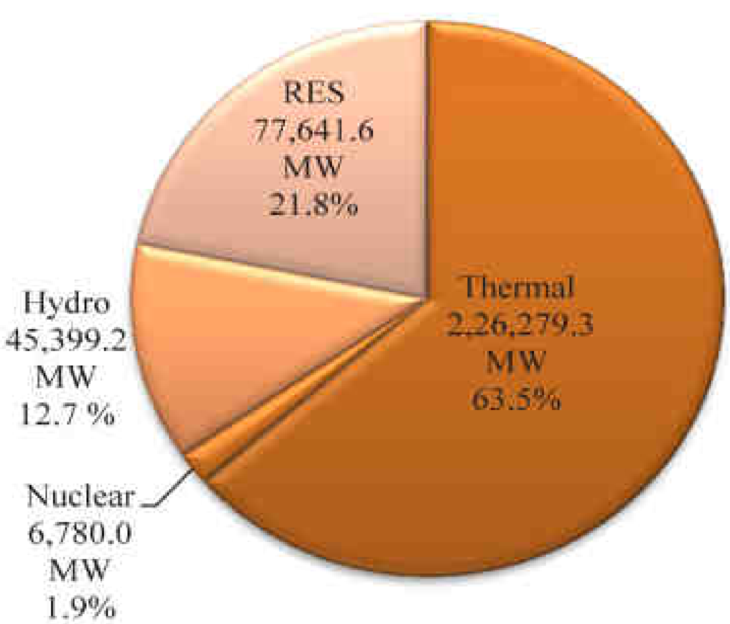

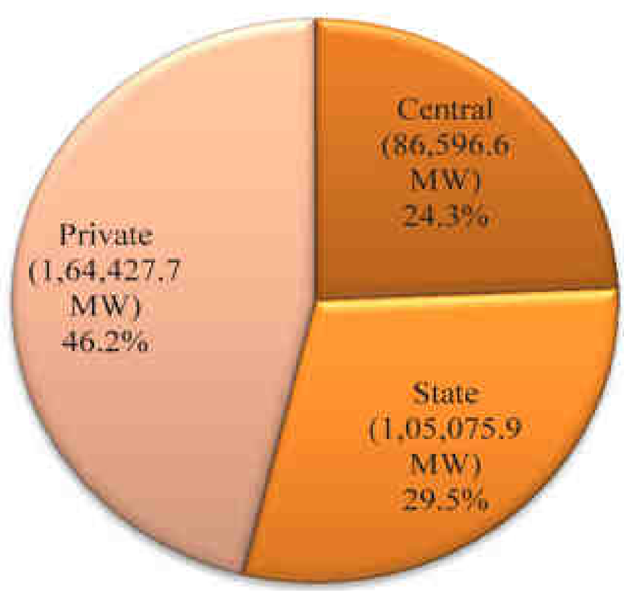

- भारत में बिजली उत्पादन में सराहनीय प्रगति की गयी है। स्थापित क्षमता वर्ष 2018 में 344002 मेगावाट से बढ़कर 2019 में 356100.10 मेगावाट हो गई है। 2018-19 के दौरान कुल ऊर्जा उत्पादन 1376 बिलियन यूनिट (आयात और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो सहित) था। तापीय ऊर्जा की क्षमता 63.5% है।
- गौरतलब है कि 46% से अधिक विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्र से आता है, जबकि इसके बाद केन्द्र सरकार का अंश 24.3% एवं राज्यों का अंश 29.5% है।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

FOUNDATION BATCH 2020

OPEN CLASSES
27 JULY | 10:30 AM

Unity Makes Strength!

1 = 10% Discount
1 + 1 = 30% Discount
1 + 1 + 1 = 50% Discount

**T&C Apply.*

FREE MAINS CSE ANSWER WRITING + REVISION 2019

ETHICS CASE STUDY
5 DAYS/CSE QUESTION DISCUSSION
15 JULY | 2:00 PM

Mr. A.H.K. GHAURI
Retd. IRS, Ex. Governance Advisor - British Govt.

ECONOMIC SURVEY & BUDGET
22 JULY | 2:00 PM

ALL INDIA MAINS TEST SERIES 2019
with face to face evaluation

9205274743 01141251555
25 B, 2ND FLOOR, METRO PILLAR NO. 117,
PUSA ROAD, OLD RAJENDRA NAGAR,
NEW DELHI 110060

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR – PATNA, **CHANDIGARH, DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJRAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA , **MADHYA PRADESH** – GWALIOR , JABALPUR , REWA , **MAHARASHTRA** – MUMBAI, **PUNJAB** – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA, **RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BARELLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH , LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): **अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |**

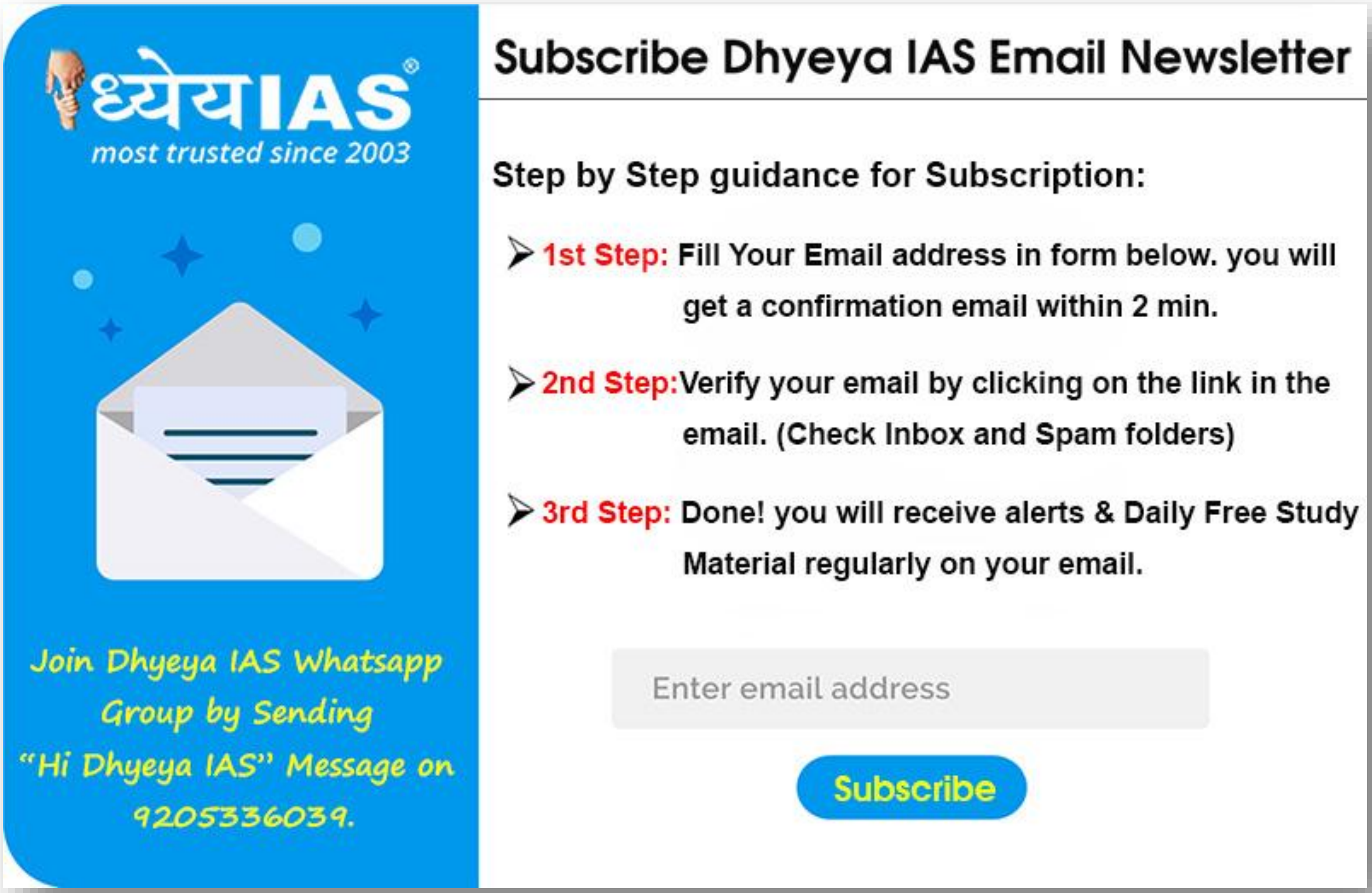

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

नोट: अगर आपने हमारा Whatsapp नंबर अपने Contact List में Save नहीं किया तो आपको प्रीतिदिन के मैटेरियल की लिंक प्राप्त नहीं होंगी इसलिए नंबर को Save जरूर करें।

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9355174441 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400